खण्ड-120, अंक-8
शुक्रवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(13 मार्च, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 120 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १३ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४६)

अंसलामसिंह, श्री
अजायबसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अबुल मुईद खां, श्री
अबुल रऊफ खां, श्री
अमृतलाल सिंघ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधबिहारी वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता श्याम, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल , श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कान्तिप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्नरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त आर्य, श्री

केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजाशरण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा श्री
चन्द्रभानु गुप्त श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार-देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणशास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह , श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह , महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री

बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खा, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री

रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त , श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताकृत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास जनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल , श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथभार्गव, श्री
श्री नाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी , श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

बड़की विश्वविद्यालय के उपकुलपति का त्यागपत्र

*१—श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम (जिला गोरखपुर) : क्या यह सही है कि बड़की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अभी कुछ दिन पहिले इस्तीफ़ा दे दिया है और यह सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम) : जी, हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी : क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि पुराने वाइस चान्सलर श्री हार्ट साहब का इस्तीफ़ा किन परिस्थितियों में स्वीकार किया गया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : इस बारे में यह कहना है कि उनसे इस्तीफ़ा दिया और वह मंजूर किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी : क्या यह सही है कि २३ जनवरी, को बड़की सिण्डीकेट के चार सदस्य श्री फूल सिंह, श्री यादव मोहन, श्री अवतार सिंह और श्री रमेश मोहन ने चान्सलर, बड़की यूनिवर्सिटी को कोई शिकायती पत्र श्री हार्ट के खिलाफ़ लिखा था ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : इस तरह का कोई पत्र मेरे नोटिस में नहीं आया है, परन्तु मालूम हुआ है कि लिखा गया था।

श्री अध्यक्ष : अब सदन के वह नोटिस में पहुंच ही गया।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : जी, मैं ने कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी : क्या यह सही है कि बड़की यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर की आज्ञा से और उनकी सहमति से कुछ छात्रों के खिलाफ़ पुलिस कार्यवाही की गई थी वहां के चान्सलर हैं ने वहां जा करके पकड़े ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : जहां तक मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है।

श्री रामकुमार दुबे (जिला बस्ती) : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगी कि जो इस्तीफ़ा वाइस चान्सलर साहब ने दिया है उसमें उन्होंने इस्तीफ़ा देने के क्या कारण बतलाये हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : इसमें उन्होंने कोई खास वजह नहीं लिखी है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर) : क्या यह सही है कि वाइस चांसलर साहब की [illegible] ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : सरकार ने मजबूर किया, यह कहना तो सही नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा : क्या वाइस चान्सलर की प्रार्थना पर उनका इस्तीफ़ा लेने का मुख्य कारण यही है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इस्तीफा देने वाले वह खुद हैं। अपनी नाकाबिलियत को मान कर क्या कोई इस्तीफा दे देता है, यह बात ग़लत है, कोई और वजह होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने इस्तीफा कब दिया और उस स्थान पर किसकी नियुक्ति हुई है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—पिछले महीने की २८ तारीख़ को दिया है।

श्री नेकराम शर्मा—अब उनके स्थान पर किसकी नियुक्ति हुई है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—अभी किसी की नियुक्ति नहीं हुई है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला मुरादाबाद)—क्या यह सही है कि अपराध तो वाइस चान्सलर का था, लेकिन उनके इस्तीफा देने के पहले एक दो निरपराध प्रोफेसरों को वहां से जाना पड़ा?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह बात तो बिल्कुल ग़लत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—शुरू में हार्ट साहब की नियुक्ति किन शर्तों पर और कितनी अवधि के लिये हुई थी?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—५ साल के लिये हुई थी और पूरी शर्तें इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि श्री हार्ट साहब की धांधली की वजह से प्रोफेसर सर्वजीवनलाल और बी० एन० सिंह साहब ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैं यह तो कतई नहीं करता कि यह बात यों है, मगर यह कहा जाता है ज़रूर। मैंने उसकी कोई तहक़ीक़ात नहीं कर रखी है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार वाइस चान्सलर के इस्तीफे की एक प्रति-लिपि सदन के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करेगी?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—वह दफ्तर में है। मेरे ख्याल में अभी तक नहीं आया मालूम है। होता तो मैं रख भी देता और अगर आ गया तो रख दूंगा।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या दफ्तर से मंगवाने के बाद सदन को प्राप्त हो सकता है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैं यह कहता हूं कि इसके लिये अभी २ रोज बाद दफ्तर की एक बहस में आ रही है। बजट में मौजूद है। उस वक्त उसके लिये सब कुछ पूछने पाछने का भी मौक़ा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि श्री हार्ट साहब के ऊपर इनक्वायरी इसलिये नहीं चलायी गयी कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने इसमें इंटरवेंशन किया?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—नहीं, यह बात बिल्कुल ग़लत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पुराने वाइस चांसलर हार्ट साहब ने एक श्री टी० ए० स्मिथ को बिना किसी कानून के और मर्यादा के नियुक्त किया?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—नहीं, यह तो बात नहीं है। यह शिकायत उनके मुताल्लिक़ जरूर थी कि पहले सिंडीकेट से नहीं पूछा जो कि ऐक्ट के मुताबिक़ पूछना चाहिये था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि हार्ट साहब ने वहां की यूनिवर्सिटी की सिंडीकेट को सीनेट से लड़ाने की कोशिश की?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—मेरे सामने ऐसी बात नहीं आयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि श्री हार्ट को यू० पी० के अफ़सरों में सब से बड़ी तनख्वाह मिलती थी?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, वह तो बजट में है।

*२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कानपुर यूनिवर्सिटी की सिण्डीकेट ने सरकार के पास यूनिवर्सिटी में दुर्व्यवस्था होने के संबंध में कुछ शिकायतें भेजी हैं? अगर हां, तो उन शिकायतों की जांच हेतु क्या कार्यवाही हुई है?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

तारांकित प्रश्न

गवर्नमेंट कालेज पिठौरागढ़, जिला अल्मोड़ा का भवन

*१—श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को विदित है कि गवर्नमेंट इण्टरमीडियेट कालेज, पिठौरागढ़, जिला अल्मोड़ा में कालेज भवन छात्र संख्या के लिये पर्याप्त नहीं है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां।

*२—श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या सरकार उक्त कालेज की आवश्यकतानुसार नूतन भवन निर्माण निकट भविष्य में करने पर विचार करती है?

डाक्टर सीताराम—विचार रखने की सम्भावना है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या माननीय मन्त्री महोदय कृपया बतलायेंगे कि यह विचार कब तक कार्यान्वित होने की आशा है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—यह आर्थिक स्थिति पर ठीक होगी।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या सरकार को विदित है कि इंसपेक्टर आफ़ स्कूल्स बरेली के पास इस स्कूल के ६२ हजार रुपये बहुत साल से पड़े हुये हैं?

डाक्टर सीताराम—यह कथन इंसपेक्टर आफ़ स्कूलों के बारे में नहीं है बल्कि जिले की ट्रेजरी में जमा है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या सरकार इस रुपये को इस स्कूल की इमारत के बनाने के कार्य में लावेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

सरकारी गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल व इंटर कालेजों में प्रिन्सिपल व टीचरों की संख्या

*३—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकारी गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल व इंटर कालेजों में कितनी प्रिंसिपल्स परमानेण्ट रूप से काम कर रही हैं और कितनी एक्टिंग रूप से ?

डाक्टर सीताराम—१७ परमानेंट तथा २६ एक्टिंग रूप से।

*४—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरिलिखित विद्यालयों में कितनी टीचर्स परमानेंट हैं और कितनी टेम्पोरेरी?

डाक्टर सीताराम—३३१ स्थायी तथा ४५१ अस्थायी हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ४५१ अस्थायी टीचर्स हैं वे सब से अस्थायी हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—सन् १९५० से इधर भिन्न-भिन्न समय से।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार कोई कारण बता सकती है कि परमानेंट स्टाफ से टेम्परेरी स्टाफ क्यों इतना ज्यादा है?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसलिये कि जब तक परमानेंट नहीं होते तब तक टेम्पोरेरी स्टाफ ही में रखे जाते हैं। जब वे डिउयल आफ म्यू डिमाण्डस से मंजूर हो जाते हैं तब परमानेंट कैडर में आ जाते हैं।

गोरखपुर जिले की पुलिस को वर्दियां

*५—श्री भारखण्डे राय (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले में प्रायः दो वर्ष से अधिक हुये पुलिस वालों को नयी वर्दियां नहीं मिली हैं? यदि हां, तो क्यों?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जिला गोरखपुर में उन पुलिस वालों को जिन्हें वर्दियां सरकार की ओर से दी जाती हैं नई वर्दियां क्लोथिंग रेगुलेशन्स १९३७ में दिये हुये स्केल तथा अवधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष दी गयी हैं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री भारखण्डे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिनको वर्दियां सरकार की ओर से नहीं दी जाती हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसमें दो प्रकार के कांस्टेबिलों का जिक्र है। एक तो ऐसे कांस्टेबिल्स या हेड कांस्टेबिल्स हैं जिनको वर्दियां नहीं दी जाती हैं और दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जिनको वर्दियां दी जा सकती हैं जैसे कांस्टेबिल्स। लेकिन हर कांस्टेबिल को हर साल वर्दी नहीं दी जाती। जैसा रेगुलेशन में जिक्र है कि पगड़ी कितने दिन चले, कोट कितने दिन चले तो इस तरह से जिनके पुराने हो जाते हैं उस रेगुलेशन के अनुसार उन को नई दी जाती हैं लेकिन हर कांस्टेबिल को हर साल नई वर्दी नहीं मिलती।

श्री भारखण्डे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्म्ड, सिविल और रेलवे पुलिस की वर्दियों में, उन के पाने की अवधि और स्केल में, कोई अन्तर होता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि वे रेगुलेशन ३७ का अध्ययन करें तब वह काफ़ी लम्बी चौड़ी बात है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बंदरगाह पुलिस वालों को दी जाती है उनका कोई मूल्य उनसे लिया जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

गाजीपुर जिले के किसान नेता श्री भगवानसिंह का कारावास

*६—श्री सारदानन्द राय—क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले के एक किसान नेता, श्री भगवान सिंह इस समय सेंट्रल जेल, बनारस में सजा भुगत रहे हैं? अगर हां, तो उन्हें किन धाराओं के मातहत किस केस में सजा हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। भगवान सिंह को एक अदालत ने अपराध में जो सन् १९४७ में ग्राम महमारी, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर में हुई थी, २ साल की सख्त कैद की सजा भाई० पी० सी० की धारा ३९२ के मातहत दी थी।

*७—श्री सारदानन्द राय—क्या सरकार को मालूम है कि श्री भगवान सिंह को मैजिस्ट्रेट और जज दोनों ने अपनी तजवीज में राजनीतिक कार्यकर्ता कहा है? अगर हां, तो उनके ऊपर अब तक क्या नहीं उनके अलावा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के व्यवहार किया जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। भगवान सिंह को मैजिस्ट्रेट व जज ने अपनी तजवीज में कहीं भी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कहा है। उनके अतिरिक्त राजनीतिकों का कोई पृथक् वर्ग जेलों में नहीं है।

श्री सारदानन्द राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या श्री भगवान सिंह को ५-८-४२ और २०-१०-४२ के दोनों शिकायती पर्चा-पत्र माननीय गृह मंत्री जी के पास मिला है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरे पास इस प्रकार के कोई पत्र नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में नहीं कह सकता कि माननीय गृह मंत्री जी के पास किस किस समय क्या क्या शिकायतें आयीं?

श्री सत्यनारायण सक्सेना (पुरवली)—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या श्री भगवान सिंह को मैजिस्ट्रेट व जज ने राजनीतिक कार्यकर्ता कहा है जिसके पुलिस स्टेशन सारदानन्द (मुबारकी) तथा कोतवाली, जिला इलाहाबाद के थाने में सहायक सब-इंस्पेक्टर हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। यह आवश्यक नहीं है।

श्री रामसेवक यादव—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या श्री भगवान सिंह को गिरफ्तार करने के पहले उन्हें कोई नोटिस दिया गया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जायेगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभाव के कारण इन बातों का पूरा पता लगाना कठिन है। मैं समझता हूं कि उन्हें गिरफ्तार करने के पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन इमारतों को बनाने के लिये सरकार के पास कोई तखमीना आया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तखमीना ही नहीं बल्कि पिछले वर्ष २,४७२ रुपये पहली इमारत के लिये और ४,५३१ रुपये दूसरी इमारत के लिये एलाट कर दिया गया है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकते हैं कि ये इमारतें कच्ची दीवार की हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रिपोर्ट से तो मालूम होता है कि ये शुरू हुई कच्ची हालत में लेकिन लीपापोती करके उन्हें पक्की बनाने की कोशिश जरूर की गयी है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन इमारतों में बरसात के दिनों में सरकारी कागज भी सुरक्षित नहीं रहते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि यह बात जरूर सही होगी।

विधान सभा के सदस्यों द्वारा जिला एवं केन्द्रीय बन्दीगृहों का निरीक्षण करने के लिये नियम

*१०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि माननीय विधान सभा के सदस्यों को जिला एवं केन्द्रीय बन्दीगृहों को निरीक्षण करने जाने के क्या नियम प्रांतीय सरकार द्वारा निश्चित किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विधान सभा के सदस्यों के लिये जेल निरीक्षण करने के सम्पूर्ण नियम जेल मैनुअल के अध्याय २५ में उल्लिखित हैं, उनमें से मुख्य नियम तालिका में उद्धृत किये गये हैं।

(दूसरी सभा के आगे पृष्ठ ६२३ पर)

*११—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बन्दीगृहों के निरीक्षण संबंधी पुराने नियमों में परिवर्तन करने का उनका विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जेल निरीक्षण संबंधी नियमों में हाल ही में परिवर्तन किया गया है और उनमें फिर कोई परिवर्तन करने का विचार अभी नहीं है।

*१२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बन्दीगृहों को निरीक्षण करने वाले गैरसरकारी निरीक्षकों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है तथा आजमगढ़ जिले के कौन कौन गैरसरकारी निरीक्षक हैं और वे कब से हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जेल के गैर सरकारी निरीक्षकों का चुनाव अथवा उनकी नियुक्ति जेल मैनुअल की नियम संख्या ६६६ (ब) के अनुसार की जाती है, जो कि तालिका में उद्धृत किया गया है। जिला जेल, आजमगढ़ के वर्तमान गैरसरकारी निरीक्षक श्री सुर्जन राम, श्री मानबहादुर सिंह और श्रीमती जेम्स हैं, जो ता० १ जून, १९५१ को नियुक्त किये गये थे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला के जेल निरीक्षक की नियुक्ति के लिये श्री मानबहादुर, सुर्जन राम और श्रीमती जेम्स के नामों की सिफारिश जिलाधीश ने की थी या दूसरी कमेटी ने की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति को सिफारिश करने का अधिकार है। श्री मानबहादुर और श्रीमती जेम्स की सिफारिश इसी समिति ने की थी और श्री सुर्जन राम की नियुक्ति सीधे सरकार ने की थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ में दूसरी नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि १९५२ में किसी की नियुक्ति ड्यू थी या नहीं। लेकिन उनकी अवधि तो ३१ मार्च, १९५३ तक है, इसलिये यह सवाल नहीं पैदा होता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल निरीक्षण करने का समय दिन में ७ बजे से ११ बजे तक रखा गया है ? क्या इस समय में परिवर्तन करके सारे दिन में निरीक्षण करने का अधिकार सदस्यों को दिया जा सकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब यह समय तो कई बातों को सोचकर रखा गया है एक तो जेल के कामों में बाधा न पड़े और निरीक्षक को भी सुविधा रहे कि वह जेल का निरीक्षण करके खाना वगैरह खाकर रिपोर्ट लिख सके। लेकिन अगर किसी विशेष अवस्था में, किसी विशेष समय में अगर कोई सज्जन किसी विशेष जेल को विशेष तौर से देखना चाहें तो मैं समझता हूं कि जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट से तय कर सकते हैं।

थाना सहजनवां, जिला गोरखपुर में कत्लों की संख्या

*१३—श्री इस्तफ़ा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि थाना सहजनवां, जिला गोरखपुर के क्षेत्र में पिछले महीने अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९५२ में कुल कितने कत्ल हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अक्तूबर में कोई कत्ल नहीं हुआ। नवम्बर में एक और दिसम्बर में दो कत्ल हुये।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि वह गोरखपुर जिले में कत्ल की वारदातों के बढ़ने को किस तरह से रोकने का इक़दाम करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसी किस्म के इंतजाम से जैसा कि सूबे के और जिलों में हो रहा है, करने की कोशिश की जायगी।

*१४—१५—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)—[२७ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

सुल्तानपुर के हायर सेकेण्डरी स्कूलों को आर्थिक सहायता

*१६—श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सुल्तानपुर जिला के किस हायर सेकेण्डरी स्कूल में कहां तक शिक्षा दी जाती है और किसे कितनी वार्षिक आर्थिक सहायता शिक्षा विभाग से मिलती है ?

डाक्टर सीताराम—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ—६२४ पर)

श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जमींदारी उन्मूलन के कारण इन स्कूलों को जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति करके उनकी रक्षा होगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, जरूर की जायगी।

*१७—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—[हटा दिया गया।]

*१८—१९—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—[२७ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

रामपुर में नवाब साहब की कोठी के दरवाजे पर कुछ गिरफ्तारियां

*२०—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ६-२-५३ को रामपुर में नवाब साहब की कोठी के दरवाजे पर पुलिस द्वारा कुछ गिरफ्तारियां की गयी थीं? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों की, किस कारण तथा किन धाराओं के अन्तर्गत?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये उनके नाम यह हैं—१—श्री नसीर अली, २—श्री नाजूक खां, ३—श्री अली हुसैन, ४—मौलाना सिराजुल हुसैन, ५—श्री अबरार खां। इनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७।११७(३), १४१ के अन्तर्गत पकड़ा गया। गिरफ्तारी का कारण यह था कि उक्त व्यक्तियों ने कुछ लोगों को अपना कद बढ़ाने के नाम से शहर में काले झंडे लेकर एक बड़ा जुलूस निकाला और उसको लेकर नवाब रामपुर के पैलेस की सीमा के अन्दर बलपूर्वक घुसना चाहा जहां पुलिस नाके लगाये जिससे शांति भंग होने की आशंका हो गई।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन ५ व्यक्तियों के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया और वह कौन था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दूसरा नाम है श्री मेहदी नाजमी।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या यह मेहदी नाजमी रामपुर में किसी अखबार के सम्पादक हैं और किस अखबार के?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, अखबार के सम्पादक हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य—इन व्यक्तियों को कब और किस तरह छोड़ा गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अखबार के तीसरे दिन छोड़ दिया गया।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या यह सही है कि इन लोगों ने सरकार को किसी प्रकार का आश्वासन दिया था कि इस तरह की बात न करेंगे जो पहले की थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, एक हलफी बयानात मजबूरियान उस अमानत मजबूरियान की तरफ से मुकद्दमा चलाने का प्रोग्राम था। उसी की तरफ से आश्वासन दिया गया। लिख कर वह आश्वासन दिया गया था जिसमें कई लोगों के दस्तखत थे। उसी के आधार पर लोग छोड़े गये। उस पर इन लोगों ने भी दस्तखत किये थे।

श्री बालकृष्णन—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि ये गिरफ्तारियां किस को हुई या रात को?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—[illegible]

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार के आश्वासन देने के बाद भी इन मेहदी नाजमी ने अपने अखबार जम्हूर में यह छापा कि वह बिना शर्त छोड़े गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज ही मैंने कुछ ऐसा सुना है। इसके पहले कोई इत्तिला नहीं थी।

*२१—२२—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ ५६७]

जे० टी० सी० नार्मल स्कूल, लखनऊ के प्रशासन के विरुद्ध शिकायती पत्र

*२३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जे०टी०सी० नार्मल स्कूल, लखनऊ के प्रशासन के संबंध में हाल ही में शिक्षा संचालक तथा इंस्पेक्टर के पास कोई शिकायती पत्र भेजे गये हैं? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं?

डाक्टर सीताराम—जी हां। शिकायतों की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६२५ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि वह जो शिकायतों की सूची संलग्न है इसकी जांच करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सीताराम—अभी जांच नहीं की गई है। जांच की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जे०टी०सी० नार्मल स्कूल के वर्तमान जो हेडमास्टर हैं क्या यह सही है कि उनकी नियुक्ति दो बार डिपार्टमेंटल कमेटी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह बात सही है कि इन हेडमास्टर की नियुक्ति के समय एफिशियेंसी का कोई खयाल नहीं किया गया और जो एफिशियेंट आदमी थे वे वहां पर नहीं रक्खे गये?

डाक्टर सीताराम—किया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस नार्मल स्कूल के सभी टीचर्स और नौकरों का एक डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के वर्तमान हेडमास्टर के प्रबन्ध के खिलाफ पहुंचा था?

डाक्टर सीताराम—इसकी यहां पर कोई सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस बात की जांच कब तक हो सकेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी यह पता नहीं है कि वे शिकायतों की जो दरख्वास्तें आयी हैं वे उनके दस्तखत फर्जी हैं या सचमुच में ठीक हैं। जब यह पता चल जायगा कि सचमुच में उन दरख्वास्तों पर के दस्तखत ठीक हैं तब तो जांच होगी, और अगर दस्तखत ठीक नहीं होंगे, फर्जी होंगे तब उस पर कोई जांच नहीं होगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार के पास जब किसी शिकायत की अर्जियां आती हैं तो क्या उनके दस्तखतों की जांच की जाती है कि वे जाली हैं या सही हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, इस बात की जांच की जाती है कि वाकई में फर्जी दस्तखत किसी दरख्वास्त पर हैं या सचमुच में ठीक दस्तखत हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन शिकायतों के फलस्वरूप डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, लखनऊ ने जांच की और जांच करके यह सिफारिश की कि उनका तबादला यहां से कर दिया जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह गलत है।

सिकन्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र से बन्दूक के लाइसेंस के लिये प्रार्थनापत्र

*२४—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र से कितनी अर्जियां रक्षा कमेटी से बंदूक की लाइसेंस के लिये आयीं और कितनी स्वीकार हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सिकन्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र से, किसी रक्षा कमेटी से बंदूक के लाइसेंस के लिये कोई अर्जी प्राप्त नहीं हुई और न ऐसा कोई लाइसेंस ही दिया गया। परन्तु इस संबंध में ६९ व्यक्तियों की अर्जियां आयीं जिनमें से १२ स्वीकृत हुईं। यह लोग ९ कमेटियों के सदस्य हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई हिदायत या विज्ञप्ति निकाली थी कि रक्षा कमेटी की अर्जियां जो बंदूकों के लाइसेंस के लिये आवें उनको लाइसेंस दे दिये जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई जनरल आज्ञा नहीं निकाली गयी, लेकिन इस किस्म की इंस्ट्रक्शन जिला अफसरों को हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों की अर्जियां खारिज की गईं वे किस बिना पर खारिज की गयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन लोगों ने यह नहीं लिखा था कि वे किसी डिफेंस सोसाइटी के सदस्य हैं या नहीं। उसमें एक शर्त है कि डिफेंस सोसाइटी के नियम का पालन करेंगे और गांव वालों की अपने हथियारों से मदद करेंगे, उन्होंने अपनी अर्जियों में यह भी नहीं लिखा था। अधिकांश अर्जियां इसी वजह से रिजेक्ट हुईं।

* * * *

गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार

*२१—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार गोरखपुर में कोई नये विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वे गोरखपुर में एक नई यूनिवर्सिटी खोलना क्यों आवश्यक समझते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसलिये आवश्यकता है कि हमारा प्रांत एक बहुत बड़ा प्रांत है और उसमें यूनिवर्सिटीज की संख्या अधिक नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह यूनिवर्सिटी कब से चालू हो जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी यह तो बताना बड़ा मुश्किल है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस यूनिवर्सिटी के लिये कोई कमेटी बनायी गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिये कोई कमेटी नहीं बनायी गयी।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस संबंध में अब तक कोई ठोस कार्य किया गया है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २१-२२—श्री नेकराम शर्मा ने पूछे।

श्री हरगोविन्द सिंह—जितने कार्य इस संबंध में हुये हैं सभी ठोस हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी टीचिंग यूनिवर्सिटी होगी या एफलीयेटिंग यूनिवर्सिटी होगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी इस समय यह भी कहना कठिन है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस विश्वविद्यालय के लिये अब तक कितना कोष इकट्ठा हो गया है और कितना कार्य उसके विषय में हो चुका है?

श्री हरगोविंद सिंह—इस विश्वविद्यालय के लिये कितना कोष इकट्ठा हो चुका है यह तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमेटी ही जानती है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस विश्वविद्यालय की स्थापना में कितना कार्य हो चुका है?

श्री हरगोविन्द सिंह—उसकी स्कीम बन रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनकी तरफ से कुछ दिन पूर्व यह घोषणा नहीं की गयी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये ४ आदमियों की एक कमेटी बना दी गयी है?

श्री हरगोविन्द सिंह—नहीं, वह आपकी समझ में गलत आवाज कमेटी तो इस लिये बनाई गयी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी किस प्रकार की हो।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस कमेटी की कोई मीटिंग हुई?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, कई बैठकें हुईं।

*२२—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री नये विश्वविद्यालय के स्थान में किसी बड़े टेक्निकल कालेज के खोलने पर विचार करेंगे?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष द्वारा ४ मार्च, १९५३ को दिये गये निर्णय के संबंध में स्पष्टीकरण

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं। चार तारीख की बैठक में मैं उपस्थित नहीं था उस दिन माननीय अध्यक्ष ने एक रूलिंग दी थी जो इस प्रस्ताव के संबंध में इस सदन में दी गई थी जिसके द्वारा कामरीकी प्रस्ताव के संबंध में जो इस सदन के स्थायी रूल्स हैं उनको सस्पेंड करने की मांग की गयी थी। इसके संबंध में आपकी जो रूलिंग थी मैं उसे स्पष्टरूप से समझ नहीं सका। अतः मैं निवेदन करूंगा कृपया आप उस पर कुछ प्रकाश डाल दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वह स्पष्ट समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया, यह मुझसे पूछा गया था, मुझे यह स्पष्ट हो गया है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने यह पूछा है कि ४ तारीख को जो कामरोको प्रस्ताव आया था, उसके बाद एक प्रस्ताव माननीय नारायणदास जी ने लाने का प्रयत्न किया था, उसके विषय में मैंने जो निर्णय दिया था वे उसको जानना चाहते हैं। वैसे तो मैं यह उचित नहीं समझता था कि अभी इसका कोई विषेष जिक्र हो और मैं इन सब बातों को सामने नहीं आऊंगा जिससे कि विशेषाधिकार समिति का संबंध है, लेकिन उसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना मुझे आवश्यक प्रतीत होता है इसलिये कि कुछ समाचार-पत्रों में मैंने यह देखा कि कुछ भ्रम इस बारे में हो सकता है कि मैंने यहां पर क्या फैसला दिया। कुछ लोगों ने यह लिखा कि मैंने कामरोको प्रस्ताव को सामने के लिये इजाजत ही नहीं दी। इसलिये ही कानपुर के सवाल आसानी पर पूछना चाहते हैं क्योंकि कानपुर के एक अखबार में यह बात छपी। इसलिये मैंने यह उचित समझा कि उसको जरा स्पष्ट कर दूं क्योंकि इस सदन की कार्यवाही को गलत तौर पर किसी अखबार में छापना यह विशेषाधिकारों की अवहेलना है और उसके ऊपर गलत बयानी करके उस पर टीका करना यह उससे भी अधिक विशेषाधिकार की अवहेलना है। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि यहां के जो अखबार हैं उन्होंने ऐसी अवहेलना असलियत बयानी करके की हो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ कानपुर का एक उर्दू का अखबार मेरे सामने आया और एक बनारस का हिन्दी का अखबार भी सामने आया और उनके पढ़ने से यह मालूम होता था कि मैंने कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं दी कि वह अनुमति के लिये भी पेश हो। उससे भ्रम पैदा होता है। इसलिये फिर से मैं सदन को उस विषय क्या हुआ था यह बतला देना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोग हरदम सतर्क नहीं रहते हैं इस कारण उनके दिल में कभी भ्रम पैदा हो जाता है।

एक कामरोको प्रस्ताव राजनारायणजी यहां पर लाये थे कि अध्यापकों को कौंसिल भवन के सामने से पुलिस ने हटा दिया है इसलिये सदन का काम रोक कर उसके ऊपर सदन विचार करे। उस रोज पुलिस का बजट भी सामने आने वाला था। तो चाहे इंग्लैन्ड की प्रथा हो और चाहे यहां की प्रथा हो उसका कायदा यह है कि अध्यक्ष पहले इस बात की अनुमति किसी सदस्य को देता है कि वह अनुमति के लिये सदन में अपना प्रस्ताव ले आये। कामरोको प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये हमारे यहां नियम ६८ में यह दिया हुआ है कि अध्यक्ष नियम के अनुसार सदन से अनुमति मांगने के लिये किसी सदस्य को अनुमति दे। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस नियम को जो लोग यहां पर बैठे हैं वह पूरी तरह से समझ लें कि यहां की और इंगलैन्ड की प्रथा में अनुमति देने के तरीके में थोड़ा अन्तर है। यहां पर एक दम खड़े होकर सदस्य अनुमति मांग सकता है और अनुमति मांगने पर अगर यहां पर स्पीकर अनुमति दे और ४० सदस्य उसके पक्ष में कम से कम अगर खड़े हों तो सदन की अनुमति समझी जाती है। या सदन एकमत से अनुमति दे यानी कोई एतराज न करे तो अनुमति समझी जाती है। और अगर खड़े होने वाले सदस्य ४० से कम हों और १० से अधिक हों तो जिसने अनुमति मांगने की कोशिश की हो उस सदस्य को यह अधिकार है कि वह डिवीजन की मांग करे। अगर डिवीजन क्लेम करने पर ४० सदस्य से कम अनुमति देने के पक्ष में दिखाई देते हों तो ऐसी हालत में उसको इजाजत नहीं मिलती। यहां की प्रथा यह है कि सदस्य तब खड़ा होता है जब पहले अध्यक्ष अनुमति मांगने के लिये सदस्य को इजाजत देता है और यहां भी और इंगलैन्ड में भी अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अगर अरजेन्ट पब्लिक इम्पारटेंस का प्रश्न न हो और स्पेसिफिक न हो तो वह अनुमति नहीं देता कि वह पेश हो तो ऐसी अवस्था में बहुत दफा अध्यक्ष ने इजाजत देने से इन्कार किया है जब कि सदस्यों को इस बात का आगे मौका मिलने वाला हो कि वह उस प्रकार बहस कर सकें। यहां पर भी गृह मंत्री ने इस तरह की आपत्ति की थी कि चूंकि पुलिस का बजट उस दिन सामने था और उसमें यह बहस आ सकती थी तो उसके लिये अनुमति देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके पेशतर ही मैंने प्राइमाफेसी प्रश्न का महत्व

समझकर यह उचित समझा कि उसे पेश करने की अनुमति दी जावे। अल्पसंख्यक लोगों के हित में मैंने एक तरह का उदारतापूर्ण इन्टरप्रिटेशन नियम को देकर जो हो सकता था वह किया। मैंने निर्णय दिया कि वह प्रश्न इन एन्टीसिपेशन नहीं समझा जाना चाहिये क्योंकि यद्यपि बजट की बहस में वह उठाया जा सकता है, परन्तु बजट में किस तरह से प्रश्न उठाया जाता है वह प्रश्न बहुत से प्रश्नों के साथ शामिल हो जाता और उस पर स्पेसिफिकली उस प्रकार अधिक चर्चा नहीं हो सकती थी जिस प्रकार काम रोको प्रस्ताव द्वारा वह अधिक हो सकती है। इसी लिये इंगलैन्ड का तरीका अपनाकर और इस सदन के साधारण रवैये का ख्याल न करके मैंने इजाजत दे दी कि श्री राजनारायण जी अनुमति के लिये प्रस्ताव ले आवें। यह विशेष डिसक्रिशन उनकी फ़ेवर में अल्पसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा में मैंने किया कि श्री राजनारायण जी को अनुमति दे दी कि वह इस सदन के सामने कामरोको प्रस्ताव को सदन की अनुमति के लिये पेश करें। यह गलत है कि अध्यक्ष ने कामरोको प्रस्ताव की अनुमति मांगने के लिये इजाजत नहीं दी, वह इजाजत मैंने दी थी। उसके बाद जब उन्होंने भाषण देकर कारण बताकर सदन से इजाजत मांगी तो उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने आपत्ति की और उससे यह स्पष्ट हो गया कि उनका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होने वाला नहीं है। अगर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं होता हो तब उसके लिये इंगलैन्ड में यह तरीका है कि अगर ४० आदमी अनुमति देने के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो अनुमति समझी जाती है। यहां भी साधारण प्रश्नों पर निर्णय बहुमत से होते हैं, लेकिन कामरोको प्रस्ताव के लिये अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा दी गई है कि अगर ३६ यानी एक १/१२ यानी वन ट्वैल्थ की राय सदनमें प्राप्त हो जाय तो कामरोको प्रस्ताव के लिये सदन की अनुमति समझ ली जाती है। यानी ३६ सदस्य अनुमति के पक्ष में सदन में खड़े हो जाते हैं तो सदन की अनुमति समझी जाती है। जिस वक्त यह विरोध गृह मंत्री द्वारा हुआ तो मैंने फौरन कहा कि जो लोग इसके पक्ष में हों कि अनुमति दी जाय व कृपया खड़े हो जायं। अगर उस समय ३६ सदस्य खड़े हो जाते तो अनुमति समझी जाकर उस कामरोको प्रस्ताव पर शाम के वक्त विचार होता। नियम के अनुसार शाम को ही विचार होता बजट के समय नहीं। लेकिन उसी वक्त श्री नारायणदत्त तिवारी एक प्रस्ताव ले आये और उन्होंने उसी वक्त मुझे टोका कि जो प्रस्ताव उन्होंने मेरे पास भेजा था, नियम को सस्पेंड या स्थगित करने का, वह पहले पेश हो जाय। वह नियम २२१ है उसका अर्थ है कि कोई भी नियम किसी काम के लिये सदन द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। उनका मतलब था कि कामरोको प्रस्ताव के लिये वह नियम सस्पेंड कर दिया जाय जिनमें अनुमति के लिये ३६ सदस्य खड़े होने की आवश्यकता होती है। जब नियम स्थगित हो जाता है, यानी अगर सदन स्थगित कर दे तो अध्यक्ष को अधिकार हो जाता है कि उस नियम के एवज में कौन सा तरीका अख्तियार करे, यह निश्चित करे। सीधी सी बात है मैंने समझा कि अगर सदन में ३६ सदस्य भी अनुमति देने को तैयार नहीं हैं तो नियम स्थगन के लिये बहुमत की आवश्यकता है, सदन में बहुमत कैसे मिल सकती है। अगर मैं उस प्रस्ताव को पढ़ देता तो सदन में होली का सा दृश्य हंसने को हो जाता और लोग इस पर हंसते कि ३६ की अनुमति तो मिलती नहीं, २०० या १५० की कैसे आशा की जा रही है। मैंने उस स्थगन संकल्प को इसलिये व्यर्थ समझ कर कहा और उनको इशारा भी मैंने किया कि सदन से तभी नियम स्थगित होगा जबकि सदन का बहुमत मिले और बहुमत तभी मिलेगा जब सदन इस बात पर तुल जाय कि काम-रोको प्रस्ताव की अनुमति दी जाय। लेकिन जब अनुमति के लिये ३६ सदस्य ही नहीं मिले तो १५० कैसे मिल सकते थे। यह अपेक्षा करना हंसी की सी बात है और यही सोच-कर मैंने इस प्रस्ताव पर सदन का समय नष्ट करना उचित नहीं समझा, क्योंकि यदि अनुमति पेश करने को देता और संकल्प सामने आ जाता तो २ घंटे बहस हो सकती थी, क्योंकि विवाद के अधिकार के विषय में संकल्प और प्रस्ताव में कोई विशेष अन्तर नहीं है। संकल्प आने पर विरोध हो सकता था और विरोध करने पर बहस होती। और

[श्री अध्यक्ष]

नियम इसमें यह है कि जिन दिनों बजट की वोटिंग होती हो तो अनुदान के वोटिंग और प्रश्नों के बीच में कोई अन्य कार्य न लिया जाय। मैंने अभी तक यहां यही प्रथा रखी है। यद्यपि मुझे विशेषाधिकार है कि मैं अनुमति दे दूं, तथापि बजट के महत्व को समझकर मैंने ऐसे मामले को जो विवादास्पद हों, प्रश्नों तथा बजट के अनुदानों के वोटिंग के बीच में लेने की इजाजत नहीं दी है। अगर सर्वसम्मति कभी हो तो बात दूसरी है, सिर्फ एक मत होने पर ही एक्सेप्शन किया है या कामरोको प्रस्ताव के लिये किया है क्योंकि यह नियम बना हुआ है कि कामरोको प्रस्ताव प्रश्नों के बाद आता है। इसलिये मैंने उसको इजाजत दे दी।

दूसरा जो माननीय नारायणदत्त जी का प्रस्ताव था मैंने उसकी इसलिये इजाजत नहीं दी कि कामरोको प्रस्ताव नहीं था, बल्कि नियम सस्पेंड करने का प्रस्ताव था, जो व्यर्थ भी था, क्योंकि उसमें बहुमत की आवश्यकता पड़ती जो मिलने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिये मैंने इजाजत नहीं दी।

उसके बाद जो कार्यवाही हुई उसके बारे में मैं इसलिये जिक्र करना नहीं चाहता क्योंकि उसके ऊपर विशेषाधिकार कमेटी बैठी है। इसलिये जिक्र करना उचित नहीं है।

इससे यह बात स्पष्ट है कि कामरोको प्रस्ताव अनुमति के लिये उपस्थित करने की इजाज़त मैंने श्री राजनारायण जी को दी थी और नियम स्थगित करने का संकल्प जो श्री नारायण दत्त जी पेश करना चाहते थे उसे मैंने व्यर्थ भी समझा और नियम के विरुद्ध भी समझा, और इन दोनों दृष्टियों से उसकी इजाजत नहीं दी

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। एक मिनट की इजाजत दी जाय।

आपने अभी कहा कि अगर अध्यक्ष की रूलिंग कोई समाचार-पत्र गलत छापे और उसकी टिप्पणी करे तो ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर अध्यक्ष की रूलिंग को कोई समाचारपत्र सही छापे और उससे डिसऐग्रीमेंट करते हुये उस पर कोई टिप्पणी छापे तो क्या विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता?

श्री अध्यक्ष—अगर सही छापे और कोई टिप्पणी करे जो सदन के लिये इंसल्टिंग हो तो वह विशेषाधिकार की अवहेलना अवश्य समझी जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष की रूलिंग से डिसएग्री करते हुये कोई टिप्पणी छापना क्या....

श्री अध्यक्ष—यह तो हाइपाथेटिकल क्वेश्चन है। मैं समझता हूं कि यह इससे उठता नहीं। मैं इसका स्टडी करके ही जवाब दे सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जो प्रस्ताव हाउस में लिया ही नहीं गया है, मूवर ने उसको पेश ही नहीं किया है तो क्या वह पहले से ही कंट्रोवर्शल माना जा सकता है? जिस पर बहस तो हुई नहीं है, जिसके बारे में मूवर ने अभी राय भी नहीं दी है और न सदन के और सदस्यों ने राय दी है, तो क्या वह कंट्रोवर्शल माना जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—कंट्रोवर्शल है या नहीं तर्क से वह समझा जा सकता है। उसके लिये बुद्धि दी है। जब कि कामरोको प्रस्ताव के लिये इजाजत मांगने के लिये बहस और विरोध भी है और कामरोको प्रस्ताव के लिये सहूलियत देने के लिये एक मोशन लाया जाय, ऐसी

अवस्था में जब कि कामरोको प्रस्ताव के लिये ३६ आदमियों की इजाजत न मिल रही हो, तो ऐसा मोशन अवश्य विवादास्पद होगा, यह तर्क से मालूम हो सकता है। जिनका तर्क स्पष्ट न हो उनके लिये लाचारी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्पीकर का किसी प्रश्न के बारे में पहले से ही एक ऐंटीसिपेशन कर लेना क्या यह मुनासिब है ?

श्री अध्यक्ष—हर एक मोशन, चाहे कोई भी मोशन हो, उसके लिये यह मान लिया जाता है कि इसके ऊपर बहस तथा विरोध होगा। इसलिये मुझे माननीय सदस्य द्वारा पहिले से ही यह मालूम होना चाहिये कि इसमें कोई विरोध नहीं होने वाला है तभी बजट वोटिंग से पेश्तर मोशन की इजाजत मैं देता हूं जैसा कि इस संबंध में मैं एक उदाहरण देता हूं। यहां श्री स्टैलिन की मृत्यु पर एक प्रस्ताव का प्रश्न आया। तो मेरे पास झारखंडे राय जी आये। मैंने उनसे कहा कि इसके ऊपर अगर विरोध हुआ तो मैं इसको बजट वोटिंग के पहले लेने को तैयार नहीं हूं। इसलिये आप गवर्नमेंट से तय कर लें। उन्होंने मुझे बाद में कोई इत्तला नहीं दी। इसलिये मैंने पहले उसके लिये इजाजत नहीं दी कि वह आये। इसके बाद नारायणदत्त जी ने यह प्रश्न सदन के सामने गृह मंत्री जी से पूछा कि क्या वे इसको लेने वाले हैं। तब माननीय गृह मंत्री जी ने उसको रखा। इस प्रकार मैंने समझ लिया कि इसमें सदन के सब सदस्य एकमत हैं और मैंने इजाजत दे दी। नहीं तो इजाज़त न देता। पहले यह मान लिया जाता है कि कोई भी संकल्प जब आयेगा तो उसके ऊपर वाद हो सकता है। इसलिये मैं उस वक्त तक किसी संकल्प के लिये इजाजत देता ही नहीं हूं जब तक कि मुझे पहले से ही न बताया जाय कि इसके ऊपर विरोध होने वाला नहीं है। निर्विवाद होने वाली चीज है। तब मैं इसकी इजाजत देता हूं कि वह विषय बजट अनुदानों के वोटिंग के पेश्तर लिया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—एक सूचना और जानना चाहूंगा कि माननीय परिपूर्णानन्द जी कानपुर के सदस्य हैं या गोरखपुर की महाराजगंज तहसील के ?

श्री अध्यक्ष—वे कानपुर में रहते हैं, यह सबको मालूम है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं भी एक बात जानना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं, विरोधी दल की संख्या ४०, ४१ के करीब है और कांग्रेस के ३९१ सदस्य हैं। तो जब आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो बिना दूसरे पक्ष की राय जाने आप पहले ही से कोई अंदाजा लगा लें कि इसमें विरोध होगा ही, क्या यह नियमानुकूल है कि आप इस तरह से ऐंटिसिपेशन कर लें ?

श्री अध्यक्ष—यह मेरा डिस्क्रेशन है। मैं उसके बारे में सदस्यों से पूछ लेता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—तो आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें।

उत्तर प्रदेश फ़ेमीन रिलीफ़ फ़ंड (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड संशोधन विधेयक, १९५२, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ दिसम्बर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ जनवरी, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २० फरवरी, १९५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का ८वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों से संबंधित माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति का मेज़ पर रखा जाना

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन बनायी गयी १९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों से संबंधित माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ९२०३ (१)/१-अ---४६३-१९५२, दिनांक ११ फरवरी, १९५३ की प्रतिलिपि उक्त अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय राजस्व मंत्री तैयार हैं इस पर वाद-विवाद करने के लिये ?

श्री अध्यक्ष---नहीं, इसको मेज पर रखने का सवाल था। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं कि इस समय वाद-विवाद किया जाय।

यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४, की धारा ४(१) (बी) के खंड (२) के अनुसार यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को आप आदेश दें, किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यू० पी० नर्सेज ऐंड मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४(१) (बी) के खंड (२) के अनुसार यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसके अनुसार मैं यह कार्य-क्रम रखता हूं---

नाम निर्देशन के प्रस्ताव की तिथि	१८ मार्च को एक बजे तक।
सूक्ष्म परीक्षा का समय	१८ मार्च को दो बजे तक।
नामांकन वापसी की तिथि	२० मार्च को ३ बजे तक।

यदि निर्वाचन की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिये कोई तारीख और समय बाद में निश्चित किया जायगा।

वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव होंगे। अब उनके लिये समय निश्चित करना है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अनुदान संख्या २० और २१ एक में मिला दिये जायं और वह साढ़े तीन बजे तक चलें। अनुदान संख्या ४२ और ५१ भी एक में मिला दिये जायं और बाद में ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई आक्षेप है ?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो अनुदान संख्या २० और २१ को पहले ले लिया जायगा और साढ़े तीन बजे तक समय रहेगा। इसमें पहले जो कटौती के प्रस्ताव लायेंगे उनको १५ मिनट और दूसरे और लोगों के लिये ७ मिनट रहेंगे। और साढ़े तीन बजे से जो अनुदान लिये जायेंगे उनके लिये पहले कटौती के जो प्रस्ताव लायेंगे उनके लिये १० मिनट और अन्य व्यक्तियों के लिये ६ मिनट का समय होगा।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—चिकित्सा (लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा) के अन्तर्गत २,४५,९२,५०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—जन स्वास्थ्य (लेखा शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य) के अन्तर्गत १,४१,७६,००० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जिन अनुदानों को मैंने अभी सदन की स्वीकृति के लिये उपस्थित किया है, उनका संबंध प्रदेश के स्वास्थ्य से है। इन की कितनी अहमियत है उसके ऊपर मुझे अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़े से शब्दों में इस सदन के सामने अगले वर्ष में किस तरह से अनुदानों के अन्तर्गत रुपया व्यय किया जायगा, उसके संबंध में चन्द बातें कहूंगा। समय अधिक नहीं है, इसलिये मैं बहुत ब्योरे में तो जाऊंगा नहीं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस पुस्तिका के पहिले सफे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, जो चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बांटी गई है और जिसमें विभाग का कार्य-विवरण दिया हुआ है यदि माननीय सदस्यों ने उसका अध्ययन किया है तो उन्हें भली भांति इस का परिचय मिल जायगा कि इन अनुदानों के अन्तर्गत गत पांच छः वर्षों से उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है, यद्यपि यह वृद्धि न तो हमारे प्रदेश की आमदनी के अनुपात के अनुकूल ही है और न हमारे प्रदेश की बढ़ती हुई जन-संख्या के अनुपात में है। यह हमारे लिये दुख की बात अवश्य है, परन्तु इस सदन के सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रदेश की बहुत सी समस्यायें ऐसी हैं, जिन्हें हमें इस समय प्राथमिकता देनी पड़ रही है और जिनके कारण हम इन विभागों के लिये उतना रुपया अभी नहीं निकाल पा रहे हैं जितने की इन्हें आवश्यकता है। हमारी भरसक यह चेष्टा रहती है और हर वर्ष हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि इन विभागों के अन्तर्गत अधिक रुपया व्यय किया जावे। इस बात का प्रमाण वह आंकड़े आपको दे रहे हैं, जो इस विवरण पत्रिका के पहले सफे पर छपे हुये हैं। उन्हें देखने से यह तो पता चल ही जाता है कि चार पांच साल में चिकित्सा विभाग में करीब ५० लाख व्यय बढ़ा है और जन-स्वास्थ्य के विभाग के अन्तर्गत भी करीब ३० लाख के अब अधिक खर्च किया जा रहा है। इन चार-पांच वर्षों में हमने विभाग के अन्तर्गत काफी उन्नति की है। जहां तक शिक्षा का संबंध है उसके क्षेत्र को विस्तृत किया गया है, उन कालेजों की और इक्विपमेंट बढ़ाने में हुई है जिनकी उन कालेजों को आवश्यकता थी। हमने खासकर अस्पतालों, औषधालयों में अधिक व्यय बढ़ाया है और हमने खास-खास बीमारियों के निवारण के लिये अधिक रुपया अपने प्रदेश में व्यय किया है।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

माननीय सदस्य यह अच्छी तरह जानते हैं कि सन् १९४६ में जब यहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, प्रदेशीय सरकार के पास कुल ४९ अस्पताल थे, आज वे बढ़कर करीब ३१९ हो गये हैं। आयुर्वेद और तिब के औषधालय भी उस समय दो सौ के करीब थे और वे अब पांच सौ से ऊपर बढ़ गये हैं। यह प्रगति इन चार पांच वर्षों के बीच में हुई है।

हमें अधिक अस्पताल और औषधालयों की आवश्यकता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हर एक व्यक्ति जानता है और हमने ही इस सदन में चार पांच वर्ष पूर्व यह कहा था कि हम प्रदेश में हर पांच मील के दरमियान में एक अस्पताल स्थापित करेंगे। इस घोषणा के अन्तर्गत हमने कार्य भी प्रारम्भ किया था। दुर्भाग्यवश आर्थिक झंझट हमारे बीच में आ गये और उन्होंने हमारी प्रगति में रुकावट डाल दी। इस कारण से हम उस घोषणा के अन्तर्गत बहुत कार्य नहीं कर सके, परन्तु हमने प्रतिवर्ष इस बात की चेष्टा की है कि हमारे यहां अस्पतालों की संख्या बढ़ती जावे और उसके लिये अधिक पैसा व्यय किया जावे। अगले वर्ष में भी, जैसा कि आप को आंकड़ों से पता लगेगा, २५ अस्पताल और औषधालय खोलेंगे, जिनमें १० एलोपैथिक होंगे और १५ आयुर्वेद और तिब के होंगे। मैं जानता हूं कि यह संख्या आप कहेंगे कि बहुत कम है। जैसा मैंने कहा, आपके कथन में कोई विवाद करने की आवश्यकता हमें नहीं।

जो ३८ लाख रुपये अगले वर्ष हम अधिक व्यय करने जा रहे हैं, उसका ब्योरा भी पेज २, ३, ४ और ५ पर मोटे तौर से दे दिया गया है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि सन् १९५३-५४ के निर्माण कार्य की महत्वपूर्ण मदों पर २७,०९,७०० रु० है। नया व्यय लखनऊ मेडिकल कालेज के विस्तार पर, सरोजनी नाइडू मेडिकल कालेज, आगरा के विस्तार पर लखनऊ के हजरतगंज अस्पताल के विस्तार पर, देवरिया में जो एक नया अस्पताल बन रहा है, उसके विस्तार पर, चिकित्सा सुविधा के विशेष उपायों पर, राज्य में रोग शय्याओं की संख्या बढ़ाने पर, खासकर गोंठिया और जहांगीराबाद में निवारक शय्याओं के बढ़ाने पर तथा जौनसार बाबर में गुप्त रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था पर होने जा रहा है।

चिकित्सा की शिक्षा के लिये दोनों मेडिकल कालेजों की आवश्यकतायें हम हमेशा पूरी करने की कोशिश करते हैं। हमारी सदैव चेष्टा रही है कि ये हमारे प्रदेश के दो मेडिकल कालेज उन तमाम आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से परिपूर्ण हो जायं, जिनके पढ़ने के लिये, जानने के लिये और ज्ञान प्राप्ति के लिये हमारे विद्यार्थी विदेश जाते हैं। इन विद्यालयों में उच्च प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। इस वर्ष से हमने इनके अन्तर्गत जो प्री-मेडिकल टेस्ट हुआ करता है, उसमें एक तब्दीली की है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि प्रति वर्ष जिन लड़कों को मेडिकल कालेज में अपना दाखिला कराना पड़ता था वे प्रायः दोनों मेडिकल कालेजों के प्री-मेडिकल टेस्ट में बैठा करते थे। लखनऊ के मेडिकल कालेज में वे प्री-मेडिकल टेस्ट के इम्तहान में बैठते थे और उसकी फीस भी जमा करते थे और फिर आगरा के मेडिकल कालेज में भी वे बैठते थे, वहां की भी फीस जमा करते थे। इस तरह से उन्हें एक ही समय में दो दो जगहों पर फीस जमा करनी पड़ती थी और दो दो दफा इम्तहान देना पड़ता था। गर्मी के जमाने में उन्हें ऐसा करना पड़ता था जिससे उन्हें काफी असुविधा होती थी। इस वर्ष हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, इसके मेडिकल कालेज के मेडिकल फैकल्टी के डीन, आगरा मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल और अपने डाइरेक्टर की सलाह से यह निर्णय किहुया है कि अब इन दोनों संस्थाओं का प्री-मेडिकल टेस्ट का इम्तहान एक ही आ करे और वह दो स्थानों पर लिया जावे, यानी मेडिकल कालेज, लखनऊ मेंउसका इम्तहान हो और साथ ही आगरा भी। लेकिन विद्यार्थियों को जो उस इम्तहान में सम्मिलित होंगे, एक ही फीस देनी होगी औरपरचे भी, जो इम्तहान के होंगे, एक ही होंगे। इस इम्तहान का इन्तजाम उसका स्टैन्डर्ड, परी कों की नियुक्ति आदि डाइरेक्टर और दोनों मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपल का एक बोर्ड क्षकिया करेगा। इसके सेक्रेटरी या रजिस्ट्रार लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहा करेंगे। माननीय सदस्य यह

अनुभव करेंगे कि इससे विद्यार्थियों को काफी सुविधा प्री मेडिकल टेस्ट के एक्जामिनेशन में मिलेगी। मैंने अभी यह सदन के सामने इतना कहा कि हमारी यह चेष्टा रही है कि हम इन कालेजों को अधिक से अधिक रुपया दें और उनमें वे इक्वीपमेंट और लेब्रोटरीज जो विदेशों के मेडिकल कालेजेज में हैं, वह शीघ्रता से कायम हो जावें। माननीय सदस्यों को यह भी भलीभांति ज्ञात है कि आज से पांच वर्ष पहले हमने यह निर्णय किया था कि आगरे में एक नये मेडिकल कालेज का निर्माण किया जायगा। परन्तु दुर्भाग्यवश जितने रुपये .की उस नये मेडिकल कालेज में व्यय करने की हमें आवश्यकता थी, हमारे पास नहीं थे। इसलिये हमें अपनी उस योजना को तब्दील करना पड़ा। अब यह फैसला किया है कि मौजूदा आगरा मेडिकल कालेज की इमारतों में ही तब्दीली करके वहां नयी लेब्रोटरियां २५ लाख रुपया व्यय करके उसे एक प्रथम श्रेणी का कालेज बना दें ऐसा कालेज जैसा कि लखनऊ का मेडिकल कालेज है और जैसे कि और प्रदेशों में और मेडिकल कालेज हैं। हमने एक पंचवर्षीय योजना आगरे के मेडिकल कालेज की उन्नति के लिये बनायी है। उसके अन्तर्गत इस वर्ष भी हमने रुपया रखा है, जिससे वहां नये-नये ब्लाक्स और नयी-नयी लेब्रोटरीज शीघ्रता के साथ कायम हो जायं। हमने इन वर्षों में इस बात की चेष्टा की है कि हमारे प्रदेश में जो साधनयुक्त आयुर्वेदिक कालेज हैं, उन पर हम अधिक धन व्यय करें। पिछले वर्षों में भी उनकी सहायता करते रहे हैं। इस वर्ष हमने उनको मिलने वाली सहायता में काफी वृद्धि की है। करीब-करीब उनकी ग्रांट्स को दुगुना कर दिया है और अगले वित्तीय वर्ष में हम उनके अनुदानों को उसी प्रकार से दुगुना करने जा रहे हैं। हमारी यह चेष्टा है कि इन विद्यालयों का स्तर ऊंचा किसी तरह से किया जाय, उनके पास भी आधुनिक ढंग की लेब्रोटरियां हों और शिक्षक भी आधुनिक ढंग के हों, वहां के निकले हुये विद्यार्थी दुखी जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें और साथ ही उस ज्ञान को भी अपने साथ लेकर के जायं जो आधुनिक दुनिया में प्रचलित है जिसने आविष्कार की दुनिया में और अनुसंधान की दुनिया में दुखित और पीड़ित मनोवृत्ति के लिये बहुत कुछ किया है। हमने अगले वर्ष के बजट में बनारस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो आयुर्वेदिक कालेज है उसकी ग्रांट में वृद्धि की है। हम यह चाहते हैं कि बनारस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो आयुर्वेदिक कालेज चल रहा है उसकी भी लेब्रोटरियों में सुधार किया जाए, जो आधुनिक ढंग की नहीं है और जिसमें कार्य करने के लिये शिक्षकगण अभी आधुनिक ढंग की शिक्षा पाये हुये नहीं हैं। वह तभी संभव हो सकता है जब कि इस विश्वविद्यालय की ग्रांट में भी वृद्धि की जाय। इस वर्ष जो रेकरिंग ग्रांट हम बनारस विश्वविद्यालय को दिया करते थे, उस में २५ हजार रुपये की वृद्धि की है।

एक लाख रुपये की एक नान-रिकरिंग ग्रांट भी हमने उस कालेज को देने का प्रयत्न किया है। हमारी चेष्टा है कि तीन चार वर्षों में यह कालेज प्रदेश का प्रथम श्रेणी का कालेज बन जाय।

हमने चार वर्ष पहले यह निर्णय किया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक आयुर्वेदिक कालेज इस तरह का बनायें कि जिसमें विद्यार्थी आयुर्वेद के ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त करें। इस संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय में बी० एम० बी० एस० का एक कोर्स प्रारम्भ किया था। लेकिन अनुभव ने ऐसा बताया कि दोनों कोर्स एक ही प्रकार के शिक्षकों के हाथ में देकर हम उस प्रगति को जिसे हम अपनी नजरों के सामने देखना चाहते थे, नहीं प्राप्त कर पाये हैं। इसलिये हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से यह निवेदन किया है कि वे आयुर्वेद की एक प्रथम फैकल्टी इस वर्ष से अलग से स्थापित करें और उसके अन्तर्गत आयुर्वेद कालेज जिसकी स्थापना लखनऊ के किंग इंगलिश हास्पिटल में हो जिसके सुधार के लिये इस वर्ष भी हमने रुपया खर्च किया है और जिसकी उन्नति के लिये हम अगले वर्ष भी और रुपया खर्च करने जा रहे हैं। इसका इन्तजाम डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ ऐंड मेडिकल सर्विसेज के अन्तर्गत हो और उसका खर्चा सीधे सरकार की तरफ से होगा। विद्यार्थियों को

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

नान-क्लिनिकल विषयों की शिक्षा तो विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज के अन्तर्गत पायेंगे और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की शिक्षा इस नये आयुर्वेद कालेज के अन्तर्गत मिलेगी। हमें आशा है कि वे असुविधायें जो बी० एम० बी० एस० कोर्स के विद्यार्थियों को अक्सर झेलनी पड़ी हैं, उनका उन्हें सामना न करना पड़ेगा। यह शिकायत भी कि डाक्टर लोग एम० बी० बी० एस० के विद्यार्थियों को तो अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं और बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थियों के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार करते हैं इस कालेज के स्थापित होने पर मिट जायेगी। यह भी आशा है कि दोनों विद्यालय विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ठीक से कार्य कर सकेंगे।

हमने इस वर्ष जैसा मैंने कहा, २५ नये अस्पतालों और औषधालय भी खोलने का प्रबन्ध किया है और उनके लिये करीब डेढ़ लाख रुपये की रकम रखी है।

जहां तक आंखों के इलाज का संबंध है, माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि इन चार पांच वर्षों में इस क्षेत्र को भी हमने काफी विस्तृत किया है। दो बड़े-बड़े अस्पताल, जो हमारे प्रदेश में स्थापित हैं सीतापुर और अलीगढ़ में हैं, किस प्रकार से इस प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। इस सदन के सदस्यगण अच्छी तरह उन बातों को जानते हैं। इसके साथ-साथ हमने चिकित्सा के इस कार्य को आगे बढाने के लिये आपथल्मिक कौंसिल का निर्माण किया है, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ हैं। अब नेत्र चिकित्सा का कार्य इस कौंसिल की सहायता और सलाह से इस प्रदेश में चलेगा। इसके लिये भी हमने अगले वर्ष के बजट में उस धन में जिसे हम प्रतिवर्ष डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ ऐंड मेडिकल सर्विसेज के द्वारा व्यय किया करते थे वृद्धि की है। ७५ हजार रुपये अब हमने उनको इस कार्य के लिये अपने बजट में प्रदान किया है। इन वर्षों में हमारी यह भी चेष्टा बराबर रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संघ से सहायता लेकर ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, जिन्हें हम मौजूदा कोष के अन्तर्गत बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इस वर्ष हमने विश्व संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय संघ के इस बालकोष से मदद लेकर एक योजना तैयार की है कि हम अपने प्रदेश में २०० नये मैटरनिटी सेन्टर्स की स्थापना तीन वर्षों में कर लें। इस कार्य में करीब २९ लाख रुपया खर्च होने वाला है। स्वास्थ्य संघ ने हमें करीब १६ लाख की सामग्री और इक्विपमेंट और दूसरा सामान देने का वायदा किया है। इस कारण से हमने अपने बजट में ३ लाख का रेकरिंग खर्चा और बढ़ाया है जिससे हम अगले वर्ष में ६६ और अगले वर्ष में ६७ और उससे अगले वर्ष में ६७ मैटरनिटी सेंन्टर्स देहाती क्षेत्रों में स्थापित कर लें। उनकी स्थापना अस्पतालों के नजदीक या अस्पतालों में ही करने की चेष्टा की जायगी।

माननीय सदस्य इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देहाती क्षेत्रों में मैटरनिटी सेंन्टर्स अभी बहुत कम हैं और उनके न होने के कारण हमारी माताओं और बहिनों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और देहाती क्षेत्रों में रहने वालों को विशेष रूप से काफी असुविधा होती है। इसके निवारणार्थ हमने यह योजना प्रारम्भ की है और इसके लिये हम मैटरनिटी सैन्टर्स की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। इस समय २३९ मैटरनिटी सैन्टर्स हमारे यहां कार्य कर रहे हैं। इनमें से बहुत से मैटरनिटी सैन्टर्स तो हमारी प्रदेशीय सरकार के अन्तर्गत चल रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हमारी नगरपालिकायें चला रही हैं और उनका खर्च वही बरदाश्त कर रही हैं।

हमने इन वर्षों में यह भी कोशिश की है कि क्षय रोग के निवारणार्थ हमारे प्रदेश में अधिक बेड्स की स्थापना हो। सरकार की ओर से कायम सैनेटोरियम और नान-आफीशियल एजेंसीज के द्वारा कायम सेनेटोरियम में करीब ८६५ शैया हैं। किन्तु हम जानते हैं कि हमारे इस प्रदेश में ५० हजार के करीब व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिये ८५० या ८६५ शैया क्या काफी हैं? हम जानते हैं कि यह शैया बहुत नाकाफी हैं। इसलिये हम इस बात का कई वर्ष से प्रबन्ध करते आ रहे हैं कि इनमें उत्तरोत्तर बढ़ती की जाय। इस वर्ष हमने भुवाली सैनोटोरियम में २८ फ्री बेड्स के स्थान पर अब ९८ फ्री बेड्स कर दिये

हैं। इसके अतिरिक्त एक क्षय रोग का अस्पताल गेठिया में कायम किया है। वहां पर ५० बेड्स हैं। अगले वर्ष में हम जहांगीराबाद में २५० बेड्स का एक क्षय रोग अस्पताल कायम करने जा रहे हैं किन्तु इन दोनों अस्पतालों की स्थापना हमारी समस्या को हल्का करने वाली नहीं है। इसलिये अगर हम चाहते हैं कि अधिक संख्या में हमारे प्रदेश में क्षय रोग निवारणार्थ सैनेटोरियम कायम हों, तो अधिक धन एकत्र करना होगा। विदेशों में इन कार्यों के लिये धन प्राइवेट चैरिटी द्वारा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें अपने प्रदेश में ऐसी चीज को चलाने के लिये इतना धन नहीं मिल रहा है और जैसा कि हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में भी हम अधिक धन इन सैनेटोरियम की स्थापना के लिये अपने बजट के अन्तर्गत निकाल नहीं सकेंगे। इसलिये हमारी सबकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि अधिक संख्या में सैनेटोरियम की स्थापना हो तो हमें ऐसे उपाय ढूंढ़ने पड़ेंगे जिनसे हम अधिक धन संचय कर सकें।

विदेशों में तो जैसा मैंने अभी कहा प्राइवेट चैरिटी और लाटरीज इत्यादि की मदद से इस प्रकार की संस्थायें स्थापित की जाती हैं। हमारे यहां भी कई मर्तबा इस प्रकार के सुझाव आये हैं। एक सुझाव तो हमारे पास यह आया है कि हम हेल्थ सील्स प्रारम्भ करें। उन्हें हर अस्पताल में रखकर बेंचें और जितना उस अस्पताल के अन्तर्गत रुपया इकट्ठा हो, उसे उसी अस्पताल में व्यय करें। इससे संभव है कि हमारे अस्पतालों की अवस्था सुधर जाय और उन्हें अधिक पैसा मिल जाय। जहां तक इस सुझाव का संबंध है सरकार उसे स्वीकार करने जा रही है और उसके ऊपर अगले वर्ष से अमल करेगी।

दूसरा सुझाव लाटरी के चलाने का भी हमारे सामने रक्खा गया है। इस सदन की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर विचार किया है और अधिकांश सदस्यों की यह राय है कि जिस तरह से विदेशों में लाटरीज के द्वारा रुपया इकट्ठा किया जाता है उसी तरह से हमें अपने प्रदेश में भी लाटरीज की स्थापना करनी चाहिये। यह विषय कुछ विवाद का विषय है। हमारे साथियों में इस पर कुछ मतभेद है। कुछ नैतिक बातों को सामने रखकर इस विषय पर कुछ अधिक बातें करना नहीं चाहते हैं और अधिकांश ऐसे हैं जिनकी राय है कि यदि हम अस्पतालों के निर्माण के लिये अस्पतालों में लाटरीज चालू करें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम बहुत अनैतिक कह सकें। मैं नहीं जानता कि सदन के सदस्यों की क्या राय है। यह सुझाव हमारे सामने आये हैं। मैंने इन सुझावों को सदन के सामने इसलिये रख दिया कि सदन के सदस्यगण इन पर विचार करें और अपना मत प्रगट करें। जब वे विभिन्न प्रकार के सुझाव बजट के सिलसिले में इस सदन में उपस्थित करें तो वे इन पर भी अपने मत प्रकट करें।

मैं कह रहा था कि विभिन्न प्रकार के रोगों के इलाज के लिये प्रदेश की सरकार ने बराबर रुपया बढ़ाया है। हमने मलेरिया को रोकने के लिये जो योजना २४ जिलों की बनाई है वह आपके नजर के सामने से गुजर चुकी है। उसके अन्तर्गत हम प्लानिंग डिपार्टमेंट, पी० आर० डी० एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट और पंचायतों से मदद ले रहे हैं। इस तरह से मलेरिया जो हमारे प्रदेस में काफी तेजी से फैला हुआ था, उसे रोकने की चेष्टा में हम लगे हुये हैं। इस सदन के सदस्यगण जानते हैं कि मलेरिया से जो लड़ाई तराई-भाबर में लड़ी गई है, उसमें कितना फायदा उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को पहुंचा है। वह क्षेत्र जहां लोग बसना नहीं चाहते थे, आज वहां कितनी संख्या में बसने की चेष्टा कर रहे हैं। बिलासपुर और तराई-भाबर में जो मलेरिया निरोधक कार्य किया गया है वह सराहनीय है। हमारे प्रदेश में अब जो हमने योजना तैयार की है उससे २४ जिलों में मलेरिया से लड़ने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है। इस ओर भी हमने अगले साल के बजट में अधिक रुपया रखने की चेष्टा की है।

हमने कालरा से इस प्रदेश में जिस तरह लड़ाई लड़ी है उसका वर्णन भी पुस्तिका में कर दिया गया है। अब कालरा से मृत्यु, जहां तक मेलों का संबंध है, बिलकुल खत्म सी हो

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

गई हैं। माननीय सदस्यगण जानते हैं कि किस तरह से हर मेले में कम्पल्सरी इनौक्यूलेशन करके मेलों से वापस जाने वालों को जो कालरा में फंस जाया करते थे, उन्हें कालरा में फंस जाने से रोका गया है और उसका नतीजा यह हुआ है लोग उतनी संख्या में अब नहीं मरते जितने कि पहले ।

हमने कालाजार रोग से भी लड़ने के लिये पूर्वी जिलों में प्रयत्न किया है और हमारे प्रदेश के नवयुवक वहां इसके लिये काम कर रहे हैं।

प्लेग कैसे होता है और उसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके अन्वेषण के लिये "वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन" की तरफ से देवरिया में एक लेबोरेटरी कायम की गयी है और वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के एक विशेषज्ञ उसमें कार्य कर रहे हैं। पूर्वी जिले किस प्रकार से प्लेग के शिकार होते हैं, इस बात को मुझे यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, पूर्वी जिलों के सदस्यगण जो इस सदन में हैं अपनी दिक्कत का अहसास काफी अच्छी तरह से करते हैं। उनके बीच में अब हम इस प्रकार की लेबोरेटरी कायम करके इस बीमारी से भी लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तरोत्तर जितनी हमारे बजट में वृद्धि होती जाती है उतने ही उन्नतिशील साधन हम अपनाते जाते हैं, जो विज्ञान के द्वारा दूसरे देशों को प्राप्त हैं। इस कार्य में खामी है, कमजोरी रही है, इसे मैं स्वीकार करता हूं और उसमें धन का अभाव एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ज्यों-ज्यों हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है, ज्यों-ज्यों हमारी पैदावार बढ़ती जा रही है, हमारा विश्वास है कि त्यों-त्यों हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने प्रदेश में लड़ सकेंगे।

हमारा प्रदेश अपने देश के प्रदेशों में सबसे बड़ा है; इसने बहुत कार्यों में अगुआ का कार्य किया है और हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उसका कार्य अगुआ का कार्य हो। वह तभी हो सकता है, जब जैसा कि मैंने अभी कहा हम आमदनी बढ़ावें और आमदनी बढ़ाने के अलावा सरकारी कोष को बढ़ाने के वे जरिये भी अख्तियार करें जो दूसरे देशों में अपनाये जाते हैं, यानी प्राइवेट चैरिटी वगैरा के जरिये। मैं सदन के सदस्यों से इसलिये बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य में वे हमारी सहायता करें और वे विभिन्न प्रकार के सुझाव उपस्थित करें, ताकि हम इस विभाग की आमदनी को बढ़ा सकें और इस अनुदान में वृद्धि करने के लिये अपने प्रदेश में वह वातावरण पैदा करें जिससे हमारे प्रदेश के ऐसे व्यक्ति, जिनके पास धन है और जो उस धन को सेवा के कार्य में व्यय करना चाहते हैं,वे अस्पतालों का निर्माण करके, अस्पतालों में शैयायें स्थापित करके तथा अस्पतालों की दूसरी जरूरियात को पूरी करके अस्पतालों की संख्या को बढ़ा सकें, तथा हमारे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकतायें हैं उनको पूरी कर सकें। आज हमने जो बजट प्रस्तुत किया है वह ४ करोड़ १४ लाख रुपये का है जब कि हमारे प्रदेश की जन संख्या ६ करोड़ ३५ लाख है। हमारे प्रदेश की जितनी आबादी है और उस आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिये जो हम खर्च करते हैं, यदि हम उसका मिलान करते हैं तो हमें शर्म आती है क्योंकि हम प्रदेश की जनता के लिये प्रति व्यक्ति एक रुपया भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं।

हमने कानपुर में मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जो स्वास्थ्य बीमा कायम किया है, वह साउथ-ईस्ट एशिया में अपने ढंग की पहली ही चीज है। लेकिन उससे हम एक लाख मजदूरों का ही भला कर पा रहे हैं। हमें इस प्रदेश के और स्थानों के भी और मजदूरों का भी भला करना है। परन्तु वह भला हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास अधिक धन हो।

मैं अधिक और आपका समय न लेते हुये आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हमारे इस अनुदान का संबंध है उसमें हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे हैं, किन्तु उतनी हम वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं जितनी आपको ख्वाहिश है। वह धन के अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ज्यों-ज्यों हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ती जायगी, हमारे प्रदेश के रहने वालों

का स्तर ऊंचा होता जायगा, त्योंत्यों इस प्रदेश की इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में हम आपके सहयोग से समर्थ हो सकेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को आपकी स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री कमला सिंह (ज़िला गाजीपुर)––अध्यक्ष महोदय, मैं जन–स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भाषण हम लोगों ने बड़े गौर से सुना और साथ ही साथ यह भी देखा कि इस डिपार्टमेंट के मुताल्लिक जो खराबियां हैं या जो-जो कमियां हैं उनको हमारे माननीय मंत्री जी खुद ही स्वीकार कर चुके हैं और पिछले साल भी उन्होंने यह स्वीकार किया था कि रुपया तो हमारे यहां कम है ही लेकिन और भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी है। लेकिन मैं तो यह बतलाना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस हिन्दुस्तान के जितने भी और प्रदेश हैं अगर उनसे भी मुकाबला इस प्रदेश का किया जाय तो इस प्रदेश की हालत बहुत खराब है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश की क्या हालत है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी खुद ही इस सदन में स्वीकार किया है।

जहां तक खर्चे का सवाल है, अगर हम खर्चे की तरफ देखें कि जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग पर क्या खर्च हो रहा है उससे तो मालूम हो जायगा कि इस मद पर हमारे यहां बहुत कम खर्च हो रहा है। मैं दूसरे स्थानों के आकड़े को सुना कर उन आंकड़ों के भेद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन फिर भी यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक चिकित्सा का संबंध है सन् १९५० में हमारे बजट का करीब-करीब ३.८४ प्रतिशत एक्सपेंडिचर (खर्च) था, सन् १९५१ में ३.४८ और सन् ५२ में ३.६२ था और इस साल इसमें थोड़ी सी ही कमीबेशी हुई है। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां तक चिकित्सा का संबंध है हम उस पर पूरा ४ परसेंट भी खर्च नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से जन-स्वास्थ्य पर सन् ४८ में १.९१ प्रतिशत, सन् ४९ में १.७५ प्रतिशत यानी जहां तक जन-स्वास्थ्य का सवाल है अगर उसके एक्सपेंडीचर को भी आप देखें तो जो रुपया उसमें पहले खर्च होता था उसमें भी अब कमी ही करते जा रहे हैं। आप यह जानते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जन स्वास्थ्य के लिये, चिकित्सा विभाग के लिये कई कमेटियां कायम की थीं। खास तौर से भोर कमेटी का बड़ा महत्व रहा है जिसने बहुत से सुझाव दिये लेकिन हमारी सरकार ने उन सुझावों को अच्छा नहीं माना क्योंकि वे उसे अच्छे और प्रोग्रेसिव नहीं मालूम हुये। नतीजा यह हुआ कि फिर एक खेर कमेटी कायम हुई और उसने भी बहुत से सुझाव दिये, लेकिन आज तक मैं देखता हूं कि उस कमेटी ने जो-जो रिकमेंडेशन कीथी उस पर सरकार ने बिलकुल ध्यान तक नहीं दिया और उनके प्रोग्रेस को यदि हम देखें तो वह कछुए की चाल से भी नहीं बल्कि स्नेल की चाल से हो रहा है। स्नेल एक घोंघा होता है जो पानी में रहता है और बहुत धीरे-धीरे चलता है। तो मैं नहीं जानता कि स्नेल की चाल से, हमारी सरकार जो जन स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में तरक्की करना चाहती है वह सौ वर्ष में भी कर सकेगी या नहीं।

लेकिन जहां तक पंचवर्षीय योजना का संबंध है उसकी तरफ भी अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि इस चाल से वह पंचवर्षीय योजना भी शायद एक हजार वर्ष में पूरी हो जाय, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। कुछ खास बातें माननीय मंत्री जी ने बतलायी उनके बारे में ही मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं।

पहला तो यह है कि जहां तक अस्पतालों की आमदनी का सवाल है उसके मुताल्लिक माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि दो तरह के सुझाव उनके सामने बतलाये गये। एक तो यह है कि लाटरी सिस्टम जारी किया जाय और दूसरा यह कि किसी तरह से जनता से चन्दा

[श्री कमला सिंह]

वगैरा इकट्ठा करके अस्पतालों की आमदनी को बढ़ाया जाय। मैं यह समझता हूं कि यह दोनों सबसे निकम्मी चीजें होंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि लाटरी का विदेशों में भले ही प्रचार हो, लेकिन हमारे हिन्दुस्तान जैसे देश में लाटरी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि लाटरी से आमदनी हो। इसके मुताल्लिक मैं यह दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह है कि जहां तक जन स्वास्थ्य और चिकित्सा का संबंध है, यह तो दोनों मेडिकल अफसर और जनता से संबंध रखता है। जहां तक मेडिकल अफसरों का सवाल है मैं यह चाहता हूं कि जितने अस्पताल हैं वहां पर एक खास स्पेशलिस्ट डाक्टर उस विषय का रखा जाय वहां पर जितने लोग जायं उनमें से जो पैसा दे सकते हों उनकी चिकित्सा एक खास तरीके पर की जाय। उन डाक्टरों की फीस तय कर दी जाय वह बस के किराये की तरह चीपेस्ट होनी चाहिये ताकि लोग फीस दे सकें इस तरीके पर हमारे अस्पतालों की आमदनी बढ़ सकती है। इससे इतना ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हमारे जो डाक्टर हों उनका भी इसी बात पर प्रमोशन रखा जाय कि जिसकी पापुलरिटी ज्यादा होगी जनता यह समझेगी कि हमारा डाक्टर है और डाक्टर भी यह समझेगा कि हमको पापुलरिटी पैदा करना है। साथ ही सरकार यह भी देखे कि किस अस्पताल की ज्यादा आमदनी बढ़ी है। इसी के आधार पर उनको प्रमोशन दिया जाय।

दूसरी चीज मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा तादाद रोगियों की होनी चाहिये बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि रोगी चाहे जितने भी हों अच्छे होने वाले की तादाद साल अधिक होनी चाहिये। इससे यह होगा कि चाहे एक साल का डाक्टर हो और चाहे १० का डाक्टर हो उसमें कोई फर्क न होगा, इसमें गणना होनी चाहिये और तब उनको प्रमोशन उनके काम पर देना चाहिये। इसके साथ जैसा भोर कमेटी या खेर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'मैडिकल अफसर जो हैं चाहे वह मेडिकल कालेज में काम करते हों या अस्पताल में काम करते हों उन सब की प्राइवेट प्रैक्टिस रोक दी जाय। मैं इस चीज की ताईद करता हूं। साथ ही हमको यह भी देखना है कि उनकी जो आमदनी है वह इस तरह की होनी चाहिये कि वह अपना खर्चा मीट कर सकें और अपनी और अपने अस्पताल की एफिशियेंसी कायम रख सकें। आप जानते हैं कि जितने जिले हैं जहां अस्पताल हैं वहां पर पब्लिक में प्राइवेट प्रैक्टिशनर बहुत हैं। जिस तरह से वह डाक्टर आपस में कम्पीटीशन करते हैं उसी तरह से इनको भी करना चाहिये। तब अस्पताल की आमदनी बढ़ सकती है, रोगियों की बीमारी अच्छी हो सकती, जन स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है, वह जो आमदनी हो उसमें से कुछ प्रतिशत जैसा भी सरकार चाहे उन डाक्टरों को दे। इस तरीके पर जो अस्पताल के कास्ट (cost) पर प्राइवेट इन्कम होती है वह कम होगी और अस्पताल की कास्ट पर जो नाजायज फायदा उठाते थे वह नहीं हो सकेगा और बड़े-बड़े लोग जो यह उम्मीद करते हैं कि उन पर विशेष ध्यान दिया जाय तो वह भी उनकी आमदनी का खयाल कर सकेंगे। इससे जनता का भला होगा, डाक्टर और अस्पतालों की एफिशिएन्सी और वर्किंग अच्छी होगी और यह तरीका भी अच्छा समझा जायगा।

जहां तक लाटरी का सवाल है मैं यह चाहता हूं कि पब्लिक लाटरी का कार्य आप इसलिये करना चाहते हैं कि कुछ पैसा मिल जाय। मैं तो यह समझता हूं कि जन स्वास्थ्य विभाग और जनता के स्वास्थ्य से यह संबंध रखता है। जितना भी रुपया खर्च किया जाता है इस मद में वह उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने केये लि खर्च किया जाता है। मैं यह ख्याल करता हूं कि अगर इसके लिये दंगल करें तो उससे रुपया आ सकता है और टैक्स या टिकट लगाने से जो रुपया आवे उसको आप इस काम के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत सुन्दर होगा। क्योंकि मैं यह देखता हूं कि पूर्वी जिलों में दंगल के नाम पर ज्यादा आदमी वहां पर आ जाते हैं। जन स्वास्थ्य विभाग का यह काम है कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को स्वस्थ बनाये। इस कारण जहां तक स्वास्थ्य का ताल्लुक है उसके लिये दंगल किया जाय और दंगल आजकल बहुत चल रहा है और इससे ज्यादा आदमियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि वह खुद भी यह समझेंगे कि यह उनका ही काम है।

जनता का स्वास्थ बनेगा उसकी तरक्की होगी और इससे अस्पताल की आमदनी भी बढ़ सकती है और लोगों को फायदा भी इस तरीके पर मिल सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने डी० डी० टी० ड्राइव के बारे में बतलाया कि जहां तक पहाड़ी जिलों का सवाल है वहां पर इससे बहुत फायदा है। वहां पर इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं मानता हूं कि इसकी इम्पार्टेंस बहुत है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं और इसके डिसप्यूट में भी मैं नहीं पड़ना चाहता कि उस से कोई लाभ नहीं है लेकिन जहां तक अभावग्रस्त क्षेत्रों का सवाल है मैं आप को बतला सकता हूं और मुझे गाजीपुर जिले का तजुरबा भी है कि वहां पर इस विभाग से कोई लाभ नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता कि वहां दवा गई या नहीं। क्या बात है? लेकिन गाजीपुर शहर में अगर आप वहां कभी गये हों तो रहने का मौका मिला होगा तो आप को तजुरबा हुआ होगा कि वहां इस कदर की मासकिटोज की ज्यादती है कि रात को सोना कठिन हो जाता है। मैं समझता हूं कि जितनी दिलचस्पी से माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं और जितना इन्टरेस्ट ले रहे हैं उतना वहां के मेडिकल या स्वास्थ्य विभाग के अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वह भी इतनी ही तवज्जह करें तो प्रदेश की बहुत भलाई होती और लोगों की अधिक सेवा हो सकती है।

एक चीज और है वह यह कि जहां तक जिलों का सवाल है वहां पर प्रत्येक अस्पताल में सिविल सर्जन रखे जाते हैं और पहले वह जेल के सुपरिंटेंडेंट भी होते थे और उस वक्त उन के पास काम बहुत ज्यादा होता था और वह स्वास्थ्य के काम को नहीं देख सकते थे लेकिन अब जेल सुपरिन्टेंडेंट अलग हो गये हैं और सिविल सर्जन से यह काम ले लिया गया है। ऐसी हालत में मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ जो होते हैं उनके पद को एबालिश कर के सिविल सर्जन के अन्डर में किया जाय तो काफी भलाई हो सकती है, काफी पैसे की बचत हो सकती है जितने भी अस्पताल हैं उनके इन्सपैक्शन का काम खास कर जो एलोपैथिक अस्पताल हैं उन सबका सिविल सर्जन को दिया गया है। ऐसी हालत में केवल आयुर्वेदिक हासपिटल्स के लिये मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ का जिलों में रखना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है बल्कि जो ग्रेड उनको दिया जाता है उससे कम ग्रेड के आदमी उस काम को कर सकते हैं और यह जो रुपया फजूल खर्च हो रहा है उसकी बचत हो सकती है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चारों तरफ एडल्ट्रेशन (मिलावट) की वजह से हमारी सरकार और जनता सभी परेशान हैं। हम देखते हैं कि आप करते क्या हैं। वह सेनिटरी इन्सपैक्टर और वैक्सीनेटर वगैरा कहीं किसी दूध वाले को या तेल वाले को या खोंचे वालों को पकड़ लेते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि दिनों दिन एडल्ट्रेशन बढ़ता जाता है और फाइन वगैरा की जो उनसे आमदनी है वह दिनों दिन बढ़ती जाती है। मैं चाहता हूं कि इस तरह से आप इस चीज को और निकम्मा बनाने की कोशिश न करें बल्कि इस तरह के ड्राइव आप अपने यहां चलावें कि जिस तरह से रेलवे में चलता है। एक जमाना था कि लोग बिला टिकट चला करते थे और बड़ी परेशानी थी सब लोग वहां पैसा बनाने की फिक्र में रहते थे, लेकिन जब से वहां ड्राइव शुरू किया गया और इसके लिये अलग से मैजिस्ट्रेट वगैरा चलने लगे तब से यहां वह चीज एक दम गायब सी हो गई। इसी तरह से अगर आप के यहां भी ड्राइव चले तो यह चीज दूर हो सकती है। इसी तरह से अगर हमारे सेनिटरी इंसपेक्टर्स और वेक्सीनेटर्स एक ड्राइव कायम करें तो उससे लोग तंग आ जायेंगे और किसी की हिम्मत फिर एडल्ट्रेशन करने की न होगी और इससे देश का कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे अस्पतालों में जो औषधि की कमी है उसको दूर करने की कोई तरकीब निकालें। अव्वल तो अस्पतालों की संख्या

[श्री कमला सिंह]

ही बहुत कम हैं और वहां भी बहुत से गरीब लोगों की दवा न पा सकने के कारण मौत हो जाती है। जहां तक बच्चों की मौत का सवाल है हमें जो चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य विभाग के कार्य-विवरण के परचे मिले हैं अगर उसमें १७ पेज पर नकशा देखा जाय तो मालूम होगा कि सन् ४९ से ५१ तक बच्चों की मृत्यु संख्या बहुत बढ़ गई है और जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा कि क्षय रोग का प्रबन्ध किया जा रहा है लेकिन मैं तो माननीय मंत्री जी से रनिङ्ग हास्पिटल्स की बात सुनना चाहता था, यहां यू० पी० में रनिंग हासपिटल्स की जरूरत है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करें और जब कभी कहीं एपिडेमिक्स वगैरा फैलें तो वह वहां जा कर सुइयां देने का इन्तजाम करें और जिन दिनों में कोई महामारी न रहे तो वह दवा बांटने का काम घूम कर किया करें। इससे उन गरीब किसानों को लाभ होगा कि जिन की दवा न मिलने से मृत्यु हो जाती है और इन अस्पतालों के द्वारा उनकी रक्षा आप कर सकते हैं। और जो आज शिकायत है कि एपिडेमिक्स जब बन्द होने को चलता है तब स्वास्थ्य विभाग वाले जागते हैं और अपना कार्य शुरू करते हैं यह भी दूर हो सकती है।

अभी एक चीज मुझे और कहनी है माननीय मंत्री जी ने जितनी बातें एलोपैथिक तरीके के अस्पतालों के मुताल्लिक कही उतनी आयुर्वेदिक अस्पतालों का जिक्र नहीं किया लेकिन यह बराबर देखा जा रहा है जहां तक आयुर्वेदिक और युनानी का ताल्लुक है वहां उनकी अवहेलना विमाता की तरह की जा रही है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मंत्री जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सचमुच मंत्री जी ने अपने विभाग को जिस खूबसूरती के साथ उन्नति के रास्ते पर खड़ा कर दिया है उसकी सराहना किये बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। चिकित्सा के संबंध में उन्होंने लखनऊ मेडिकल कालेज और आगरा कालेज को जिस पैमाने पर ले जाने का प्रयास किया है वह सराहनीय है। देशीय चिकित्सा के संबंध में जिस तरह का कालेज वह लखनऊ में बनाना चाहते हैं वह भी सराहनीय है। लेकिन यह सब कुछ होते हुये भी मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता था कि जब इस साल का बजट बना तो वह उसमें कानपुर के देहात और शहर को बिलकुल भूल गये। एक आशा की जाती थी कि जिस कानपुर में अन्य सुविधायें हैं सन् ४९ से जब कि यह चर्चा थी कि वहां पर चार बड़े अस्पताल हैं, इसलिये वहां आसानी से मेडिकल कालेज चल सकता है। (एक आवाज—वहां तो धनी भी रहते हैं) वहां पर सात लाख साधारण आदमी भी रहते हैं। जरूर बड़े आदमी भी रहते हैं। यह ठीक है। आसानी से वहां पर छोटा-सा मेडिकल कालेज खोला जा सकता था ये चार बड़े अस्पताल शिक्षा के भी काम आते। लेकिन कानपुर के सात लाख लोगों की चिकित्सा के लिये अवैतनिक चिकित्सकों के संबंध में कुल १४ हजार रुपया रक्खा गया है सात लाख आबादी के साधारण चिकित्सा के लिये और जहां पर एक बड़ी तादाद टी० बी० के मरीजों की होती है वहां पर १४ हजार रुपया रखा जाय और केवल २० ही बेड हों तो आप समझ सकते हैं कि कैसे काम चलेगा। यह जरूर है कि आपने बताया कि आपने मजदूरों के लिये अलग इंतजाम किया है और टी० बी० क्लीनिक भी है। मुझे बड़ी खुशी हुई रिपोर्ट में पढ़ कर कि सेंट्रल टी० बी० क्लीनिक को हमारे मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय पहले उसे अधिक से अधिक सहायता और सहयोग लेकर उसे कारआमद बनाने की कोशिश करेंगे जिस वक्त उन्होंने उसका उद्घाटन किया था तो आश्वासन दिया था कि यदि क्लीनिक से संबंधित टी० बी० अस्पताल बनाने के लिये योजना आयी तो दस लाख रुपया देंगे। हम उम्मीद करते थे कि वह रुपया इस बजट में रखा जायगा और कानपुर की जनता और उन कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा टी० बी० अस्पताल बनाने के लिये रुपया संग्रह करने में। उसको बजट में न देख कर मुझे बड़ा दुख

हो रहा है। लेकिन मैं तो मंत्रिमंडल की तारीफ करूंगा, जो उन्होंने कुछ ठोस काम किये हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन आपत्तिजनक विज्ञापनों को कानून द्वारा छपने से रोका है जिसके द्वारा लोगों का और विशेषकर नवयुवकों का स्वास्थ्य भ्रष्ट हुआ करता था।

दूसरी चीज अडल्ट्रेशन की रोकथाम के लिये उन्होंने कानून बनाया है। यह दोनों कार्य ऐसे हैं जिसके लिये वह सराहना के पात्र हैं। मैं उनका उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कुछ इस तरह का प्रबन्ध करते कि आजकल दवाओं में जो मिलावट हो रही है आप देखिये कि बाज-बाज दवाओं की शीशियां उन दवाओं के चौथाई दाम पर, केवल खाली शीशियां बिक रही हैं। कुछ गुन्डे टाइप के लोग नकली चीज भर कर दवाओं में दे रहे हैं। जो अक्सर मरीजों के लिये घातक साबित होती है। इस संबंध में कानून बनाने का भी अगर आप इन्तजाम करते तो वह बड़ी सराहनीय बात होती। मैं उनसे यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर में बड़े-बड़े अस्पताल हैं और उन अस्पतालों की दशा संतोषजनक है। यह तो शिकायत नहीं है कि संतोषजनक नहीं है। लेकिन सचमुच उन में रोगियों के व्यवहार की चीजों की बड़ी कमी है और दूसरी कमी यह कि दवाइयों की कमी है, मरीजों को जो खाने को दिया जाता है उसकी कमी है, कपड़े की कमी है, नर्सों के पास ऐपरन तक पूरे नहीं है, चादर बिछाने के लिये भी पूरी नहीं है। इन चीजों की कमी अगर आप पूरी कर सकें तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा जरूरी काम पूरा होगा।

आप इस प्रदेश में २०० जच्चा बच्चा अस्पताल खोलने जा रहे हैं और आपने बताया कि इस साल ६६ खोलेंगे। मेरी विनम्र शब्दों में प्रार्थना है कि जच्चा बच्चा अस्पताल देहातों में खोलें। शहरों में तो दाइयां हैं, नर्सें हैं, डाक्टर मिल जाते हैं लेकिन देहातों की बहुत दिनों से उपेक्षा की गयी है। कानपुर के देहात तो बजट में इस बुरी तरह से उपेक्षित किये गये हैं कि न तो एक इंच सड़क का, न स्कूल का, न एक इंच नहर का इन्तजाम है, न अस्पताल का इन्तजाम है, किसी चीज का जिक्र वहां के लिये नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि बजाय शहर के कानपूर के देहात में जच्चा बच्चा के अस्पताल खोले जायं। अन्त में मैं बधाई देते हुये आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देंगे।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (जिला कानपुर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय ! मैं आपके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री जी का जो आज बजट पेश हुआ है उसके लिये बधाई देता हूं और उसकी प्रशंसा करता हूं और मैं समझता हूं कि वह जिस क़दर कर रहे हैं वह ठीक है। मैं दोहराना नहीं चाहता, जितना उन्होंने किया है वह सब ठीक ही है; आई डिजीजेज और ऐंटी मलेरिया और जो जो हो रहा है वह सब उचित है लेकिन जितना व्यय इस स्वास्थ्य के लिये हो रहा है वह बहुत कम है। हमारी सारी प्लानिंग जो कुछ है वह मैन पावर पर है, जनसंख्या पर है। अगर हम उनके स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते, अगर हम उनको बीमारियों से नहीं बचा सकेंगे तो हमारे सब प्लानिंग कामयाब होने मुश्किल हो जायेंगे। हमारी योजना धन के ऊपर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग स्वस्थ रहें और अपना काम खुद कर सकें, प्लानिंग कर सकें, अपना कार्य कर सकें, अपने को तन्दुरुस्त रखें, तभी हमारी कामयाबी होगी।

आप देखेंगे कि सन् १९४५ में जो हमारा कुल बजट था उस का ५ परसेंट हमारा हेल्थ का बजट था। लेकिन अब सन् ५३-५४ में ५ परसेंट से जो हमारा टोटल बजट है उस से कम आता है। हम यह मानते हैं कि पर कैपिटा पहले ४ आना क़रीब पड़ता था लेकिन अब १० आने के क़रीब पड़ता है, लेकिन जितनी खर्चे की मदों में वृद्धि हुई उसके हिसाब से इसमें बहुत कमी है। भोर कमेटी की रिपोर्ट सदन ने देखी होगी उसके अनुसार टोटल बजट का १५ परसेंट हेल्थ पर खर्च होना चाहिये। तो ५ और १५ में तो बड़ा अन्तर है। हमारे प्रान्त का आधा हिस्सा जिसको ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कहते हैं उसमें काफी बीमारियां हैं और रुपये की सख्त जरूरत है।

[डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी]

तो किसी न किसी तरह से बजट में वृद्धि करने की खास जरूरत है। इस बजट में असाधारण व्यय भी सम्मिलित है। १२ लाख तो कुम्भ मेले के लिये और १४ लाख मलेरिया का है। अगर यह रुपया इसमें से निकाल दिया जाय तो और भी कम हो जायगा। आपने जो आमदनी के जरिये बतलाये हैं उसको नैतिक सिद्धांत के लोग ही बतला सकते हैं कि वह साधन ठीक है या नहीं कूल मस्तिष्क से सोच कर के इस काम के लिये जो एक अच्छा काम है अगर रुपया देते हैं तो दे दें। लेकिन मैं जाहिरा इसमें कोई नुक्स नहीं देखता और हेल्थ वीक मनाना तो जरूरी सा है और इसे तो मनाना ही चाहिये और हर जगह वास्तव में सारे डिपार्टमेंट को उसमें शामिल हो कर कोशिश करनी चाहिये। हेल्थ वीक से कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही और कुछ न कुछ तो मिलेगा। सेंट्रल मिनिस्ट्री की सील्स जैसे टी० बी० सील्स शुरू हुई हैं तो यह एक दूसरे से टक्कर खायेगी तो या तो दोनों को मिला कर एक कर दिया जाय या यह हो जाय कि टाइम अलग-अलग हो जाय कि एक महीने के लिये हेल्थ की और फिर टी० बी० सील्स चलें। दूसरी चीज यह कि आनरेरी अस्पताल जैसे कि एक कानपुर में चल रहा है यह एक बहुत अच्छी चीज है और इससे अपने खर्च में फ़र्क पड़ सकता है और यह बहुत ज्यादा मुफ़ीद हो सकता है। लेकिन यह एक एक्सपरिमेंटल चल रहा है। एक्सपरिमेंटल चीज जरा लोग कम पसन्द करते हैं और मैं समझता हूं कि काफी लोग ऐसे हैं कि यह समझते हैं कि यह मुनासिब नहीं है लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं है और मैं समझता हूं कि साल भर के तजुर्बे के बाद आप यह समझेंगे कि यह तजुर्बा ठीक साबित होगा। लेकिन यह चीज सिर्फ थोड़े ही जिलों में चल सकती है। इसलिये यह आनरेरी सिस्टम अपने यहां अभी बहुत कम है। और-और जिलों में आनरेरी डाक्टर्स नहीं हैं। कुल डाक्टर्स अपने प्रान्त में ५७ हैं तो सारे प्रदेश भर में ५७ डाक्टर्स तो काफी नहीं हैं दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता था और पहले भी कहा था कि यह प्राइवेट प्रैक्टिस कम करनी चाहिये लेकिन इस बजट में इसका कोई इशारा नहीं देखता। कम से कम बड़े-बड़े लोगों की और प्रोफ़ेसरों की तो कम होनी ही चाहिये लेकिन उसके साथ जरूरी है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी और उनके नुक्सान को पूरा करना होगा। दूसरे यह कि जो एज लिमिट है जितने कि बड़े-बड़े टेकनीशियंस हैं उनकी रिटायरिंग एज लिमिट कम है। इनकी एज लिमिट कम से कम ६० साल होनी चाहिये और इसके बाद कम से कम पांच साल सुपरन्युऐशन टाइम होना चाहिये। रिसर्च के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रिसर्च जो कि आज स्टूडेंट्स के मार्फत होता है वह ठीक नहीं है। रिसर्च कैडर एक अलग होना चाहिये और बड़े-बड़े लोग रिसर्च करें। टी० बी० में मैं एक चीज यह कहने वाला था और इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिये भी एक सुझाव मैंने दिया है कि फैजाबाद में बहुत जमीन पड़ी हुई है और जगहों पर भी मिलिटरी के कैम्प्स खाली हो गये हैं। फैजाबाद में तमाम मकानात बने हुये हैं। वहां अगर आप टी० बी० का सैनेटोरियम या रीहैबिलिटेशन सेंटर खोल दें और ऐसी जगहों से जहां कि मर्ज बहुत बढ़ जाता है और मरीज को घर में रखना मुश्किल होता है और यहां तक कि रिश्तेदार भी और-और दूसरे भी उनको नहीं रख सकते तो उनको वहां कानपुर में रख सकते हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। इस अनुदान के अधीन जो मांगें उन्होंने रखी हैं और विशेष रूप से उन्होंने देशी चिकित्सा पद्धति के सिलसिले में जो कार्य विवरण इसमें दिया है और इस धनराशि में से आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये जो व्यय करना चाहते हैं मैं इसके लिये उनकी सराहना करता हूं विशेषरूप से इसके लिये कि उन्होंने इस प्रदेश के अन्दर जो एक आयुर्वेदिक कालेज की आवश्यकता थी उसको इस वर्ष स्थापना करके जो पूरा किया है वह एक अद्भुत कार्य है। हमारे इस प्रदेश में इस कालेज की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, किन्तु साथ ही जो अनुदान के ब्योरे को देखने से ज्ञात होता है, अभी हमें देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये बहुत कुछ कार्य करना है। हमारे इस प्रदेश के अन्दर जो इस अनुदान में २ करोड़ ४५ लाख ९२ हजार रुपये की मांग की गयी है, उसमें से देशी चिकित्सा पद्धति के लिये सिर्फ २३ लाख रुपया व्यय किया गया है। २३ लाख रुपया व्यय करके हम अपने यहां ५२२ यूनानी और आयुर्वेदिक

चिकित्सालयों और औषधालयों को चलाते हैं। बाकी जितनी भी धनराशि है वह एलोपैथिक चिकित्सा में व्यय कीजाती है और उसके ३१९ औषधालय चल रहे हैं। हमारा प्रदेश देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये सब से अग्रणी रहा है। उसने अब से बहुत पहले इस देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये कार्य किया है। आज हमारे प्रदेश की नकल कर के और प्रदेश अपने यहां भारतीय चिकित्सा बोर्ड बना रहे हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये प्रयत्नशील हैं। इसलिये जिस प्रकार हमने हमेशा इस देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये अग्रणी रह कर कार्य किया है, इस समय भी हमें यह चाहिये कि हम उसके उत्थान के लिये अग्रणी रहें और जो दूसरे प्रदेश आज हमारी नक़ल करने जा रहे हैं वे किसी भी प्रकार से हमारे अन्दर कोई त्रुटि न पावें। आज हमारे यहां जो आयुर्वेदिक कालेज चल रहे हैं उनमें सब प्रकार से आयुर्वेदिक और उसके साथ-साथ आधुनिक विज्ञान की शिक्षा का भी प्रबंध किया गया है। किन्तु साथ ही उनके जो स्नातक हैं उनको, जैसा कि और मेडिकल कालेज के डाक्टरों का स्थान है, वैसा स्थान प्राप्त नहीं है। उनको वैसा स्थान प्राप्त होना तो दूर की बात रही किन्तु उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे कि इस प्रदेश के आयुर्वेद जगत में एक प्रकार से बहुत ही असंतोष है। पिछली बार हमारे यहां एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण वैद्यों और हकीमों में एक बड़े असंतोष की भावना फैल गयी। उत्तर प्रदेशीय सरकार का एक औषधालय था, उसके एक वैद्य बन्धु ने एक गर्भणी स्त्री को, जो मरणासन्न अवस्था में थी, उसका आपरेशन करके किसी तरीक़े से मरने से बचा लिया। उसके बाद उस चिकित्सालय से शल्य यन्त्र हटा लिये गये और साथ ही जितने भी आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेन्सरीज थीं वहां से भी शल्य यन्त्रों को हटा लिया गया। जब कि उसने उस रोगिणी को मृत्यु से बचाया, ऐसी स्थिति में उसको कोई पुरस्कार दिया जाता, किन्तु पुरस्कार न देकर उसके साथ ही साथ और भी जो चिकित्सालय हैं उनसे शल्य यंत्रों को हटा लेने के कारण आयुर्वेदिक जगत में और तमाम प्रदेश की जनता में काफी असंतोष है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मेरे कई कटमोशन्स इस विषय में हैं। अतः मुझे ७ मिनट का समय न दे कर जो १० मिनट का समय उन्होंने नियत किया है वह देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—१० मिनट का समय नियत नहीं किया गया है, सात ही मिनट रखे गये हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य—बहुत सी बातें कहने का मेरे पास समय नहीं है, फिर भी मैं यहस कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में दो विशेष बातें हैं। एक तो मुझे इन शल्य यन्त्रों को वापिस लेने के संबंध में कहना था और दूसरे सलफा ड्रग के सिलसिले में कहना है। आज एक एलोपैथिक कम्पाउन्डर सलफा ड्रेग का इस्तेमाल कर सकता है किन्तु एक वह व्यक्ति जो कि बी० आई०एम०एस० पास करके, पांच साल का पाठ्यक्रम पूरा कर के, चिकित्सा का अभ्यास करता है उसको सलफा ड्रग के प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। इन बातों की तरफ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इन चीजों को देखें। अपने यहां जो जिला अस्पताल हैं उनके लिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे देशी चिकित्सा पद्धति को उनमें स्थान दें। हमारे प्रदेश के अन्दर जो देशी चिकित्सा पद्धति है वह एक अपना विशेष स्थान रखती है और मेरा विश्वास है कि इन जिला अस्पतालों के साथ अगर देशी चिकित्सा पद्धति के लिये कुछ व्यक्ति नियुक्त किये गये, तो उसमें हमें अधिक सफलता मिलेगी और पैसा भी कम खर्च होगा। आज हमारे प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिपर एक रोगी पर जो व्यय आता है वह सिर्फ दो पैसा है और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर जो व्यय किया जाता है वह ६ पैसा प्रति रोगी पर है। साथ ही उन स्थानों में जो कि जिलों के अन्दर के स्थान हैं जहां एलोपैथिक डाक्टर नहीं रह सकते, दो-दो नदियां पार कर के जहां लोगों को जाना पड़ता है वहां देशी चिकित्सा पद्धति के लिये स्थान है, वहां वैद्य और हकीम ही रह कर के काम कर सकते हैं।

श्रीमती सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी (जिला एटा)—अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा टाइम लास्ट में रखा गया है, मैं इसकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूं। मेरा टाइम ख़त्म होते ही हाउस एब्जोर्ब हो जायगा। इसलिये मेहरबानी करके, मैं आप से प्रार्थना करती हूं कि मुझे लाल झंडी न दिखाइयेगा नहीं तो मेरा सिलसिला टूट जाने का अन्देशा है। जैसा मैंने और सदस्यों को देखा है कि जिस वक्त यह चीज़ शुरू होती है, उनकी मेल ट्रेन इतनी तेज़ी से दौड़ती है कि पता नहीं चलता कि रास्ते में क्या चीज़ रही और क्या चीज़ छूटी।

श्री अध्यक्ष—तेज़ बोलने का प्रिविलेज तो आप को भी है।

श्रीमती सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी—मैंने अभी मंत्री जी से सुना कि दो सौ मैटरनिटी सेन्टर्स खोलने के लिये उन्होंने अपने बजट में तजवीज़ रखी है, इसका मतलब यह है कि हमारे प्राविन्स में जो १२ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में दो सेन्टर्स लाज़िमी होंगे। इसलिये दो सेन्टर्स में मेरा भी हक़ है और यह मेरी डिमान्ड है हमारे यहां इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक ही सिविल हास्पिटल है उसमें भी मुश्किल से दो और तीन बेड मिल सकते हैं,। और वह बहुत ही अनहाइजीनिक है। कासगंज में अलबत्ता हमारा मिशन हास्पिटल बहुत काफी मशहूर है क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो बीमार होते हैं वह वहां जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम अमेरिकन गवर्नमेंट की ख़ैरात पर अपना काम चलाते हैं, हमारे यहां कुछ भी नहीं है। हमारे कासगंज में एक फीमेल हास्पिटेल है जिसमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, मरीज़ भी नहीं मिलेंगे और न वहां पर कोई ऐसा इन्तज़ाम मिलेगा कि एक मामूली से मरीज़ के लिये एक बेड मिल जाय और उसका इन्तज़ाम हो जाय। इसलिये बात यह है कि जो दो मैटरनिटी सेन्टर्स खोले जा रहे हैं उसमें से एक तो आप को तैयार मिलता है। उसको म्यूनिसिपैलिटी से लेकर गवर्नमेंट अपने इन्तज़ाम से उसको मैटरनिटी सेन्टर क़ायम कर दें। दूसरा डिस्ट्रिक्ट इटा में जहां पर कि कोई भी हास्पिटल नहीं है। मेरा ख़याल यह है कि ५० परसेन्ट से ज्यादा आबादी हर जगह ऐसी औरतों की मिलेगी उनके लिये लाज़िमी है कि मेटरनिटी सेन्टर्स को ज्यादा अहमियत दी जाय। अच्छी और खुशहाल स्टेट के लिये और उसकी तरक्क़ी और तंज़ुली का दारमदार अच्छी नस्लों पर होता है। अच्छी नस्लों का इंहिसार अच्छी सेहत पर है और अच्छी सेहत का इंहिसार, गुड हेल्थ जैसी मदर होंगी वे अच्छी नस्लें पैदा कर सकेंगी और उसका इंहिसार अच्छी माओं पर है। तन्दुरुस्त मायें जब तक नहीं होंगी तब तक तन्दुरुस्त बच्चे नहीं पैदा हो सकते। तन्दुरुस्त मायें उसी तरीक़ों से बच्चों की परवरिश कर सकेंगी। और अच्छी तन्दुरुस्ती वाले बच्चे जब बढ़ते हैं तब उनके दिमाग़ों में अपने मुल्क और अपनी हिफ़ाज़त और अपनी तालीम के लिये काफी ऐसे अहसासात मिलेंगे जो उनको बेकारी और सुस्ती से बचायेंगे। लेकिन जब हेल्थ का इंतज़ाम पूरा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिये मैं यह दरख्वास्त करूंगी की दो सेन्टर खोले जायं।

इसके अलावा हमारे मेडिकल कालेज में गर्ल्स स्टूडेंट्स भी ली जायं। ५० परसेन्ट की आबादी के लिहाज़ से उनको दाख़िले मिलें, इससे पहले उनको रिजैक्ट कर दिया जाता था। नर्स, मिडवाइव्स और लेडी डाक्टर्स के लिये अगर ५० परसेंट औसत नहीं रखा जाय तो बेजा न होगा। यह मुल्क की तरक्क़ी के लिये बहुत ज्यादा ज़रूरी है। इसमें मर्द और औरत का ख़याल नहीं करना चाहिये बल्कि यह देखना है कि लेडी डाक्टर के न होने से जो कमी और नुक़सानात हमारी नस्ल को पहुंच रहे हैं उनको रोकना है इसलिये इसकी इम्पार्टेंस ज्यादा है। लेकिन जहां तक नर्सेज और ट्रेन्ड नर्सेज और मिडवाइव्स और गर्ल स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है ट्रेन्ड में चाहती हूं कि बग़ैर किसी ख़याल के इन लोगों को लिया जाय और उनका ग्रेड बढ़ाया जाय। हेल्थ आफ़िसर कोई औरत नहीं है और न सिविल सर्जन कोई औरत है। लेक्चरर कोई औरत नहीं है हालां कि मैं समझती हूं कि मर्दों से ज्यादा क्वालिफाइड और एफीशियेंट लेडीज़ हमारे यहां मौजूद हैं तो क्या वजह है कि उनको पीछे रखा जाय। अगर इस तरह से उनको एनकरेंजमेंट मिलेगा तो कोई वजह नहीं है कि यह सब से बड़ी कमी

दूर न हो। इसमें सब से ज्यादा तवज्जह रखने की जरूरत है। मैटरनिटी सेन्टर्स के लिये जो इस वक्त बहुत कम हैं दो सौ की तादाद काफी नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट पर चार पड़ते हैं। हालांकि लाखों की आबादी पर इन सेन्टर्स का कोई असर नहीं पड़ सकता। बहरहाल बिल-फेल जो स्कीम है उस को चला कर देखियेगा और अगर उसमें कामयाबी होती है तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि इनको इन्क्रीज किया जाय। इस वक्त हमारे सामने यह प्राबलम है कि हमें इतना स्टाफ कहां से मिलेगा। बड़ी आसानी से मिल सकता है। ट्रेन्ड नर्सेज हमारे यहां हास्पिटल में और गर्ल स्टूडेंट्स भी बहुत काफ़ी हैं जो डिसकरेज की गयी हैं। अगर दो चार महीने भी उनको यह अहसास हो गया कि उनकी डिमान्ड है तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा तादाद में वे आगे को आकर करेंगी। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगी कि मेरी इस मांग को पीछे न डाला जाय कि ५० परसेंट लेडीज को इसमें मौक़ा दिया जाय। मैटरनिटी सेन्टर्स के लिये इक्विपमेंट्स होना चाहिये और हमारी मिडवाइव्स भी ट्रेन्ड होनी चाहिये और उनका कोई स्टैन्डर्ड रखना चाहिये। उनको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिये कि वे तजुर्बेकार नहीं हैं या पुरानी करने वाली हैं। इनका भी कोई इम्तहान होना चाहिये। और तब उनको इस काम का मौक़ा दिया जाय।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा पर जो रुपया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मांगा है वह सूबे की जो आबादी है और जो गरीबी है उसको देखते हुये यह रुपया बहुत कम है। अगर हम अपने सूबे की ठीक से देखभाल कराना चाहते हैं तो पैसा हमें और देना चाहिये था और स्वास्थ्य मंत्री जी को मांगना चाहिये था। यों ही हमारा सूबा बहुत गरीब है और बजट में जितना रुपया खर्च होना चाहिये था वह नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो रुपया मांगा है वह सूबा की हालत को देखकर कोई ज्यादा रुपया नहीं है। तिस पर भी आज जो चिकित्सा की हालत है और जिस तरह से लोगों की तबीयत चिकित्सा की ओर बढ़ी हुई है वह यह है कि लोग आजकल एलोपैथिक चिकित्सा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। गरीब से गरीब आदमी यही चाहता है कि अच्छी से अच्छी दवा हो न हो सकने पर तो उधेती सुखेती करवाता ही है मगर खराब दवाई करवाना नहीं चाहता है जिसको जरा सा भी ज्ञान है वह एलो पैथी की शल्य चिकित्सा की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हमारे यहां एलोपैथी की दवा बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि बाहर से यह आती है। केवल ५ मिनट का समय है इसलिये मैं दो तीन सुझाव देकर बैठ जाऊंगा।

पहला मेरा यह सुझाव है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक कारखाना एलोपैथी दवाओं और औजारों का अपने राज्य में खोलें और उसके लिये चाहे रुपया ज्यादा लग जाता तो अच्छा होता। यह रुपया दूसरी मदों से काटकर देना चाहिये क्योंकि स्वास्थ्य मुल्क के रहने वाले लोगों के लिये बड़ी अहमियत रखता है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक वगैरा के जो अलग-अलग विभाग हैं उनके अलग-अलग कर्मचारी हैं इसलिये इन पर व्यर्थ में रुपया खर्च होता है। अगर यह सब एक विभाग में होती तो पैसा की किफायत होती। कई कर्मचारी इस तरह से बेकार भी रखे हुये हैं जिनसे फायदा नहीं होता वे उल्टे नुक्सान पहुंचाते हैं। जैसे कि सेनेटरी इंसपेक्टर्स हैं उनका सिवाय घूम-घूम कर बाजारों में गरीब दुकानदारों से यह कहना कि तुम तेल खराब रखते हो, तुम घी खराब रखते हो और तुम्हारे दरवाजे पर गंदगी है इस तरह से घूस लेने के और कोई काम नहीं है। सफाई और तेल तथा घी वगैरा देखने का काम गांव सभा के सेक्रेटरी के सुपुर्द कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा है इससे सरकार का जो पैसा बचेगा उसको दूसरे उपयोगी कामों में लगाया जाय।

[श्री उमाशंकर]

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि अस्पतालों का संबंध गांव सभाओं से होना चाहिये। गांव सभाओं से संबंध होने पर अस्पताल के जरिये जो परिवार नियोजन की आपकी स्कीम है पूरी हो जायगी और उसके लिये आप अलग से जो पैसे की व्यवस्था करते हैं और इस कार्य के लिये सोसायटियों को पैसा देते हैं उसकी जरूरत नहीं रहेगी। गांव सभाओं के सेक्रेटरी तथा अदालती पंचायतें इसके प्रचार का काम ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। इसके पैम्फलेट्स वगैरा भी बटवा सकती हैं मगर इस तरह से उनको समझाने की जरूरत है यह काम सरकार इस विधि को छोड़ दूसरी संस्था के द्वारा कराती है जिस में एक अच्छी खासी रकम खर्च की जाती है, जिसका लोग नाम भी नहीं जानते हैं।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं, कि जच्चा बच्चा सेवा गृह अदालती पंचायतों के क्षेत्र में खुलने चाहिये। मेरा विचार है कि अगर सरकार को सैनीटरी इंसपेक्टर रखना ही है तो सैनीटरी इंसपेक्टर्स का संबंध बजाय जन स्वास्थ्य विभाग के गांव सभा से कर दिया जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा न होने से बड़ा भारी करप्शन होता है। सहायता के रूप में आपके पैंफलेट के परिच्छेद ६ में जिन दवाओं का जिक्र किया गया है यानी मल्टी विटेमिन टैबलेट्स बांटने की बात कही गयी है जहां तक मेरा इल्म है १००, ५० टिकियां कहीं बांटी गयी हों तो बांटी गयी हों जब कि लिखा हुआ है कि ८,९ हजार बांटी गयीं जो बिलकुल झूठ है। इस तरह से लोगों को बेईमानी करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। इसी प्रकार नीदरलैन्ड की सरकार ने सब्जी का सूप दिया जो ५७ सौ पौंड था लेकिन गांवों में तो जो कुछ बटी वह ईश्वर को मालूम होगा उसका अधिकतर भाग बाजारों में बिका या कहां पहुंचा यह पता नहीं। मैं देना तो और सुझाव चाहता था लेकिन जल्दी में नहीं दे सका इस समय जो भी मैं कह रहा हूं आशा है स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे। इसके बाद मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से इसके सिलसिले में बातचीत करूंगा और अपने सुझाव उनको दूंगा इस समय तो केवल इस बात पर ही जोर देना चाहता हूं कि एलोपैथिक औजार और दवाओं के लिये यह जरूरी है कि वे हिन्दोस्तान में बनायें जायं तभी हम ठीक तरीके से दवाओं का क्रम चला सकते हैं क्योंकि बाहर से दवायें खरीदने में आपका ज्यादा पैसा खर्च होगा और आप दवा ठीक तरीके से न कर सकेंगे। आशा है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरी इस बात को मानेंगे।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। इस अनुदान पर ७ मिनट में बोलना बहुत कठिन है। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान हमारे सामने उपस्थित किया है और उसके संबंध में जो संक्षेप में बातें और सुझाव हमारे सामने रखे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और इस अनुदान का समर्थन करता हूं। खास तौर से मैं आयुर्वेदिक के संबंध में अपने विचारों को प्रकट करूंगा।

हमारे सामने जो सरकार की रिपोर्ट है उसमें इस मद पर ४ करोड़ १४ लाख रुपये का खर्चा दिखाया गया है जिसमें से आयुर्वेदिक पर ३३ लाख सिर्फ खर्च किया गया है। जब कि आयुर्वेदिक की ५२२ डिस्पेंसरीज हैं और एलोपैथिक की ३१९। आयुर्वेदिक के सुपरवीजन में १३० हजार रुपया खर्च किया जाता है और ऐलोपैथिक की डिस्पेंसरीज पर ३८ लाख रुपया खर्च किया जाता है। आयुर्वेदिक डिस्पैंसरीज पर जो खर्च होता है वह १७,९४,३०० रुपया है और एलोपैथिक डिस्पेंसरीज पर ७२७५ हजार रुपया खर्च होता है जब कि एलोपैथिक डिसपेंसरीज की संख्या आधी है और उन पर जो खर्चा होता है वह चौगुना है यानी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज के मुकाबले में एलोपैथिक डिस्पेंसरीज पर आठ गुना खर्चा ज्यादा होता है और सुपरविजन में ३० गुना ज्यादा खर्चा होता है। इसलिये जब हम चाहते हैं कि इस विभाग का खर्चा घटाया जाय तो हमको देशी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देना चाहिये। इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में कितने रोगियों की चिकित्सा हुई और एलोपैथिक डिस्पेंसरीज में कितने रोगियों की चिकित्सा हुई।

आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज और एलोपैथिक डिस्पेंसरीज की उपयोगिता में जो अन्तर है उसके कहने का तो समय नहीं है लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में इनडोर हासपिटल्स न होने से बहुत से रोगियों का इलाज नहीं हो सकता जबकि एलोपैथिक डिस्पेंसरीज में इनडोर हास्पिटल्स होने के कारण उसकी उपयोगिता सर्वसाधारण के सामने साबित हो सकती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इनडोर हास्पिटल न होने से उसके आउटडोर हास्पिटल्स जो कुछ साधारण जनता की सेवा कर सकते हैं वह कर रहे हैं। कहीं भी सूबे भर में आयुर्वेदिक इनडोर हास्पिटल्स नहीं हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है देशी दवाखानों के जरिये ६०, ६५ लाख रोगियों को साल भर में लाभ पहुंचता है। उससे उसकी उपयोगिता समझ में आ सकती है और हमारी सरकार की नीति भी है कि वह देशी दवाखानों को बढ़ा रही है लेकिन इनडोर हास्पिटल्स की अत्यन्त आवश्यकता है। उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिये हमें इनडोर हास्पिटल्स आयुर्वेदिक चिकित्सा में खोलने चाहिये। हमारी सरकार के सामने २०, २५ बरस से चिकित्सा संबंधी जो समस्या है और उसके लिये विशेषज्ञों की जो राय है और नाना प्रकार की समितियां केन्द्र और प्रदेश में जो बैठी हुई है उनकी रिपोर्ट देखने से यह निश्चित हो गया है कि मिक्सड सिस्टम यानी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक सिस्टम दोनों का मिलाजुला डेवलप करने से जनता की सेवा अधिक की जा सकी है। यह जो सरकारी निर्णय है और जिस निर्णय के अनुसार करीब-करीब २५ वर्ष से बनारस यूनीवर्सिटी में आयुर्वेदिक की पढ़ाई हो रही है उससे सरकार का यह जो निर्णय है वह दिन ब दिन पक्का होता जा रहा है और उस नीति पर ही हमें काम करना है और उसे कार्यान्वित करना है। उस संबंध में हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डालते हुये यह भी बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक की फैकल्टी खोली जा रही है। इसके लिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ५ बरस तक वहां जो कालेज का संचालन हुआ है उसमें पूरे तौर से सफलता नहीं हुई और डाक्टरों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ इन बातों को माननीय मंत्री जी भी जानते हैं। अगर आयुर्वेद के इस प्रकार के कालेज को चलाने का उनका मंतव्य है तो उन्हें बनारस यूनिवर्सिटी में उसे खोलना चाहिये जहां कि उसका पूरा-पूरा उपयोग हो सकता है और अगर बनारस में किसी कारण से न खोल सकते हों तो एक स्वतंत्र आयुर्वेदिक कालेज चलायें। लखनऊ युनिवर्सिटी के वातावरण से प्रायः हम सब लोग परिचित हैं और उसका अनुभव हम सबको है कि उसमें सफल नहीं हो सकते। यह मेरी धारणा है और उसके लिये मेरे पास निश्चित प्रमाण हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या प्रगति हुई उसके बारे में रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। इंडियन मेडिसन बोर्ड ने क्या-क्या किया, आयुर्वेदिक एकेडेमी ने क्या-क्या किया, गवर्नमेंट की तरफ से उसकी उन्नति के लिये क्या क्या किया गया इस सब के बारे में रिपोर्ट में कोई समावेश नहीं है। जो डिस्पेंसरीज खोली गई हैं और उनमें क्या-क्या सेवायें हुई इस संबंध में सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट छापी गई है उसमें आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज को कोई स्थान नहीं मिला है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सरकार की यह जो नीति है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की उन्नति की जाय तो उसके लिये बनारस यूनिवर्सिटी में कालेज खोलना चाहिये या स्वतंत्र रूप से कालेज खुलना चाहिये वर्ना जो रुपया इस वक्त खर्च किया जा रहा है उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो सकता। इसके अलावा आयुर्वेदिक शिक्षा और चिकित्सा की उन्नति के लिये ऐसे सभी वातावरण और स्थिति उत्पन्न होने चाहिये जिससे आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिले। आज जो सरकार की तरफ से परिस्थिति उत्पन्न की गई है वह ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे आयुर्वेद की उन्नति हो सके। उसके परिणामस्वरूप मैं बतलाता हूं कि आज जो नियुक्तियां होती हैं उनमें प्राइवेटली जो परीक्षा पास करते हैं उनको वही महत्व दिया जाता है जो ५ साल पढ़ कर डिग्री ले कर निकलते हैं और दोनों के वेतन क्रम में कोई अन्तर नहीं होता। इस तरह से ५ साल तक पढ़ने वाले और प्राइवेटली पढ़ कर पास करने वाले में कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार कोई प्रोत्साहन सरकार की तरफ से नहीं मिलता है और जो पढ़े लिखे हुये आदमी होते हैं उनको वही मान्यता दी जाती है जो प्राइवेटली पढ़ कर प्रेक्टिस करते हैं। सरकार की इसी उपेक्षा दृष्टि के कारण आयुर्वेद में जो

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

५ वर्ष में बी० आई० एम० एस० की परीक्षा पास करके निकलते हैं उनको ७५, ७५ रुपये का वेतन मिलता है जब कि बी० सी० जी० की ट्रेनिंग पास करने वालों को जो केवल हाई स्कूल पास होता है और वेक्सिनेटर बन जाता है या सेनिटरी इंस्पेक्टर हो जाता है उसको १२० रुपये माहवार वेतन मिलता है। यह परिस्थिति सरकार की आयुर्वेद के प्रति उपेक्षा दृष्टि होने की वजह से ही उत्पन्न हो गई है। आज तनख्वाहों में काफी अन्तर है। अभी पिछले साल के बजट में मेडिकल आफिसर्स की तनख्वाह बढ़ाई गई है। मेडिकल आफिसर्स की तनख्वाह के विषय में हमारा विशेष अनुभव है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपने क्षेत्र के निवासियों की तरफ स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिये अवसर दिया है और मैं इस समय अनुदान संख्या २० और २१ का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। साथ ही साथ मैं स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं कि जिस योग्यता के साथ उन्होंने इस प्रदेश की जनता की सेवा की है वह सराहनीय है। बजट के आंकड़ों को देखने पर यह मालूम होता है कि ब्रिटिश हुकूमत में जितना स्वास्थ्य विभाग पर खर्च होता है उससे दुगुना इस प्रजातंत्र राज्य में बढ़ा दिया गया है और यह बड़ी खुशी की बात है। परन्तु हमारे प्रदेश की आबादी को देखते हुये इस प्रदेश में बढ़ती हुई बीमारियों और स्वास्थ्य की हालत को देखते हुये मुझे यह कहना पड़ता है कि यह रकम वास्तव में बहुत कम है। अगर इस पर ज्यादा खर्च किया जा सकता तो अच्छा होता। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ देखें।

एक बात मुझे बनारस के संबंध में कहनी है। बनारस एक धार्मिक स्थान है। वहां पर पूर्वी भाग के स्थान जैसे जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ के लोग आते हैं। लेकिन वहां स्वास्थ्य के संबंध में कोई खास इन्तजाम नहीं है। शहर के बीच में श्री लक्ष्मी मारवाड़ी अस्पताल है। उसमें आयुर्वेदिक अस्पताल भी है, एलोपैथिक अस्पताल भी है और होम्योपैथिक अस्पताल भी है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज से पहले उस अस्पताल को कोई सहायता नहीं दी। गत वर्ष इसको सरकार की ओर से जो सहायता दी गई वह सहायता बहुत कम है। वहां के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति और आबादी को देखते हुये यह सहायता बहुत कम है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

इसके बाद जो बनारस का महिला अस्पताल है उसकी बात कहना चाहता हूं। मुझे एक दो बार वहां जाने का मौका मिला और वहां के डाक्टरों से बातचीत करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां पर स्त्रियों का आपरेशन करने के लिये कोई सहूलियत नहीं है। एक बार एक सम्भ्रान्त महिला वहां पहुंची। उनसे वहां के लेडी डाक्टर ने साफ इन्कार कर दिया कि हम आपरेशन नहीं करेंगे और आप सिविल सर्जन के पास जाइये और आपरेशन कराइये। ऐसा स्थान जो धार्मिक है और जिस नगर में चार पांच लाख आदमी रहते हैं वहां कोई लेडी डाक्टर नहीं है कि वहां एक औरत का आपरेशन वह कर सके। इस ओर स्वास्थ्य मंत्री जी को खास तौर से ध्यान देना है कि वे ऐसा प्रबन्ध करें जिससे वहां की महिलाओं की यह डिफिकल्टीज दूर हो जायं। मैं कहना चाहता हूं कि बनारस के गंगा के घाटों पर गरीब कोढ़ियों का जमाव रहता है और जब स्नान करके कोई यात्री चलता है तो सबसे पहले उन्हीं का दर्शन होता है। शुद्ध वायुमंडल से होकर फिर खराब वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। तो स्वास्थ्य मंत्रीजी, जैसा कि मेरा ख्याल है दशाश्वमेध घाट की तरफ गये होंगे तो वे जरूर ध्यान दिये होंगे, लेकिन आज तक उस तरफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसके बाद में आपका ध्यान लखनऊ की तरफ दिलाना चाहता हूं। लखनऊ मेडिकल कालेज हमारे सूबे का एक विख्यात कालेज है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं लेकिन उस कालेज में जहां तक हमारे माननीय सदस्यों को और मुझे भी दो एक दफा जाने का मौका मिला है, अपनी बीमारी में, अपने परिवार की बीमारी में या मित्रों की बीमारी में इलाज कराने के लिये। लेकिन हमने वहां के डाक्टरों का व्यवहार ठीक और उचित नहीं पाया। डाक्टरों की जैसी सद्भावना और प्रेम रोगियों के साथ होना चाहिये वह नहीं पाया। मेरा ख्याल है कि अगर रोगी के साथ मीठी-मीठी बात हो तो उसका आधा रोग उसी से दूर हो जाता है। इसलिये मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वे उस तरफ भी अवश्य ध्यान दें। इसके अलावा दूसरे नम्बर पर आपके शहर का जो अस्पताल है वह बलरामपुर अस्पताल है। वहां पर दवा के लिये भी अच्छा प्रबन्ध है, डाक्टर भी अच्छे हैं और वे सहूलियत के साथ रोगियों के साथ बातचीत भी करते हैं लेकिन दवाइयों की कमी की वजह से वहां पर विशेष रूप से दवाइयां नहीं मिलतीं। इसलिये मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान खास तौर से बलरामपुर अस्पताल की तरफ दिलाना चाहता हूं ताकि देखें कि वहां पर किस किस्म के इम्प्रूवमेंट्स हुये हैं। वहां पर दुगुने बिस्तरों का प्रबन्ध हो गया है, लेकिन बजट को देखने से मालूम होता है कि वहां पैसे बहुत कम हैं।

श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य के जीवन में अन्न का क्या स्थान है और अन्न की कमी के कारण हमारे प्रदेश की जनता को और सरकार को पिछले चार पांच सालों से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है सदन को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिये अन्न उत्पादन के कार्य में सरकार को अधिक से अधिक रुपया लगाना स्वाभाविक था। विरोधी पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि अस्पतालों के लिये या स्वास्थ्य संबंधी दूसरे कार्यों के लिये बजट में रकम बहुत कम रखी गयी है। हमारी सरकार भी यह जानती है। हमारी सरकार ने कभी भी इस बात को नहीं कहा है कि उसने पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों को खोल दिया है, या उसने पर्याप्त मात्रा में इसके लिये बजट में रकम रखी है। मैं तो इस बात को कहता हूं कि आज जो हमारे मुल्क की हालत है उसको देखते हुये हमारी सरकार के लिये जरूरी है कि वह सबसे पहले इस प्रदेश की जनता को अन्न दे, वह प्रदेश की भूखी जनता को पेट भर भोजन दे और उसके बाद स्वास्थ्य का सवाल आता है। हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि प्रदेश की आबादी को देखते हुये सदियों से प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का स्तर जितना नीचे गिरा हुआ है उसको देखते हुये जो बजट में रुपया रखा गया है वह बहुत ही कम है। लेकिन अपने तमाम सीमित साधनों के बावजूद भी माननीय मंत्री जी ने जनता के स्वास्थ्य के स्तर को जितना ऊंचा उठाने की कोशिश की है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। मैं आपके सामने सन् ५१ की जनगणना के आंकड़े रखना चाहता हूं उससे यह साबित हो जायगा कि उत्तरोत्तर मृत्यु दर के आंकड़े कम होते जा रहे हैं जब कि जनसंख्या सन् ४१ से ५१ तक प्रति हजार ११८ बढ़ी है। सन् ४१ से ४५ तक जहां प्रति हजार मृत्युदर १९.९ रही है वहां सन् ४६ से लेकर ५० तक क्रमशः १६.५, १७.०, १४.५ १३.५ और १४.४ रही। यह तो पुरुषों की संख्या हुई। इसी तरह से स्त्रियों की संख्या भी जहां सन् ४१ से ४५ तक १८.७ से १८.० रही वहां सन् ४६ से ५० तक क्रमशः १५.६, १५.७, १२.८ ११.८ और १२.९ हो गयी। ये आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि उत्तरोत्तर हमारी सरकार ने जनता के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाया है और इस बात की कोशिश की है कि वह अपने सीमित साधनों के बावजूद भी देहात और शहर के कोने-कोने में दवाइयों की सुविधा जनता को पहुंचा सके।

जहां तक महामारी का ताल्लुक है सन् १९४७, ४८ ई० में सरकार ने इस मद में २१ लाख रुपया खर्च किया था और आज वह अपने बजट में उसके लिये ६० लाख रुपया खर्च करने जा रही है। एक बात इस सिलसिले में और अर्ज कर दूं अगर किसी का स्वास्थ्य खराब

[श्री गोवर्धन तिवारी]

होता है तो वह उसको सुधारने के लिये अल्मोड़ा, मंसूरी, नैनीताल या लैन्सडाउन जाता है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो वहां के निवासियों की तन्दुरुस्ती जहां अन्य लोग अपना स्वास्थ्य सुधारने जाते हैं ज्यादा गिरी हुई है। आम तौर पर लोगों का यह ख्याल बना हुआ है कि पहाड़ी लोगों के स्वास्थ्य का स्तर कुछ ऊंचा होता है, लेकिन मैं आपके सामने ५१ की जनगणना के आंकड़े रखना चाहता हूं जिनसे स्पष्ट है कि हमारे सारे प्रान्त के और पहाड़ी इलाके के लोगों के स्वास्थ्य में कितना अन्तर है। सन् ४१ से ४५ तक मृत्यु दर के आंकड़े फी हजार पुरुषों पर २१.८ से २०.७ थे लेकिन सन् ४६ में जब से कांग्रेस सरकार ने शासन सूत्र को हाथ में लिया तब से यह संख्या घटी है और ५० तक क्रमशः १८.६, २०.६, १९.८, १५.४ और १६.४ रह गयी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रदेश में मृत्यु दर की संख्या पिछले ५ सालों में अवश्य घटी, लेकिन सन् ५० में जहां प्रदेश की मृत्यु दर १४.४ थी वहां पहाड़ी जिलों में वह १६.४ थी। इसी तरह पहाड़ की स्त्रियों की मृत्यु दर संख्या फी हजार स्त्रियों पर सन् १९४१,४५ में २२.२ से २२.७ थी, लेकिन वह सन् १९४६ में आकर १९.१ रह गयी जो ५० तक क्रमशः २०.८, २०.४, १५.४ और १६.७ हो गयी। इन दोनों आंकड़ों का मुकाबला करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि देहरादून और टेहरी से लेकर अल्मोड़ा तक के जिलों का जो पहाड़ी हिस्सा है वहां के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर प्रदेश के अन्य भागों से ज्यादा गिरा हुआ है। इसलिये विशेष रूप से मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इन जिलों के लिये ज्यादा तवज्जह दे। वहां ज्यादा अस्पताल खोलकर उसके स्वास्थ्य-स्तर को ऊंचा उठावे। पहाड़ी इलाकों में खासकर देहात में यातायात की कठिनाई के कारण अस्पतालों में डाक्टर जाना नहीं चाहते हैं यदि उनको वहां तकलीफ होती है, असुविधा होती है तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां के लिये डाक्टरों को ज्यादा एलाउन्स दिया जाय उनको अधिक सुविधायें दी जाय ताकि डाक्टर लोग वहां जाना पसन्द करें। देवीधूरा और पुलहिंडोला में जो अस्पताल हैं उनमें अनट्रेंड कम्पाउन्डर हैं। यह दोनों अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत हैं यह सही है लेकिन उनका संबंध भी स्वास्थ्य से ही है। वहां दो तीन साल से अनट्रेंड कम्पाउन्डर ही डाक्टर का काम कर रहे हैं। मैंने बार-बार इसके लिये लिखा कि वहां डाक्टर भेजे जायं, लेकिन मालूम हुआ कि वहां कोई डाक्टर जाने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि वहां के लिये डाक्टरों को बिशेष सुविधा दी जाय। अगर ज्यादा एलाउन्स देने की जरूरत पड़े तो ज्यादा ए लाउन्स दिया जाय।

श्री राजबंशी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान देवरिया जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं कि देवरिया जिला जो है वहां पर ज्यादातर मलेरिया का प्रकोप हुआ करता है। वह तराई का जिला है और उस जिले में अस्पताल बहुत कम है और जो अस्पताल वहां पर है वह गवर्नमेंट अस्पताल नहीं है। वहां पर ज्यादातर मिलें हैं और मिलों से जो पानी निकलता है वह स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। वहां पर मच्छर भी बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। अगर उस पानी का कोई ठीक से उपयोग किया जाय तो वह पानी कृषि के काम में आ सकता है। वहां पर मच्छर मारने का कोई खास प्रबन्ध होना चाहिये। देवरिया जिले में ३ अस्पताल बनने शुरू हुये लेकिन वह अभी तक बनकर तैयार नहीं हुये हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। एक अस्पताल कसिया में जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान है, बहुत दिन हुये वहां एक अस्पताल बनाया गया था और अब वह बहुत ही टूटी-फूटी हालत में है और वहां मरीजों के लिये जगह तक नहीं है और न वहां कोई पानी की व्यवस्था है। न कोई जगह वहां लोगों के खाना बनाने के लिये ही है और जो बुद्ध भगवान का एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान है वहां इस तरह की अस्पताल की हालत है। उस अस्पताल को अच्छे लेवल पर लाना चाहिये। एक बात मुझे और कहना है कि महामारियों को दूर करने के उपाय के लिये २ साल हुये एक कमेटी बनी थी लेकिन उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई और हमें नहीं मालूम कि उस रिपोर्ट को कब तक लागू किया जायगा। उस को लागू करने का प्रयत्न होना चाहिये ताकि उससे जनता

को लाभ पहुंचे। और मैं यह कहूंगा कि चिकित्सा का काम और होना चाहिये, देहात में बहुत दूर-दूर अस्पताल हैं और बहुत सी जगह दवा के कोई साधन नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि गांव सभाओं में दवा के बक्स रखने का इंतजाम होना चाहिये जिससे कि अकस्मात घटनाओं में लोगों को दवा उपलब्ध हो सके और लोग अकाल मृत्यु से, जो मर जाते हैं, उनको सुविधा मिल सके। दवा के बिना देहात में जन-साधारण को नाना प्रकार के कष्ट होते हैं इसका प्रबन्ध होना चाहिये। बस इसके बाद मैं बैठता हूं।

श्री शिव प्रसाद (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जनता का सरकार के सामने एक लम्बा तकाज़ा सा हो जाता है जबकि जनता के लिये वह सरकार स्वास्थ्य और अच्छे अस्पताल बना सके, बल्कि उस सरकार के ऊपर आने वाले समय में जब किसी देश की हुकूमत आक्रमण के लिये तैयार हो तो उस समय वही नौजवान उसको खड़े होकर ललकारते हैं जिनकी वह सरकार रक्षा करती है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में काफी ध्यान दिया है। हमारे प्रदेश में पहले टी०बी० से बचने की कोई सुन्दर व्यवस्था नहीं थी। यह रोग ऐसा है जिसमें स्त्री पुरुष को नहीं पहचानती है और बाप बेटे को भूल जाता है और इस प्रकार की परिस्थिति उसके रोगी की हो जाती है, लेकिन हमारे उत्तर-प्रदेश की सरकार ने तपेदिक के रोगियों के उपचार के लिये हर प्रकार की कोशिश की है और उसके लिये व्यय वह कर रही है। मैं आप के द्वारा सदन को यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत से मनुष्यों के नेत्र होते हुये भी आंखें अन्धी हो जाती हैं और वह मनुष्य संसार के किसी व्यक्ति को और संसार के सौन्दर्य को नहीं देख पाता है, उन गरीबों के लिये भी इस सरकार ने प्रबन्ध किया है। इसके अतिरिक्त कि हमारे यहां जो वैदेशिक बीमारी गुप्त रोगों के रूप में आई हैं और जिसके कारण हमारे नौजवान और महिलायें पीड़ित होकर अपनी तकलीफ़ को किसी वैद्य, हकीम या डाक्टर से प्रकट ही नहीं कर पाती है उस प्रकार के रोगों के इलाज के लिये भी हमारी सरकार ने हर प्रकार की कोशिश की है। इन चन्द शब्दों के बाद में माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने पिछड़े हुये देवरिया जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। इस पिछड़े हुये जिले की जनता का सरकार के सामने एक लम्बा तकाजा है जिससे करोड़ों रुपया इस सरकार को एक्साइज ड्यूटी में मिलता है और जहां के लोग आसन्सोल और बर्दवान, मिर्जापुर में जाकर काम करते हैं और जो जिला उन जगहों के लिये एक लेबर डिपो बना हुआ है और जब वह लोग वहां से लौटते हैं तो टी० बी० (तपेदिक) पिल्ही के शिकार बनकर आते हैं, एक आंख उनकी नैऋत्य कोण को जाती है तो दूसरी को माड़े का जाला घेरे है। ऐसे जिले का एक लम्बा तकाजा हो जाता है और जब वह एक नया जिला निर्माण हुआ है तो उसके लिये सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस जिले के निर्माण के लिए हर तरह से ध्यान दे। इस विभाग का संचालन कर्त्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला व्यक्ति हो। आज इस विभाग का संचालन ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसने अपने जीवन में एक आदर्श ब्रह्मचारी बनकर एक आदर्श की स्थापना की है। किसी भी देश का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके नागरिक स्वस्थ न हों। वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता यदि उसमें वीर संतानें और योद्धा पैदा करने की शक्ति न हो। लूले–लंगड़े नागरिकों से देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। हम देश को ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जिसमें हमारे देश के नौजवान मचलते हुये चलें, देश के नागरिकों को कोई तकलीफ न हो, हमारे मेहमानों को कोई कष्ट न हो सके, हमारी छोटी–छोटी संतानों को उचित व्यवस्था न होने के कारण, उनकी आत्माओं को कष्ट न पहुंच सके।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से अपने पिछड़े हुये जिले की ओर दिलाता हूं, वैसे तो उनका ध्यान इस प्रदेश के प्रत्येक भाग की ओर रहता है, लेकिन मैं वहां के नागरिकों के एक मतामत प्राप्त करने की वाले की हैसियत से अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि

[श्री शिवप्रसाद]

वहां की तकलीफों को मैं उचित रूप में आपके सामने रखूं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चिकित्सा अनुदान का हृदय से स्वागत करता हूं।

मैं सारे प्रान्त का सिंहावलोकन करने में असमर्थ हूं मैं सरकार का ध्यान बस्ती जिले के उत्तरी भाग की ओर दिलाना चाहता हूं। इस सदन में मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष वहां सैकड़ों और हजारों आदमी कालाजार से कालग्रस्त होते थे। यह सरकार की कृपा है कि दो वर्षों में कालाजार के लिये डाक्टरों ने बड़ा अच्छा काम किया है। वहां की जनता इस संबंध में बहुत ही कृतज्ञ है। लेकिन आज भी वे डाक्टर पेड़ों के नीचे कैम्प डालकर काम कर रहे हैं। अगर वहां पर उनके लिये भवन का निर्माण कर दें तो एक स्थायी काम वहां पर होगा। उस इलाके में एक ही अस्पताल है। उसके पास भी अपना कोई भवन नहीं है।

अब मैं उस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि देवरिया जिले में सबसे पिछड़ा हुआ खित्ता है। वह हमारी कांस्टीटुएंसी है जिसमें ३०, ४० मील के एरिया में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी जब अभावग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने गये थे तो उस क्षेत्र को देखा होगा जिसमें रामकोला पड़ता है। वहां पर दो-दो फैक्टरियों के अस्पताल हैं लेकिन उसकी अवस्था ऐसी नहीं है कि जनता उनसे पर्याप्त लाभ उठा सके। इसलिये वहां एक अस्पताल होना आवश्यक है।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जिसका बहुत बड़ा महत्व है। महात्मा बुद्ध का नाम हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इतिहास में अमर है। महात्मा बुद्ध ने देवरिया जिले के कुशीनगर में अपनी अंतिम सांस ली थी। हमारे भारतवर्ष का यह शिष्टाचार रहा है कि हमारे देश में जब किसी दूसरे देश का अतिथि बनकर आता है तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसका भरसक सेवा सत्कार करें। कुशीनगर में, चीन, जापान, बर्मा, स्याम, लंका के यात्री आते हैं और महीनों वहां विश्राम करते हैं। लेकिन दवाइयों की व्यवस्था न होने के कारण जब कभी वे बीमार हो जाते हैं तो वहां की सारी जनता संकट में पड़ जाती है। हम उनका अच्छी प्रकार सत्कार नहीं कर पाते। वहां पर दवाओं की ठोस व्यवस्था न होने के कारण हम हिन्दुस्तान में आने वाले अतिथियों का भली प्रकार सेवा-सत्कार करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। वहां पर निकट ही एक अस्पताल है जो कि बिलकुल अस्त-व्यस्त दशा में है। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा चलता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है कि वह उसकी ठीक तरह से व्यवस्था कर सके। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाता हूं। अगर उस अस्पताल को प्राविन्शलाइज कर दिया जाय, तो हम आने वाले यात्रियों की ठीक से सेवा कर सकेंगे। वहां पर एक कालेज भी है जिसको हम चाहते हैं कि वह डिग्री कालेज के रूप में हो जाय। हमारे माननीय मंत्री जी वहां गये और उसकी नींव दे आये हैं, डिग्री कालेज के लिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस पिछड़े खित्ते की तरफ दिलाता हूं कि रामकोला और कुशीनगर के अस्पतालों को प्राविन्शलाइज करने की तरफ ध्यान दें।

इस विभाग का संचालन तभी ठीक से हो सकता है जब कि ऐसे ही वहां पर लेप्रोसी आदि अनेक बीमारियां हैं जिधर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। चाटुकारिता के दृष्टिकोण से नहीं, एक वस्तुस्थिति के दृष्टिकोण से मैं सरकार का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि सरकार यदि अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहती है तो सरकार को उन पिछड़े हुये प्रान्तों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। "प्रान्त" का अर्थ उस भू-भाग से है जहां काला आजार और लेप्रोसी आदि फैली हुई है। हमारे जिले का उत्तरी देहाती भाग ऐसे ही रोगों से घिरा हुआ है। यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में हमारा जिला सबसे बड़ा जिला होते

हुये भी हम सरकार का ध्यान उधर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वहां पर जो औषधियां भेजी जाती हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है और वहां की जनता इस दिशा में बहुत दुर्भाग्य पूर्ण प्राप्त है।

तो मैं भवन के निर्माण की ओर तथा चिकित्सा को पूर्णांग बनाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान भवन के सामने उपस्थित हुआ है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं।

जो दवाइयों के संबंध में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है उसके संबंध में मैं ज्यादा न कह करके माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उन दवाइयों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जिससे देहातों में बहुत ही असंतोष फैल रहा है। वह यह है कि बहुत से जहरीले कीड़े-मकोड़े होते हैं, जोकि मनुष्यों को या जानवरों को काट लेते हैं, उनके लिये दवाइयां देहातों में अधिकतर प्राप्त नहीं हैं, जैसे जहरीले सर्प, नेवला, बिसखोपड़ा, छिपकली, इन सभों की दवाइयां देहातों में अधिकतर नहीं मिलतीं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि वह इन दवाइयों की व्यवस्था करने की कृपा करें।

इसके पश्चात् मैं अपने जौनपुर जिले के सदर अस्पताल की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस अस्पताल के संबंध में मैंने एक प्रश्न किया था। उसमें माननीय मंत्री जी ने २९,२६९ रुपया सिर्फ मरम्मत के लिये दिया है। वहां का एक्सरे रूम और आपरेशन रूम अत्यन्त छोटा है जिससे वहां आपरेशन करने में बड़ी कठिनाई होती है। अलावा इसके वहां जो सामान है उनमें भी बहुत कमी है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इन बातों पर भी ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि मरीजों के रहने के लिये वहां रूम्स की कमी है। इसके अलावा वहां चारपाइयां भी नहीं हैं। बहुत से मरीज बरामदे में लेटते हैं जिससे उनको बड़ी तकलीफ होती है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने शाहगंज तहसील में खुटिहान का जो सरकारी अस्पताल है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ८ महीने हो गये वहां के डाक्टर उस स्थान पर कार्य नहीं कर रहे हैं। महज एक कम्पाउन्डर है जो इधर-उधर की दवाई पब्लिक को बिला वजह दे देता है। वहां पर जितने मरीज आते हैं उनको उपयुक्त दवाइयां नहीं मिलती हैं। जनता में बहुत असंतोष फैला हुआ है। माननीय मंत्री महोदय कृपा करके जल्द से जल्द वहां डाक्टर की व्यवस्था करें जिससे जनता में असंतोष न फैले।

बस इससे ज्यादा मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने कुछ नहीं रखता हूं, यही मेरी उचित मांग है।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे भी बोलने के लिये थोड़ा समय प्रदान किया गया। अभी यहां पर मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूं कि चिकित्सा के संबंध में और जनस्वास्थ्य के संबंध में अनेक प्रकार के विचार प्रगट किये जा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रश्रय देकर बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है और मुझे आशा है कि आयुर्वेद चिकित्सा की पद्धति की उत्तरोत्तर उन्नति होगी।

आयुर्वेदिक चिकित्सा के संबंध में जब मैं कभी-कभी ऐसा देखता हूं कि कहीं-कहीं कोई सज्जन प्रश्न करते हैं कि इसमें वैज्ञानिक बातों का अभाव है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे देश की तो सभी वस्तुयें, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य वह सब विज्ञान से ओत-प्रोत है। मैं इस बात को अच्छी तरह से कह सकता हूं कि संसार का कोई साहित्य उसका सामना नहीं कर सकता। हमारे यहां की चिकित्सा प्रणाली इतनी उत्तम है कि उससे सरल से सरल ढंग से लोगों

[श्री रणंजय सिंह]

को अच्छा किया जा सकता है। मैं तो समझता हूं कि जहां सरकार ऐलोपैथिक औषधियों के लिये धन व्यय करती है उसी प्रकार आयुर्वेदिक औषधियों की ओर अग्रसर होती रहे तो वह समय आयेगा कि बहुत कम धन से बहुत बड़े-बड़े कार्य हमारे देश में दिखलाई पड़ेंगे। और कोई सज्जन आयुर्वेदिक चिकित्सा के संबंध में यह समझते हैं और यह विचार प्रगट करते हैं कि वहां पर अच्छी औषधियां नहीं है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हमारा देश बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। हमारे यहां की एक-एक बातें, ज्योतिष की, वैद्यक की, ऐसी रही है और मैं समझता हूं कि आज भी हमारे यहां जो कुछ ज्योतिष का गणित है वैसा गणित और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिये आयुर्वेद के संबंध में जब कोई भी ऐसा कहता है कि आयुर्वेद में दवाइयों की कमी है और ऐलोपैथिक दवाइयों की अधिक आवश्यकता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इसी तरह लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेसर की दवा आयुर्वेद में नहीं है। वह कहते हैं कि ब्लड प्रेसर के लिये आयुर्वेद में इसका नाम ही नहीं है। तो इसका उत्तर चरक सुश्रुत में ही मिल जाता है। शिरा शैथिल्य और शिरा स्थौल्य, लो ब्लड प्रेसर तथा हाई ब्लड प्रेसर के नाम हैं। इस प्रकार से हमारे यहां की चिकित्सा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसकी उन्नति और इसके प्रसार से न केवल हमारे ही देश का बल्कि संसार का कल्याण होगा। हमारे प्रदेश में इस प्रकार से जो आयुर्वेदिक कालेज खोलकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है आयुर्वेदिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है, उससे लोग देखेंगे कि कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी जागृति हमारे यहां होगी और आयुर्वेदिक का महत्व सभी लोगों के सामने स्पष्ट हो जायगा। हमारे देश में आयुर्वेद के अन्दर इतनी अच्छी-अच्छी दवाइयां है कि अभी जैसा कहा गया कि ऐसे बड़े-बड़े रोग जो हैं वह आयुर्वेद की छोटी सी जड़ी और बूटी से ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसमें इस बात की आवश्यकता थी कि लोगों को उसकी शिक्षा समुचित रूप से दी जाय। अच्छे से अच्छे वैद्य हों, और अच्छे से अच्छे औषधालय हों और इस प्रकार से औषधालयों की उन्नति होगी और वैद्यक का प्रसार होगा तो उसमें कोई संदेह नहीं कि लोगों को बहुत सरलता के साथ अपने रोगों से मुक्ति मिल सकेगी। साथ ही साथ में यह भी कह सकता हूं कि जहां तक हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है वह संसार की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा प्रणाली है। इसके संबंध में हमारे यहां के बहुत बड़े-बड़े वैद्यों का तो कुछ कहना ही नहीं है मैं तो कह सकता हूं कि किसी रोगी को सामने रख दीजिये मैं समझता हूं कि उसको मैं आयुर्वेदिक की औषधियों के द्वारा सरलता के साथ ठीक करवा सकता हूं इस प्रकार हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक से श्रेष्ठ है इसमें कोई सन्देह नहीं। अब रहा यह कि हम ऐसी बात क्यों न करें कि लोगों को अस्वस्थ होने का अवसर ही न मिले तो इसके लिये हमें जितनी मिलावट की चीजें हैं जैसे डालडा वगैरह है उन पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। उनके लिये प्रबन्ध करना होगा। लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन मिले, उनका आचरण शुद्ध हो, लोग व्यायाम करें, व्यायामशालायें खोली जायं, तो मैं समझता हूं कि जनता का उससे कल्याण होगा। जन स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये आयुर्वेद पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। अब मैं अधिक समय आपका न लेकर यही निवेदन करूंगा कि इसके लिये जो सरकार ने धन रखा है उसके लिये मैं उसे धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसकी उत्तरोत्तर अधिक से अधिक उन्नति की जाय।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अनुदान के संबंध में सदन के माननीय सदस्यों ने जो अमूल्य सुझाव दिये हैं तथा इसमें जो दिलचस्पी ली है इसके लिये मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। शुरू में ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने गत साल के कार्य का सिंहावलोकन करते हुये इस बात को स्वीकार किया कि हमारे प्रान्त की आवश्यकताओं को देखते हुये हम यह मानते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये जितना रुपया हमारे बजट के अन्दर रखा गया है वह नाकाफी है और जो कार्य हमारे सामने प्रान्त की जरूरतों को देखते हुये है उसमें अधिक प्रगति की आवश्यकता है। यह भी उन्होंने माना कि हमारे प्रान्त में जितना हमको जन स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये करना चाहिये, उसके लिये अफसोस है कि अन्य प्रान्तों के मुकाबले में हम कुछ पिछड़े हुये हैं।

परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कहा कि इस विभाग के अन्दर कोई उन्नति नहीं की गयी। यह कहा गया कि समय-समय पर जो कमेटियां इस विभाग के सम्बन्ध में कायम की गयीं उनकी सिफारिशों के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया, खेर कमेटी या भोर कमेटी की सिफारिशों के ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक खेर कमेटी और भोर कमेटी की सिफारिशों का सवाल है सरकार ने सिद्धान्ततः उनकी सिफारिशों को स्वीकार किया और उसी के आधार पर प्रान्त के अन्दर जिले के अस्पतालों में इक्वीपमेंट और उनके साधनों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिये प्रयत्न किया और उसका नतीजा यह है कि आज हमारे प्रान्त के दस से ज्यादा अस्पतालों के अन्दर पैथालोजिकल लेबोरेटरीज हैं। आज हमारे प्रान्त में जिले के हेड क्वार्टर्स पर जहां पर बिजली के साधन हैं करीब-करीब सभी जगह एक्सरे की व्यवस्था कर दी गयी है और तमाम अस्पतालों में हर प्रकार के विशेषज्ञों को रखने की कोशिश की गयी है। खेर कमेटी की मुख्य सिफारिश यह थी कि करीब ४० हजार की आबादी पर एक यूनिट हम बना करके चलें और उसमें एक अस्पताल कायम किया जाय। उसके बाद तीन-तीन यूनिटों पर एक अस्पताल हो और फिर जिले के अस्पताल हों। उस सिफारिश को सरकार ने सिद्धान्ततः तो मान लिया, लेकिन उसमें जितना व्यय प्रान्त के कोष के ऊपर होता या मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुये हमारा प्रान्त उसका भार वहन करने में समर्थ नहीं था। इसलिये इस बात को माना गया कि जो इस वक्त हमारे अस्पताल प्रान्त के अन्दर हैं उन्हीं की उन्नति करने की कोशिश की जाय, उन्हीं से अधिक सेवा करने की कोशिश की जाय। इसका विवरण इस पुस्तिका के अन्दर दिया गया है। इस अर्से के अन्दर काफी अस्पताल बढ़ाये गये हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी ग्रामों के अन्दर कायम किये गये हैं। यदि हम उनकी सिफारिशों के अनुसार ग़ौर करें और हम यह मानें कि ४० हजार की आबादी पर हमको एक अस्पताल की आवश्यकता है जहां पर कि तीन एम्बुलेंस कार हों, तो आप अन्दाजा लगायें कि हमारे प्रान्त के अन्दर करीब साढ़े छ करोड़ की आबादी के लिये १६ सौ से ज्यादा अस्पतालों की हमको आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त फिर हमको उन तीन यूनिटों के बीच एक एक और अस्पताल की जरूरत होगी जिसका मतलब यह है कि करीब ५ सौ से ऊपर और ऐसे अस्पताल हों जो इन यूनिट्स के ऊपर कायम हों। इतना सारा प्रबन्ध करने के बावजूद जब कि अस्पतालों की संख्या, एलोपैथिक डिस्पेंसरीज की संख्या और आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या पहले से कई गुनी हो गई है, फिर भी वह संख्या आठ सौ से ऊपर नहीं बढ़ पाई है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीय अस्पताल कायम किये गये हैं, लेकिन जगह-जगह से इसी बात की मांग होती है कि उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिये, उनको सेवा के अधिक योग्य बनाने के लिये उनका प्रान्तीयकरण कर दिया जाय। हम उन चिकित्सालयों को आधार बना कर नहीं चल सकते। सरकार की नीति बराबर यही रही है कि जैसे-जैसे साधन मिले हैं, उन अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करती चली गयी है।

उस खेर कमेटी की सिफारिश के अनुसार जहां तक हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज के अमलगमेशन का सवाल था, उस पर सबसे ऊपर तो शुरूआत की गयी और वहां डायरेक्टर का पद एक ही कर दिया गया, लेकिन नीचे के स्तर पर व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से अभी तक अमल नहीं किया जा सका। इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि खेर कमेटी और भोर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार हम उसको अमल के अन्दर ला सकें और इस बात की कोशिश करें कि उन दोनों सर्विसेज का अमलगमेशन हो सके। इस ओर बराबर प्रयत्न जारी है।

[श्री बनारसी दास]

अभी आपने पे क्लीनिक्स का जिक्र किया। यह ठीक है कि पे क्लीनिक्स उस समय तक नहीं चल सकते जब तक प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द न किया जाय। प्राइवेट प्रैक्टिस के सम्बन्ध में समय-समय पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, जनता में भी इस सम्बन्ध में आन्दोलन है, लेकिन जब तक कि हम अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा शय्याओं का प्रबन्ध नहीं करते, उस वक्त तक प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द करना कोई व्यावहारिक प्रश्न नहीं मालूम होता। बहरहाल जब लोग घरों पर डाक्टरों की सहायता चाहते हैं और अस्पतालों के अन्दर ज्यादा शय्याओं का प्रबन्ध नहीं है, तो इससे भ्रष्टाचार फैले, यह व्यावहारिक नहीं है। तो यह कैसे सम्भव हो सकता है। जहां तक प्राइवेट प्रैक्टिस के बन्द करने का सवाल है और उसी के अनुसार डाक्टर्स के वेतन के अन्दर वृद्धि करने का सवाल है यह बराबर सरकार के विचाराधीन है। यह प्रश्न केवल इस प्रदेश का ही नहीं है बल्कि सारे देश का है और इस पर बराबर विचार किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि वह दिन निकट होगा जब कि इस प्रश्न को हम कार्यान्वित कर सकेंगे। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने स्पूरियस ड्रग्स का जिक्र किया। स्पूरियस ड्रग्स की जहां तक भयंकरता का सवाल है, समाज के स्वास्थ्य पर जो इसका घातक प्रभाव पड़ता है इसके अन्दर दो रायें नहीं हैं। सरकार इस सम्बन्ध में पूरे तौर से सतर्क है। इस सम्बन्ध में ६ ड्रग्स इन्सपेक्टर्स को नियुक्ति की गयी है। बहुत से केमिस्टों की दुकान पर जा करके तलाशियां ली गयीं। कानपुर के अन्दर भी वहां कई दुकान की तलाशियां ली गयीं और इस प्रकार की दवाइयां जो विदेशों से आती हैं काफी कीमती हैं, उनकी बोतलों को तोड़ने का आदेश भी दिया गया। इस सम्बन्ध में काफी लोगों को सजाएं भी दी गयीं हैं और जुर्माने किये गये हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि अधिक कुछ करने की आवश्यकता है। सब से बड़ी आवश्यकता तो यह है कि ड्रग्स के मामले में एक लोकमत तैयार किया जाय कि जो लोग इस प्रकार की ड्रग्स को बेचते हैं हम उनको अपने समाज का नम्बर एक शत्रु समझें। यदि इस प्रकार का सामाजिक आन्दोलन किया जाय तो मैं समझता हूं कि सरकार का कानून, सामाजिक प्रतिबन्ध और जनता का लोकमत ऐसी ड्रग्स को रोकने के लिये सफल हो सकता है। अभी जहां तक खाने-पीने की चीजों के अन्दर मिश्रण का सवाल है, इसके बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव पेश किये। अब आप जानते हैं कि इस प्रदेश में सबसे पहले प्योर फूड ऐक्ट बनाया गया जिसके द्वारा एन्टी अडल्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया। प्योर फूड ऐक्ट को इस साल २६ जनवरी से लागू किया गया है और उसके अनुसार पहले ऐक्ट में जो त्रुटियां थीं उनको दूर कर दिया गया है। उसके द्वारा अधिक सजा का विधान किया गया है और सेनिटरी इन्सपेक्टर्स के अलावा हेल्थ आफिसर्स के लिये भी म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैनों को अधिकार दिया जा रहा है। इसके अलावा यहां प्रयोगशाला में कुछ और आदमियों की नियुक्ति की गई है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तादाद के अन्दर सैम्पिल्स लिये जायं और वहां पर उनकी अनालिसिस ठीक हो सके और प्योर फूड ऐक्ट के अनुसार ज्यादा से ज्यादा उसके अन्दर अमल किया जा सके। अभी जहां तक इस प्रदेश के अन्दर आयुर्वेदिक और मार्डन पद्धति का सम्बन्ध है, यह विषय एक बहुत पुराना है। अभी उमाशंकर जी ने यहां सुझाव पेश किया कि यहां भिन्न २ पद्धतियों को मान्यता प्रदान की गयी है, जिस पर अधिक व्यय होता है। अधिक सुन्दर हो यदि इन सब पद्धतियों को एक कर दिया जाय। इससे प्रान्त का व्यय भी बचेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विज्ञान के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम शब्द नहीं कहा गया है। जितनी भी पद्धतियां हैं, जो इतने काल से समाज की सेवा करती चली आ रही हैं, उनको सरकार कानून द्वारा रोक नहीं सकती। आयुर्वेद, होमियोपैथी, यूनानी और मार्डन पद्धति सभी का अपना अपना स्थान है, सभी ने जनता की सेवा की है। इसलिये हमें इस बात का गर्व है कि हमारे प्रदेश ने सबसे पहले यहां पर होमियोपैथी

को मान्यता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त हमने यहां आयुर्वेदिक को प्रगति देने के लिए तमाम राज्यों से अधिक कोशिश की है। लेकिन यह कहना कि आयुर्वेद और मार्डन साइन्स के अन्दर एक भेद भाव किया जाता है, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाता है, इस बात की मांग कि वैद्यों को सलफा ड्रग्स को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाय और साथ ही उनको अपने देहाती चिकित्सालयों में माइनर आपरेशन्स करने की इजाजत दी जाय, जहां तक आयुर्वेद के बारे में इस प्रदेश की नीति का सम्बन्ध है वह नीति तो बिल्कुल साफ है कि आयुर्वेद को हम हर तरह से प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आपने माननीय मंत्री जी के भाषण में इस बात को देखा होगा कि ७ लाख रुपये से बढ़ाकर उसे ३० लाख रुपये से भी अधिक कर दिया गया है और चाहते यह हैं कि हमारे शिक्षण का स्तर ऊंचा हो और योग्य से योग्य विद्यार्थी निकलें। यह जो कहा जाता है कि दोनों के बीच में अन्तर रखा जाता है और आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स का वेतन इतना नीचा है कि उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता, इस पर आपको इस पृष्ठभूमि में देखना होगा कि जहां कहीं भी चिकित्सालय कायम करने का प्रश्न आता है सदस्यों की ओर से और डिस्ट्रिक्ट ऐडवाइजरी कमेटीज की ओर से आयुर्वेद के चिकित्सालयों की मांग कम होती है और मार्डन अस्पतालों की ज्यादा होती है। सरकार का यह काम नहीं है कि किसी पद्धति को कहीं पर, किसी तरह से थोपा जा सके। जनता जिस प्रकार का इलाज चाहती है उसी तरह का इलाज उनके लिये सुलभ करना उचित होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जब कि कुछ विद्यार्थियों ने इस वजह से परीक्षा में बैठने से इन्कार कर दिया क्योंकि उनको सरजरी और सलफा ड्रग्स के इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस पद्धति को प्रोत्साहन दिया गया और वैद्य भी सलफ़ा ड्रग्स और पेनीसिलीन और पेटेंट दवाइयां इस्तेमाल करने लगे तो हम जो आयुर्वेद को अपनी चिकित्सा प्रणाली बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी देशी दवाइयां इस्तेमाल हों, तो इससे बड़ी राष्ट्रीय हानि होगी। अगर मार्डन डाक्टर्स आयुर्वेद की दवाइयों का प्रयोग करें तो यह आयुर्वेद की उच्चता को मानना है। हम यह आशा करते हैं और यह वैद्यों का भी फर्ज होगा कि आयुर्वेद की दवाइयों की उच्चता साबित हो और डाक्टर्स भी ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद की दवाइयां इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार की तुलना करना कि जब डाक्टर्स के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो वैद्यों के लिये सलफ़ा, ड्रग्स के इस्तेमाल पर क्यों प्रतिबन्ध है, यह आयुर्वेद पद्धति के लिये ही हानिकर है। आयुर्वेद की उन्नति के लिये और राष्ट्रीय पद्धति के विकास के लिये जहां तक हो इस प्रकार की आधुनिक दवाइयों का प्रयोग कम से कम हो। यदि इनका प्रचार बढ़ा तो इन दोनों के अन्दर अन्तर क्या होगा? हां, इतना हो सकता है कि इन सब पद्धतियों का संगम हो और एक ही उन लोगों की दवाइयां हों और जो एक दूसरी की खूबियां हैं उनको मिलाकर एक मिश्रित पद्धति बने, लेकिन इसे अभी ज्यादा दूर तक चलना होगा और उसके बाद में कुछ संगम नजर आ सकता है। इसलिये जहां तक आयुर्वेद की उन्नति का सम्बन्ध है, हमको यह कहने में हिचकिचाहट नहीं कि आज हमारे देश के अन्दर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहां राज्यों की सरकारों की ओर से आयुर्वेद की उन्नति के लिये इतना किया गया हो, जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सबसिडी दी गई हो और इतनी बड़ी तादाद में आयुर्वेदिक चिकित्सालय हों। आयुर्वेद की ओर कितना ध्यान इस प्रदेश की सरकार का है, इस बात का सबूत यह है कि अभी कानपुर के अन्दर कहा गया कि एक मेडिकल कालेज क़ायम करने का प्रस्ताव सन् १९४८-४९ में था और उसे शेल्व कर दिया गया, तो इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन यह प्रस्ताव है कि कन्डेंस्ड कोर्स के लिये हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि कानपुर में उसकी व्यवस्था की जाय और यदि सम्भव होगा तो इस साल ही

[श्री बनारसी दास]

अवश्य इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जो लोग लखनऊ और आगरे के कंडेंस्ड कोर्स के लिये जाते हैं उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था कानपुर के अन्दर ही हो।

मैटरनिटी हास्पिटल्स के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि बहुत रोज से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। शुगर सिंडीकेट और शुगर एक्सचेंज का जो ६ लाख रुपया जमा है उसके द्वारा जो सहायता देने का वादा किया गया है उसमें रुकावट केवल इस कारण से थी कि भूमि की व्यवस्था नहीं थी। माननीय सदस्यों को जानकर हर्ष होगा कि मिलिटरी से इस सम्बन्ध में फैसला हो चुका है और भूमि मिलने की व्यवस्था हो चुकी है और शीघ्र ही अस्पताल के खोलने का प्रबन्ध किया जा सकेगा। अभी माननीय मेहरोत्रा जी ने मैटरनिटी सेन्टर्स के बारे में कहा कि देहातों में उनको कायम किया जाय तो आपने माननीय मंत्री जी के भाषण में सुना होगा कि तीन साल के अन्दर दो सौ मैटरनिटी सेन्टर्स खोलने की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष के अन्दर ६६ केन्द्र होंगे और वह सब के सब गांवों में कायम किये जायेंगे। मैं समझता हूं कि उन केन्द्र के खुल जाने से देहातों में स्त्रियों की सेवा में बहुत सहायता मिलेगी। बेगम साहबा ने बताया कि मेडिकल कालेज में स्त्रियों की ट्रेनिंग की अधिक व्यवस्था की जाय। उनको मालूम होगा कि लखनऊ में मेडिकल कालेज में २५ लड़कियों की और आगरे के मेडिकल कालेज में हर साल १० लड़कियों की भर्ती की जाती है। और वहां जब कि लड़कों के मार्क्स फ्री टेस्ट के अन्दर कम से कम ४० प्रतिशत होते हैं और लड़कियों के लिये ३३ फीसदी ही होते हैं। यदि लड़कियों की संख्या के अन्दर कुछ उन्नति होगी तो इस व्यवस्था पर विचार करना सम्भव होगा, लेकिन इस समय जो स्त्रियों को मेडिकली एजूकेट करने की कोशिश की जा रही है वह काफी है। इस बात के लिये भी आदेश दिया गया है कि जो ५२४ नर्सेज की ट्रेनिंग का प्रबन्ध है उसमें ५२४ ही नर्सेज की ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया जाय और सब से पहले लड़कियों को लिया जाय। यदि लड़कियां किसी कारण से न मिल पायें तो उस संख्या के अन्दर मेल्स को ले लिया जाय। यह मानी हुई बात है कि मेल नर्सेज के मुकाबिले में फीमेल नर्सेज नर्सिंग का काम अच्छा करती हैं। लेकिन यह भी कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं मालूम पड़ता कि यदि फीमेल नर्सेज इस संख्या के अन्दर न मिल सकें तो मेल नर्सेज से अस्पतालों के अन्दर काम ही न लिया जाय। मैं समझता हूं कि इस बार जो नर्सेज की ट्रेनिंग के लिये यहां पर कम्पेटीशन व्यवस्था की गई है और इधर इस पेशे की उच्चता के सम्बन्ध में जो समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है उससे फीमेल नर्सेज का मिलना सम्भव होगा और अब तक जो कमी थी वह दूर हो जायगी।

जहां तक अभी कसिया के अन्दर अस्पताल के लिये कहा गया है मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है क्योंकि कसिया एक ऐतिहासिक नगर है और वहां इस बात की व्यवस्था की जायगी कि वहां एक अच्छा अस्पताल हो, लेकिन देवरिया में अस्पताल की व्यवस्था की ओर उचित ध्यान दिया गया है और वहां शहर में एक अस्पताल बनाया गया है। वहां पडरौना के अन्दर दो अस्पतालों को सरकार ने अपने हाथ में लिया है। बस्ती के बहुत से स्थानों में काला आजार और प्लेग ऐसी बीमारियों को रोकने के लिये काफी प्रबन्ध किया गया है। तो आप देखेंगे कि मौजूदा आर्थिक स्थिति के अन्दर जो कुछ करना सम्भव हो सकता था किया गया है, लेकिन इस पर भी हमें सन्तोष नहीं है और इसीलिये माननीय मंत्री जी ने सदस्यों से अपील की थी कि वे ऐसे साधनों को मुहइया करें जिससे हमारे अल्प साधनों की पूर्ति हो सके और ज्यादा से ज्यादा रुपया इस प्रान्त के दुखी लोगों की सहायता के लिये, उनकी सेवाओं के लिये मिल सके। आपने जो सुझाव दिये हैं मुझे आशा है कि जनता के सहयोग से और आप सबके सहयोग से हम इस कार्य को पूरा करने में सफल हो सकेंगे।

श्री कमला सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया लेकिन उपमंत्री जी ने जो सिंहावलोकन किया और यह बतलाया कि आज अस्पतालों की संख्या दूनी हो गई है उसके मुताल्लिक मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं उनके सामने दो पुस्तकें जो उत्तर प्रदेश थारो फिगर्स १९४५-५२ है और दूसरी डिपार्टमेंट आफ एकनामिक्स ऐंड स्टेटिस्टिक्स उत्तर प्रदेश १९४५-५० है उसके अगर टेबुल नम्बर ६ और दूसरी के टेबुल नम्बर ८ को कम्पेयर करें तो आपको मालूम होगा कि इस सरकार की क्या परिस्थिति है। सन् १९४६ में टेबुल नम्बर ८ में दिये हुये हैं कि ८२५ अस्पताल बनाये जा चुके हैं और टेबुल नम्बर ६ में केवल ६१७ अस्पताल दिखाये गये हैं। जब कि दोनों में १,९४,३३६ इनडोर पेशेन्ट्स थे और ८७,३३,०३९ आउट डोर पेशेन्ट्स थे। मेरी समझ में नहीं आता है कि इन दोनों टेबुल्स में इतना डिफेरन्स (फर्क) क्यों है। इसी गवर्नमेंट के एक ही डिपाट्मेंट में यह क्या चीज है? एक जगह ८२५ अस्पताल दिखाये गये हैं और दूसरी जगह केवल ६१७ अस्पताल दिखाये गये हैं। इसी तरह से सन् १९४७ में एक जगह ८३३ और दूसरी जगह ६२४, सन् १९४८ में एक जगह ८५५ और दूसरी जगह ६४५ १९४९ में एक जगह ९४१ और दूसरी जगह ७६४ और सन् १९५१ ई० में ८९९ दिखाये गये हैं तो माननीय उप मंत्री जी बतलावें कि १७७ अस्पतालों का क्या हुआ। मेरी समझ में नहीं आता है कि किसके आंकड़े सही माने जायं। यह आपका वर्किंग है, यह आपकी कामयाबी है।

कहा यह गया है कि आयुर्वेद वैद्य वगैरा में विमाता का बर्ताव नहीं किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद के जो अस्पताल १९३९ से १९४९ तक नये बनाये गये उनके लिये फर्नीचर तक नहीं दिया गया। पारसाल ३०,००० रु० जरूर इसके लिये मंजूर किया गया था लेकिन इस साल कुछ भी नहीं किया गया। एक पाई तक नहीं दी गई है। अब आप सोचिये कि सन्यासी बनाकर आप उनकी विद्वता देखना चाहते हैं। वह अपनी क्या विद्वता दिखा सकते हैं और किस तरह से वह कामयाब हो सकेंगे। यह तो हालत है सरकार की और फिर भी आप कहते हैं कि आयुर्वेद के साथ विमाता का सा बर्ताव नहीं होता है। जब कभी मेला वगैरा होते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि वहां जाओ और सुइयां वगैरा लगाओ। अगर आप उनसे दवा वगैरा का कुछ काम नहीं लेंगे तो वह अपनी मैरिट्स कैसे दिखा सकेंगी। क्या सुई देकर आयुर्वेद दवाओं का प्रभुत्व कोई दिखा सकता है?

आयुर्वेद की दवायें सस्ती होती हैं, होम्योपैथ की दवायें और भी सस्ती होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि इनको भी उतना ही रुपया दिया जाय जितना कि एलोपैथी को दिया जाता है, लेकिन कुछ न कुछ तो दिया जाय जिससे वह अपनी विद्वता दिखा सकें। बहुत सी आयुर्वेद की दवायें हैं जो अपटूडेट हैं। लेकिन हम एलोपैथी की दवाओं में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं जो बाहर से आती हैं। एक दवाई आयुर्वेद की है अर्जुनारिष्ट जो एलोपैथिक की एक्स्ट्रैक्ट आफ अर्जुन है, इसी तरह से एक्स्ट्रक्ट बेल जो बेल रस है, जो संग्रहणी वगैरह में दी जाती है और एक दवाई है पुनर्नवां (गदापूर्ण का रस) जो शरीर के सूजन वगैरा में दी जाती है। टी० बी० में गोल्ड और कैलशियम प्रपेरेशन दिया जाता है। कैलशियम तीन तरह का होता है। (१) एनीमल कैलशियम मूंगा इत्यादि (२) मिनरल कैलशियम खडिया चूना आदि और (३) वैजीटेबिल कैलशियम बंशलोचन आदि हमारे यहां आयुर्वेद में अच्छी और अपटूडेट चीजें हर स्टेज की मिल सकती है फिर हम विदेशी चीजों पर क्यों निर्भर करते हैं। इस प्रदेश में इन्हीं दवाइयों का आविष्कार क्यों नहीं कराते?

[श्री कमला सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय आप देखिये यह हमारी हालत है। मैं एक चीज और बतला देना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि यहां पर बी० एम० बी० एस० कालेज बनाया गया, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसका हेड एलोपैथी का ही एक्स्पर्ट था। आज फिर आप नई आयुर्वेद की फैकल्टी बनाने जा रहे हैं जिसमें लाखों रुपया खर्च होगा। हम समझते हैं कि उससे ज्यादा अच्छा तो यह होता कि बनारस यूनीवर्सिटी को ही कुछ रुपया देकर काम चलाया जाता या अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के यूनानी कालेज को रुपया देकर और भी अच्छा बनाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। थोड़े रुपये में हम अधिक अच्छा काम कर सकेंगे। इससे मुल्क का रुपया बचता और थोड़े से रुपये में अधिक से अधिक लाभ हो सकता था क्योंकि सब जानते हैं कि नई आयुर्वेदिक फैकल्टी के बनाने में बहुत ज्यादा रुपया, जो एक नया मेडिकल कालेज खोलने में लगता है, खर्च करना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त अभी बेगम साहिबा ने बतलाया है कि स्त्रियों के बारे में, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारे प्रदेश के लिये बड़े शर्म की बात नहीं है है कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो वेश्या वृत्ति करके अपनी उदर पूर्ति करती हैं जिससे गिनोरिया वग़ैरा भयानक बीमारियां फैलती हैं। आज मच्छरों को तो सरकार मार रही है और उसमें यानी डी० डी० टी० ड्राइव में लाखों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज सरकार गिनोरिया जैसी भयंकर बीमारियों को रोकने के लिये क्या कर रही है। सब से पहला हमारा स्टेप होना चाहिये था कि हमारे प्रदेश में ऐसी एक भी स्त्री न रह सके। जो कि वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रही हो। सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि उनको चांस दिया जाय और उनकी जीविका के लिये कोई न कोई उपाय किया जाय ताकि हमारे प्रदेश में यह जो शर्मनाक चीज फैल रही है उसको आगे न बढ़ने दें। क्या सरकार इसको करने को तय्यार है? माननीय उप मंत्री जी ने कोई ऐसी चीज इस सदन के सामने नहीं प्रस्तुत की है जिससे मुझे संतोष होता। इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को इस साल वापस नहीं करना चाहता। अगर अगले साल कोई उन्नति दिखलायेंगे तो अवश्य वापस कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये आय–व्ययक में अनुदान संख्या २०–लेखा शीर्षक ३८–चिकित्सा के अन्तर्गत २,४५,९२,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ३९—जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत १,४१,७६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२–लेखा शीर्षक ६३–असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१–लेखा शीर्षक ८५ क–राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२–लेखा शीर्षक ६३–असाधारण व्यय के अन्तर्गत ३,१५,७१,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान ६०३ संख्या ४२-लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१-लेखा शीर्षक ८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१-लेखा शीर्षक ८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १९,९२,१०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों अनुदान उस विभाग से संबंध रखते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुओं का नियंत्रण होता है, जिनका संबंध मनुष्य के रोजमर्रा जीवन से है। ये अनुदान खाद्य पदार्थ, कपड़ा, तेल, लकड़ी, नमक, मकानों का भाड़ा और दवाइयां इत्यादि से संबंध रखते हैं। इन अनुदानों के अन्तर्गत ये विभिन्न प्रकार के नियंत्रण, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, चलाये जाते हैं इतने थोड़े से समय में मेरे लिये यह संभव नहीं है कि इन सारे नियंत्रणों के संबंध में सिंहावलोकन करूं, लेकिन जो पुस्तिका खाद्य और रसद विभाग के कार्यविवरण की बांटी गयी है अगर माननीय सदस्यों ने उसका अध्ययन ठीक तरह से किया होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें सारी परिस्थितियों का ज्ञान हो गया होगा। जहां तक खाद्य के नियन्त्रण का संबंध है, कपड़े के नियन्त्रण का संबंध है तथा अन्य पदार्थों के नियन्त्रण का संबंध है उस सबकी जानकारी इस वार्षिक कार्यविवरण में अच्छी तरह से करा दी गयी है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कार्य-विवरण के पृष्ठ १,२,३ और ४ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिनमें खाद्य का नियंत्रण, सरकारी खरीदारी, आयात, निर्यात और राशनिंग का जिक्र किया गया है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि १ जुलाई सन् १९५२ से हमने अपनी नियंत्रण नीति में जहां तक उसका संबंध खाद्य से है, परिवर्तन किया है। और कुछ समय से जो राशनिंग की व्यवस्था हमारे नगरों में चल रही थी उसमें कुछ अन्तर कर दिया गया है। अब जहां-जहां नियंत्रण की व्यवस्था चल रही है, वहां अलावा उस राशन के जो कि उन्हें सरकारी दूकानों से प्राप्त होती है, खुले बाजार में भी लोग अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता के लिये अन्न प्राप्त कर सकते हैं। १ जुलाई सन् ५२ से स्टेचुरी राशनिंग उठा लिया गया और प्रोक्योरमेंट की नीति को भी हमने तब्दील कर दिया। प्रोक्योरमेंट करना तो हमने एक तरह से छोड़ ही दिया। जब हमने अपनी नीति को बदला तो प्रदेश में ऐसा आभास हो रहा था कि वह दिन शीघ्रता से आ रहा है जब कि प्रदेश की पैदावार में फर्क होने वाला है, फसल अच्छी होने वाली है, क्योंकि बरसात अच्छी हो रही थी और साथ ही देश के अन्दर ऐसा वातावरण उपस्थित हो रहा था कि हमारे बीच में जो नियन्त्रण की कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाय। ऐसे समय में जब कि डिकंट्रोल का भाव फैल रहा हो और हम यह अनुभव करते हों कि फसल अच्छी होने वाली है, तो अपनी नीति को बदलना एक स्वाभाविक कार्य था। हमने ३० जून की आज्ञा में यह साफ जाहिर कर दिया था कि किन कारणों से हम अपनी नीति में परिवर्तन कर रहे हैं और जहां तक खाद्य के वितरण का संबंध है हम किन चीजों में अपनी नीति को बदलेंगे। मैं इसके सारे इतिहास का तो सिंहावलोकन इतने थोड़े समय में नहीं करा सकता, लेकिन इस समय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार हमने उस नीति को, जिसे हम जुलाई से बरतते आ रहे थे १६ नवम्बर के बाद उसमें परिवर्तन कर दिया है।

१ जुलाई, १९५२ को यह तय किया था कि स्टेचुअरी राशनिंग और प्रोक्योरमेंट की स्कीम को हम अब न चलायेंगे और जो दूकानें राशनिंग की खुली हुई थीं, उनको रिलीफ कोटा शाप्स में परिवर्तित कर दिया जायगा और उन दूकानों से उन्हीं दरों पर गल्ला जिन पर कि ३० जून से पहले मिलता था, लोगों को मिल सकेगा। लेकिन हमने उस नीति को भी १५ नवम्बर से तब्दील कर दिया। जब खरीफ की फसल आ गयी तो

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मोटे अनाज को, जो अब तक हम देते आये थे, उसका देना भी हमने बंद कर दिया। जब कि हम चावल और दूसरे मोटे अनाज का प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे थे, तो सरकार के लिये यह मुनासिब ही था कि अपनी दूकानों पर यह उन चीजों की बिक्री भी बंद कर दें। इसलिये १५ नवम्बर से जहां तक मोटे गल्ले और चावल के वितरण का संबंध था उनका दिया जाना रिलीफ कोटा शाप्स से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही साथ हमने गेहूं के दामों में तब्दीली कर दी वह इसलिये करनी पड़ी कि इस प्रदेश के वित्त पर जो बोझ सब्सिडी के कारण पड़ रहा था वह असह्य सा होता जा रहा था। हमें मजबूरन गेहूं के दामों को बढ़ाना पड़ा। जो गेहूं रिलीफ कोटा शाप्स से १ रुपये का ढाई सेर मिल रहा था उसको सवा सेर की दर पर बेचने का निर्णय किया गया चूंकि बाजार में गेहूं का भाव भी कुछ बदला हुआ था और साथ ही हम करोड़ों रुपये के उस बोझ से, जो हमारे ऊपर लदता जाता था, थोड़ा बचना चाहते थे। हमने गल्ले के दामों को फिर मार्च में आकर तब्दील किया। माननीय सदस्य इस तरह के एतराज उपस्थित कर सकते हैं कि यह नीति जो हमने बरती जिससे गेहूं की कीमतें बढ़ा दीं और गत कुछ महीनों में गल्ला कम मिला है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सही नहीं कही जा सकती। अगर ऐसा एतराज माननीय सदस्य उपस्थित करें, तो जहां तक एकेडेमिक बात का संबंध है, मैं उनके दृष्टिकोण से सहानुभूति रखता हूं लेकिन मैंने यह सदस्यों को बता ही दिया कि हमारे ऊपर इतना बोझ पड़ रहा था कि हमारे बजट के लिये उसे सम्हालना कठिन मालूम देता था। मेरा खयाल है कि बाजार में गल्ले के भाव को देखते हुये अगर माननीय सदस्य उससे मुकाबिला करें तो वे महसूस करेंगे कि हमारा निर्णय कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं था, क्योंकि बाजार खुले हुये थे, बाजार में कीमतें सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पर चलती हैं। हमने जो कीमत रखी वह भाव से काफी कम थी। हमारी इस संबंध में बराबर यह चेष्टा रही कि अधिक से अधिक कंज्यूमर्स को फायदा पहुंच सके। यही वजह थी कि हमने अपनी दूकानों पर मोटे गल्ले के वितरण की तजवीज मंजूर की कि अब जो मोटा गल्ला हम अपनी दूकानों पर बेंचेंगे या चावल बेंचेंगे वह नो प्राफिट नो लास की बेसिस पर बेंचेंगे। वह गल्ला भी जो हमने 'नो प्राफिट नो लास' की बुनियाद पर बेंचने के लिये निकाला था, उस गल्ले की कीमत से कम था जो, लोगों को खुले बाजार में मिलता था। इसलिये हमने इस नीति में परिवर्तन किया। मैं जानता हूं कि सदन के सदस्यगण यह जानना चाहेंगे कि अब हम आयन्दा कौन सी नीति बरतना चाहते हैं। आयन्दा वर्ष में हमारी नीति क्या होगी। उसको चन्द शब्दों में जो मैंने लिख दिया है, उसे पढ़ कर सदन के सामने सुनाये देता हूं, जिससे सदन अच्छी तरह समझ ले कि आगामी वर्ष हम किस नीति को लेकर चलेंगे।

१९५३-५४ में राज्य सरकार का विचार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भविष्य में न घाटा और न मुनाफा "नीति के अनुसार" ही खाद्यान्न बेचने का विचार है। खाद्यान्नों की बिक्री में अब आगे किसी तरह का घाटा उठाना असंभव हो गया है।

आशा है, नई रबी की फसल बाजार में आने के बाद एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों तथा कमी वाले पूर्वी और पहाड़ी जिलों के नगरों को छोड़ कर अन्य स्थानों में सस्ते गल्ले की दूकानें रखना आवश्यक न रहेगा। यदि यह आशा सफलीभूत हुई तो राज्य के २८ नगरों में राशनिंग समाप्त करना संभव हो जायगा। इससे गल्ला देने की सरकार की जिम्मेदारी में लगभग ८,२०० टन प्रति माह की कमी हो जायगी। फिर भी हम मोटे अनाज का पर्याप्त स्टाक अपने पास रखेंगे, ताकि ए०पी० तथा हिल प्रोविजनिंग योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यकता पड़ने पर गल्ला वितरित किया जा सके। इसके लिये सरकार रबी की नई फसल से कुछ चना और जौ खरीद कर अपने पास जमा रखेगी। यह खरीद व्यापारियों की मार्फत की जायगी और प्रत्येक लाइसेंसदार व्यापारी को अपनी खरीद का एक निश्चित प्रतिशत सरकार को देने के लिये कहा जायगा सामान्यतः अच्छी किस्म के चने की खरीद ११ रु० प्रतिमन और जौ की १० रु० प्रतिमन की दर से की जायगी

यदि आवश्यकता पड़ी तो गेहूं के संबंध में भी यही नीति अपनायी जायगी। इसकी खरीद का भाव १५ रु० प्रति मन होगा। गत वर्षों की भांति विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थतियों के अनुसार भावों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन होगा।

मैं यह भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार अपने पास इतनी संख्या में कर्मचारी रखेगी कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय खाद्यान्न के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने और वितरण पर पाबंदियां लगा दी जा सकें। साथ ही यू०पी० फूड ग्रेन (रिक्वीजीशन) आर्डर के अन्तर्गत खाद्यान्नों पर कब्जा कर लेने का वर्तमान अधिकार सरकार के पास रहेगा। अगर कन्हीं कारणोंवश हमारी धीरे-धीरे नियन्त्रण समाप्त करने की नीति का आशा के अनुकूल परिणाम न निकला, तो सरकार गेहूं और दूसरे अनाज के स्टाकों पर कब्जा कर लेगी। इस गल्ले का मूल्य हम यू०पी०फूड ग्रेन "रिक्वीजीशनिंग" आर्डर में निर्धारित दरों पर ही देंगे। वे कीमतें इस प्रकार हैं :—

गेहूं १४ रु०—चना १० रु० ८ आ०—जौ ९ रु० ८ आ०—चावल नं० १-ए २८ रु० ८ आना चावल नंम्बर २-ए २० रु०—१२ आ० चावल नं० ३-ए १८ रु०,—चावल नं० ४ १३रु० ८ आ०,—चावल नं० ५ ११ रु०-८ आ०,—ज्वार ७ रु० ८ आ०,—मक्का ७ रु० ८आ०,—बाजरा ८रु०-८ आ०।

यह सत्य है कि जुलाई सन् १९५२ में कंट्रोल ढीले करने के बाद से हमने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया है। इसके कई कारण हैं। वास्तव में अभी तक व्यापारियों अथवा किसानों के पास गल्ले का काफी स्टाक था ही नहीं। परन्तु अन्न संग्रह की एकाधिकार प्रणाली लागू न होने के कारण आगामी वर्ष यह स्थिति न रहेगी। अतः खुले बाजार की गति-विधि पर सरकार बराबर सतर्क दृष्टि रखेगी।

यह जो घोषणा मैंने अभी की है, वह हम आइन्दा साल में जो इस डिकंट्रोल की नीति बरतने जा रहे हैं, उसके संबंध में है। लेकिन यदि बीच में कभी कोई नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो उसके लिये भी हम तैयार रहेंगे, हमने यह घोषणा पहले भी की है कि यदि दाम गल्ले के बढ़ने लगेंगे तो हम उस को जब्त कर लेंगे। पहिले इस घोषणा के बाद दाम बढ़ने लगे थे तो हमने ऐसा नहीं किया। उसका मुख्य कारण यह था कि अधिकांश गल्ला प्रोक्योरमेंट—नीति के अन्तर्गत पहले ही प्राप्त कर लिया गया था और बाजारों और किसानों के पास अधिक गल्ला नहीं रह गया था। यदि हमने रिक्वीजीशन करने की नीति बरती होती तो यह सम्भव था कि थोड़ा बहुत गल्ला जो देहात से बाजारों में आता था उसका आना भी बन्द हो जाता। उसका नतीजा यह होता कि गल्ले के भाव बाजार में और अधिक बढ़ जाते। हम आइन्दा वर्ष में प्रोक्योर करने नहीं जा रहे हैं। खुले बाजार से अपनी ए०पी० स्कीम के लिये खास जरूरतों में हम गल्ला खरीदने जा रहे हैं। हमें आशा है कि उचित मात्रा में इस प्रकार से गल्ला मिल जायगा।

इसी प्रकार से और नियंत्रणों के बारे में मुझे यह कहना है कि जहां तक चीनी का संबंध है आप सभी जानते हैं कि शुगर हमारे यहां पिछले वर्ष काफी मात्रा में हुई। शुगर की जो नियंत्रित कीमत थी कहीं-कहीं पर उससे भी कम दाम पर वह बिकने लगी सरकार ने पूरा नियन्त्रण शुगर की पैदावार से उठा लिया है और उसके एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के संबंध में भी कोई नियंत्रण नहीं रखा है। सरकार ने एक बात अपने हाथ में रखी है कि यदि मील जानबूझ कर शुगर की कीमत बढ़ाते हैं, तो उस ३ लाख टन शुगर का जो मीलों के पास सरकार की तरफ से सुरक्षित रखी गयी है, वितरण हम अपनी तरफ से करायेंगे और इस तरह से शुगर की कीमत को बाजारों में कम करने का प्रबंध करेंगे। अभी हमें ज्ञात हुआ कि कुछ स्थानों पर शक्कर के दाम कुछ बढ़े हैं। इसलिये हमने यह प्रतिबन्ध लगाया है कि बिना हमारी आज्ञा के उस प्रदेश से दूसरे प्रदेश को शक्कर नहीं जा सकेगी।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इतने समय जब कि हम पूरे तौर से विनियंत्रण की नीति को अपना कर चल रहे हैं, हमें अब ऐसा मालूम होता है कि आज जनता में पहले से बहुत अधिक संतोष है। असन्तोष न किसी माननीय सदस्य को ही है क्योंकि जब बजट पर जनरल डिस्कशन हुआ तो हर साल की तरह से हमें वह लम्बे चौड़े भाषण नहीं सुनने को मिले और न वह क्रोधभरी स्पीचें जो हमें पिछले ६-७ साल से सुनने को मिलती थीं वही सुनने को मिलीं। इस से यह मालूम होता है कि जनता में हमारी अन्न नीति के बारे में कोई भारी असंतोष नहीं है। लोग हमारी नीति को अपनाते हैं और हमारे सामने के माननीय सदस्यों को भी इस संबंध में कुछ अधिक कहना नहीं है।

इसी तरह से खंडसारी और गुड़ पर भी नियंत्रण इस समय लागू नहीं है। खंडसारी और गुड़ सब जगह भेजा जा सकता है और उन पर जो पहले रोकटोक थीं उनमें बिलकुल अन्तर कर दिया गया है। अब गुड़ और खंडसारी बहुत सस्ते दामों पर बिक रहे हैं हर एक माननीय सदस्य इसको जानता है।

कपड़े के संबंध में भी हमारी नीति घोषित है। अब कोई कपड़े की कमी नहीं है और उस पर से केन्द्रीय सरकार ने करीब-करीब नियंत्रण हटा लिया है। केवल २० फीसदी कपड़ा उसने अपने नियंत्रण में रखा है। जो कपड़ा मिलों में पैदा होता है उसको इम्पोर्टर्स प्रदेश में ले आते हैं। अब कपड़े की इतनी पैदावार है कि उसके वितरण में कोई दिक्कत नहीं है। पहले बाजार में कपड़ा मिलने में दिक्कत होती थी लेकिन अब सप्लायर्स मार्केट से परचेजर्स मार्केट कपड़े का बन गया है। इसलिये कपड़े पर से तमाम प्रतिबन्ध उठा लिये गये हैं। अब ऐसी आशा नहीं है कि पहले की सी स्थिति आये क्योंकि अब समय बिलकुल बदल गया है और आज चीजें काफी मात्रा में पैदा होने लगी हैं। यह बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम सब इसी दिन की लालसा में बैठे थे कि चीजों की पैदावार बढ़े और जो असंतोष नियंत्रण के फलस्वरूप फैला हुआ था वह दूर हो। अब चीजें अधिक मात्रा में पैदा होंगी और अधिक मात्रा में जनता को मिलेंगी।

इसी तरह से नमक पर भी अब नियंत्रण नहीं है। वह हमारे प्रदेश में देश के ६ विभिन्न क्षेत्रों से आता है। नमक के मिलने में अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसी कि कई स्थानों पर सन् ५१ में अनुभव हुई थी। तब खास तौर से हमें स्पेशल वेगन कई क्षेत्रों के लिये मंगाने पड़े थे। नमक भी प्रदेश में एक नियंत्रित नीति के अन्तर्गत आता है। लेकिन यह जरूर है कि जो नमक जिलों में भेजा जाता है, एक ही प्रकार का नमक एक जिले में पहुंच पाता है। हालांकि विभिन्न प्रकार के नमक की हर जिले में मांग रहती है, लेकिन हम अपनी नमक की जोनल स्कीम के अन्तर्गत ऐसा नहीं कर पाते। इसलिये अक्सर जिलों में यह तकलीफ़ जरूर होती है कि लोगों को एक ही प्रकार का नमक मिलता है। विदेशों से जो नमक आता था उसका आना अब बन्द हो गया है और अब केन्द्रीय सरकार की नीति है कि देश में जिस तरह का नमक बन रहा है उसी को प्रोत्साहन दिया जाय और उसका प्रयोग किया जाय। जो नमक पाकिस्तान से थोड़ा बहुत चोरी से आता था अक्सर इस प्रदेश के रहने वाले उसको बहुत चाहते हैं। उसकी क़ीमतें भी अधिक बढ़ जाती हैं, लेकिन अब हमारी चेष्टा होनी चाहिये, और है भी कि इस समय देश में जिस प्रकार का नमक बन रहा है उसी को हम बढ़ावा दें और उसी का इस्तेमाल करें। जहां तक नमक का संबंध है, हम सेल्फ़सफ़ीशियेन्ट बनें।

ईंधन पर भी यहां नियंत्रण है। वह अभी २४ नगरों में नियंत्रित क़ीमतों पर बांटा जाता है।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

निजी जंगलों से जो ईंधन आता है वह खुले बाजार में अनियंत्रित क़ीमत पर बिकता है, जो यह अनियंत्रित क़ीमत का ईंधन है उसकी क़ीमत के घटाने में हमारा नियंत्रित क़ीमत वाला ईंधन बहुत मदद पहुंचाता है। इसी कारण हमने २४ नगरों में इसकी व्यवस्था

कर रखी है। और नगरों में भी अगले वर्ष इसके वितरण को बढ़ाने जा रहे हैं। अलावा सिविल कंजम्शन के नियंत्रित लकड़ी फैक्टरीज, और खास कर शुगर फैक्टरीज में इस्तेमाल होती है। दिल्ली को भी इसे हम भेजते हैं। इस तरह से हमारे प्रदेश के जंगलों में जो ईंधन की लकड़ी का उत्पादन होता है वह नियंत्रित क़ीमत पर अपने प्रदेश के शहरों की जनता को, मिलों को और दिल्ली के रहने वालों को फायदा पहुंचा रहा है।

जहां तक इमारती सामान यानी लोहा सीमेंट आदि का संबंध है उसकी स्थिति इस प्रकार है। आज कल लोहे का भी नियंत्रण करीब-करीब बिलकुल हटा ही लिया गया है सिवा लोहे की चद्दरें आदि चंद चीजों के। जहां तक लोहे और स्पात का संबंध है, नियंत्रण क़रीब-क़रीब हटा ही लिया गया है। अब लोहे की चीजों और लोहा काफ़ी मात्रा में बाजार से मिल सकता है। कुछ समय पहले उसके मिलने में काफी दिक्कतें थीं। और यही वजह थी कि काफी तेजी से मकानों का निर्माण नहीं हो पाता था। परन्तु हम अब आशा करते हैं कि लोहा सस्ता और काफी मात्रा में मिलने के कारण मकान यहां बनेंगे जिससे कि यहां के रहने वालों को सुविधा होगी।

जहां तक सीमेंट का संबंध है, सीमेंट का कोटा, प्रतिमास जितना हमें मिलता है उससे अधिक मात्रा में सीमेंट प्रदेश में आ रहा है। आंकड़े आपने इसी पुस्तिका में देखे होंगे। उससे आपको पता लगा होगा कि अब सीमेंट हमारे प्रदेश में काफी मात्रा में आने लगा है। उसकी भी कमी, खासकर डेवलपमेंट वर्क्स में कमी होने का मौक़ा अब न रहेगा।

मिट्टी के तेल का नियंत्रण जनवरी महीने से उठा लिया गया है। वह क़रीब ७ हजार टिन के ऊपर हमारे प्रदेश में प्रति मास आता है। उससे हमारे प्रदेश की जरूरत पूरी होती हुई दिखाई दे रही है।

एक नियंत्रण जो आज हमें परेशानी में डाले हुये है वह मकानों का नियंत्रण है। जैसा कि मैंने अभी बताया मकान अभी उस संख्या में बन नहीं पा रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे प्रदेश के लोगों की आवश्यकता पूरी हो सके। जो आंकड़े पुस्तिका में दिये हुये हैं वह इस बात को बताते हैं कि लोगों की कितनी आवश्यकता है और कितने मकान रहने के लिये उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष जो कानून बना है, उससे इन मकानों के नियंत्रण की जिन्दगी दो वर्ष के लिये बढ़ा दी गयी है। उसमें जुगुल किशोर कंट्रोल्स इन्क्वायरी कमेटी सुझावों का समावेश किया गया है। फिर सरकार ने रेंट कंट्रोल ऐक्ट की विभिन्न धाराओं पर विचार करने और जो हाईकोर्ट ने उन धाराओं के संबंध में अपना मत प्रकट किया है, उन पर विचार करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की है। वह कमेटी आज कल इन विषयों पर विचार कर रही है। जो नये सुझाव वह हमारे सामने उपस्थित करेगी वह क़ानून में तब्दीली करने के लिये सदन के सम्मुख उपस्थित किये जायंगे। मुख्य सवाल उस कमेटी के सामने यह है जिस पर इस सदन में और कौंसिल में पिछले वर्ष हम बहस कर रहे थे कि अक्सर किरायेदार मकान मालिकों को किराया नहीं देते हैं। खास कर बेवाओं के मामलों में किराया वसूल करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। जो बेवायें मकान के किराये पर ही आश्रित रहती हैं उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। उस समय मैंने सदन को बचन दिया था कि इस बात पर विचार करने लिये और कानून में तब्दीली करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिये सरकार एक कमेटी नियुक्त करेगी। वह कमेटी माननीय श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में बैठी हुई है। उसमें कई वकील साहबान हैं। मुझे आशा है कि वह कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी ऐसे किरायेदारों से किराया वसूल करने के लिये, जो किराया नहीं देते हैं, यदि आवश्यकता पड़ी तो इस कानून में परिवर्तन किया जायगा और यह सदन परिवर्तित कानून के ऊपर विचार करेगा।

जब इस विभाग को इतनी वस्तुओं और पदार्थों से डील करना पड़ता है तो उसके चलाने में, उस के कार्यरूप में परिणत करने में बहुत से दोष रह जाना स्वाभाविक ही है और दोष रहे भी हैं। मैं उन दोषों को मानता रहा हूं, उनके निराकरण करने के लिये, दूर करने के लिये, शायद हम चेष्टा भी करते रहे हैं। विभाग में खराबियों के संबंध

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

में समय-समय पर चर्चा की जाती है। जितनी खराबियां हमको देखने को मिलती हैं, जिसका हमें ज्ञान होता है, उसको देखने की हम चेष्टा करते हैं और हमने उसको दूर करने की भरसक चेष्टा भी की है। वे आंकड़े जो किसी पुस्तक में दिये हुये हैं वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से हमारे इनफोर्समेंट स्क्वैड ने, पुलिस ने, बहुत से व्यक्तियों को पकड़ा, हमारे अहलकारों ने पकड़ा और जिस तरह से उनको हमारी कोर्टस से सजा हुई। हमारे ऐसे कर्मचारी, भ्रष्टाचार के मामलों में जिनके खिलाफ़ शिकायतें थीं, वह किस तरह से समय-समय पर निकाले गये, उनकी भी संख्या इसी कार्य विवरण में, जो हमने आप के सामने उपस्थित किया है, दे दिया है।

मैं अधिक समय आप का नहीं लेना चाहता। मैंने काफी समय ले लिया, क्योंकि जितना समय है उसके अन्दर कई साहबान को सुझाव भी रखने होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विभाग का कार्य उत्तरोत्तर कम ही होता जा रहा है। मैं उस दिन की लालसा में हूं कि जब इसका भार और कार्य इतना कम हो जाय कि जिससे यह बजट जो मुझे करोड़ों की संख्या में उपस्थित करना पड़ता है, वह शायद थोड़े रुपयों के आकड़ों में ही आप के सामने उपस्थित करना पड़े। हमें किसी न किसी प्रकार के नियंत्रण और उसकी मशीनरी को तो अपने बीच में रखना ही पड़ेगा, खास कर इस प्रदेश में जिसमें बहिया आती है, सूखा पड़ जाता है, कभी अन्न कम मिलता है और कभी अधिक क़ीमतों पर मिलता है, उस स्थिति पर क़ाबू प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है कि किसी न किसी प्रकार की नियंत्रण मशीनरी हमारे बीच में बनी रहे जिसके अन्तर्गत हम समय-समय पर इन कार्यों को करावें, जिससे चीजों के दामों को घटवा सकें, लोगों को तमाम चीजें मुहैया करा सकें, जिनकी उन्हें जरूरत है।

मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस सदन की स्वीकृति के लिये इन दोनों अनुदानों को उपस्थित करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत दोनों संपूर्ण अनुदानों के अधीन एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। श्रीमन्, १० मिनट के छोटे से समय में खाद्य विभाग और राज्य व्यापार योजनाओं से संबंधित अनुदानों की आलोचना कर सकना एक दुष्कर कार्य है। तो भी मैं आप की आज्ञा से केवल खाद्यान्न नीति के संबंध में कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।

आज माननीय गुप्ता जी की खाद्य नीति को जब मैं देखता हूं तो मुझे उस समय की याद आती है जब कि मानवीय गुप्ता जी सारे प्रान्त भर में दौड़ते फिरते थे और कंट्रोलों की अहमियत और कंट्रोलों का प्रचार ऐसे समय में करते थे जबकि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष स्वयं कंट्रोलों को तोड़ देने के पक्ष में थे। तो मुझे तो जरा आश्चर्य होता है जब मैं यह देखता हूं कि आज जब उन जैसे खाद्य मंत्री के हाथ में हमारे प्रान्त की खाद्य नीति की बागडोर है तो वे स्वयं पंचवर्षीय योजना के विपरीत क्यों जा रहे हैं। जो पंचवर्षीय योजना है वह हमारी पार्टी या किसी पार्टी विशेष की योजना नहीं है और उस पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के हेतु हमारी सरकार हम से अधिक कृत संकल्प है। लेकिन उसको पूरा करने का बीड़ा सरकार ने उठाया है। तो जो माननीय गुप्ता जी की खाद्य नीति नयी हमारे सामने है उसे अगर हम जांचें तो वह भी पंचवर्षीय योजना के खिलाफ़ जाती है। मैं इसको चार हिस्सों में बांटता हूं। पहला तो पंचवर्षीय योजना के आधारभूत सिद्धांतों के विपरीत जाना, दूसरा अपनी बजट प्रणाली के द्वारा प्रदेश की जनता को दुविधे में डालना, तीसरा दामों को बढ़ने से रोकने में असफलता और चौथा स्वयं दामों को बढ़ाने की चेष्टा।

जहां तक पंचवर्षीय योजना का संबंध है मैं केवल एक ही कोटेशन इस सम्बन्ध में आप की आज्ञा से उद्धृत करना चाहता हूं जो कि लेटेस्ट फाइव इयर प्लान की रिपोर्ट में दिया गया है। पेज ५६—

"Although a system of controls has been operating in this country for a number of years, doubts have been expressed from time to time whether, on balance. this is of advantage to the country, as a whole. The lesson of experience, however is unmistakable. The free market is not a dependable machanism when the economy is or is likely to be under pressure due either to short supplies in the country or unfavourable development abroad."

तो माननीय मंत्री जी की जो घोषणा अभी हुई है तो वह एक लाख की आबादी के या जो कम के शहर हैं वहां पर भी जो सस्ते दामों की दुकानें हैं उन को वह बन्द करना चाहते हैं और कहते हैं कि मोटा अनाज हम रिजर्व रखेंगे। तो मोटे अनाज के रिजर्व के बारे में उसका रिजर्व जो पिछले साल का प्रोक्योरमेंट हुआ है उस रिपोर्ट के अनुसार २३२० टन है। तो २३२० टन से कितनी संकट काल में सहायता हो सकेगी। मैं नहीं जानता माननीय मंत्री जी जानें।

दूसरी बात जो पंचवर्षीय योजना के विरुद्ध जाती है वह है सब्सिडीज के मामले में जो माननीय मन्त्री जी की नीति रही है। योजना बनाने वालों का निश्चित मत था कि जो इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स हैं उनके कास्ट को देखते हुये पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिये सब्सिडी ये भी चाहिए लेकिन माननीय मंत्री जी ने सब्सिडी तो बन्द की लेकिन इस प्रकार से बन्द की कि न घाटा हो। और न मुनाफा हो। पर यह तो नहीं है। मुनाफा हो ही गया इस साल। तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन कैपिटल एक्सपेंडीचर में भी जब आमदनी (income) होने लगती है, तो मालूम होता है। बजट में तो यह कहा गया कि ६ करोड़ां की हानि होगी तो इस साल का जो प्रस्तावना है उसमें ४ करोड़ ४१ लाख १५ हजार रुपये सीधे आय होने की आशा की जाती है में माननीय सदस्यों का ध्यान स्मृति पत्र (मेमोरंडम) के १७० वें पृष्ठ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि "इस प्रकार बजट वर्ष में ४ करोड़ ६१ लाख १५ हजार की शुद्ध आय होने की आशा की जाती है जब कि चालू वर्ष में ६,५६,०६ हजार का शुद्ध व्यय होने की संभावना है। यानी पिछले साल में जो एस्टीमेट था उसमें ४ करोड़ का एस्टीमेट डेफीसिट हो गया। इस साल ४ करोड़ ५६ लाख की आमदनी (income) होगी। तो स्टेट ट्रेडिंग में पहली बार सरकार आमदनी करने जा रही है। तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम घाटा भी नहीं करना चाहते और नफा भी नहीं लेना चाहते, तो यह ४ करोड़ का नफा कहां से आयेगा और फिर जो मैं कहता हूं कि बजट के द्वारा भूलभुलैया में डालने का जो प्रश्न उठता है वह बैलेंस शीट से उपस्थित होता है। उसमें ६ करोड़ ५६ लाख है। लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट में २करोड़३७ लाख हो गया। ४ करोड़ की कमी हो गई। तो जिस समय मुझे याद है कि माननीय मंत्री जी ने खाद्य नीति की घोषणा की थी तो यही कहा था कि ७ करोड़ का नुक्सान होने जा रहा है, भारी नुक्सान होने जा रहा है, एक बड़ा भारी संकट सा मालूम दिया। लेकिन जब नीति बदली तो रिवाइज्ड एस्टीमेट २ करोड़ रह गये और इस साल जो नीति है उसमें ४ करोड़ का नफा होने जा रहा है। यह कैसा बजट का जादू है कि कहां घाटा और कहां मुनाफा की आशा है। कम से कम हमारे सामने जो नीति है उसमें तो यही है।

जहां तक दामों को रोकने में असफलता है मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि कई बार वह कह चुके हैं कि जहां दाम बढ़े वहां हम स्टाक जब्त कर लेंगे। इस बीच में किन-किन शहरों में कितनी ही बार दाम बढ़े हैं यह मंत्री जी जानते हैं, लेकिन कितना स्टाक कितनी बार उन्होंने शहरों में कैप्चर किया, इतना माननीय मंत्री जी बतला दें तो मालूम हो जायगा कि दाम बढ़ने से रोकने में क्या हुआ।

चौथी बात मैंने यह कही कि दाम बढ़ाने में सरकार का स्वयं हाथ है। इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स के बारे में सरकार ने दो बार दाम बढ़ाये एक बार नवम्बर १८ को बढ़ाये जब गेहूं का भाव ढ़ाई सेर से सवा दो सेर हो गया, फिर इसी पहली मार्च को गेहूं का भाव सवा दो सेर से दो सेर दो छटांक हो गया। जब सरकार स्वयं तीन-चार महीने के अन्दर दो बार दाम बढ़ाती है तब

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो फिर दूकानदार यह कहेगा कि ही जब सरकार दाम बढ़ा रही है, इसी लिये हम भी दाम बढ़ा रहे हैं, इसमें हमारी क्या ग़लती है। इस प्रकार दाम बढ़ाने से मार्केट के ऊपर यह असर पड़ता है कि दाम बढ़ाने की जैनरल टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। जहां तक फूड इंडेक्स का सवाल है मैं पहले बता चुका हूं और इस फाइव ईयर प्लान की रिपोर्ट में भी है कि किसी प्रकार फूड प्राइसेज के दाम कम नहीं हुये हैं। फूड इंडेक्स ३१८, मार्च, सन् ५२ में था और वह दिसम्बर सन् १९५२ में ४३१ हो गया। इस प्रकार फूड इंडेक्स का स्केल बढ़ रहा है,तो फिर हम यह कैसे मान सकते हैं कि माननीय मंत्री जी की जो खाद्य नीति है, जो दामों के संबंध में नीति है वह पंचवर्षीय योजना के अनुकूल है। अन्ततः दो साल,तीन साल में जब हमारी पंच वर्षीय योजना कार्यान्वित होने की सीमा पर पहुंचेगी, उस समय इस नीति का क्या असर पड़ेगा यह माननीय मंत्री जी ही जो खाद्य नीति के विशेषज्ञ हैं, जान सकते हैं।

इसके बाद मैं थोड़ा बहुत फ्यूल के बारे में कहना चाहता हूं। उस के बारे में इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि केवल ४० प्रतिशत फ्यूल वूड, जो सप्लाई किया जा रहा है, कंट्रोल दामों पर दिया जा रहा है और ६० फीसदी फ्यूल वूड जो सप्लाई हो रहा है वह कंट्रोल दामों पर नहीं सप्लाई किया जा रहा है। दूसरी तरफ शुगर के कारखानों को कंसेशन रेट्स पर सप्लाई किया जा रहा है। तो मैं क्या माननीय मंत्री जी को यह सुझाव दूं कि बजाय चीनी की मिलों को और दूसरी इंडस्ट्रीज को कंसेशन रेट्स पर ईंधन देने के, वे उस कंसेशन को वहां से हटा कर जो छोटे शहरों में लिस्ट दी गयी है उन शहरों को सस्ते दामों पर ईंधन दें। इससे जनता का भार हल्का हो जायगा।

हाउस रेंट कंट्रोल ऐक्ट के बारे में माननीय मंत्री जी ने इस रिपोर्ट के द्वारा स्वयं मान लिया है कि उनकी वह नीति नाकामयाब रही जिसके जरिये यह निश्चय हुआ था कि जनवरी,१ सन् १९५१ से जितने मकान बनेंगे उन पर कंट्रोल ऐक्ट नहीं लागू होगा, और जो पुराने मकान होंगे उन्हीं पर लागू होगा,। आज हम यह देख रहे हैं कि मकान बजाय बढ़ने के घट रहे हैं। तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूं कि वे इसके बारे में एक स्पष्ट योजना बनायें बजाय इसके कि वे प्रदेश भर के मालिक मकानों को दो हिस्सों में बांट दें। इस तरह काम नहीं चलने वाला है। उस समय जब ऐक्ट पर वादविवाद हो रहा था तब मैंने कहा था कि यह नीति चलने वाली नहीं है क्योंकि जो नये मकान बनाने वाले हैं उनको सुविधा रहती है कि अन्त में हम पर भी यह ऐक्ट लागू हो जायगा। हमारे माननीय मंत्री जी को प्रदेश व्यापी हाउसिंग स्कीम बनानी पड़ेगी। समय कम है कहना तो बहुत था लेकिन मजबूरी है।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह जो खाद्य नीति है, यह जो नो प्राफिट नो लास की नीति है, यह जनता के लिये और खासकर उस एरिया के लिये जो पहले से डेफिसिट में हैं, अच्छी नहीं होगी। इस नीति का खासकर बिजनेस कम्यूनिटी पर यह असर पड़ेगा कि वे यह समझेंगे कि सरकार की नो प्राफिट नो लास की पालिसी है इसलिये गल्ले की कीमत के बढ़ने की संभावना है। जब प्राइसेज बढ़ जाती हैं और सरकार फिर कंट्रोल करने की कोशिश करती है तब उसमें कीमतों के कम होने की गुंजाइश कम होती है और भ्रष्टाचार अधिक होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारा पर्वतीय इलाका पहले ही से डेफिसिट एरिया रहा है, हमेशा वहां गल्ले की कमी रहती है और अगर सरकार की ओर से गल्ला सस्ते दामों पर नहीं भेजा गया तो समस्या गंभीर हो जायगी। इस साल रबी की फसल के बारे में समझता हूं वर्षा समय पर न होने से फसल के काफी कम होने की संभावना है। यहां अभी से गेहूं पकने लग गये हैं और वहां पर्वतीय इलाकों में अभी एक और बारिश की आवश्यकता है। अगर वह नहीं हुई तो अनाज की बहुत बड़ी कमी पड़ जायगी। और अगर सरकार की यह नीति रही तो इससे बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो जायगी। मैं एक प्रकार की चेतावनी माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि वह अपने पास ऐसा प्राविजन रखें कि ऐसी गम्भीर स्थिति आने पर गल्ला पहुंचा सकें।

दूसरे सरकार की जो साल्ट कंट्रोल पालिसी है, उसके संबंध में कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। मेरी कान्सटीटुएन्सी में एक ऐसा इलाका पड़ता है खास करके गंगोत्री साइड में जहां कि एक खराब प्रकार का कोटो फाफरा अनाज पैदा होता है जो कि खाने के काबिल नहीं होता है। लोवर रीजन के लोग उस अनाज को नहीं पसन्द करते हैं। वहां के लोग अपर रीजन के भूटियों, तिब्बतियों से व्यापार करते हैं। उसको वहां ले जाकर नमक के साथ बार्टर करते हैं। उस नमक को लेकर के फिर लोवर रीजन्स में लोगों से अच्छे अनाज से बार्टर करते हैं। इससे उनकी गुजर होती है। इस व्यापार करने में उनका ध्येय प्राफिट करना नहीं है बल्कि उनकी गुजर का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह एक अनाज वहां होता है, वह उनसे नहीं खाया जाता है, इस जिले के दूसरे लोग भी नहीं खाते हैं उसको वे भूटियों और तिब्बतियों से बार्टर करके नमक लेते हैं और नीचे आ करके उस नमक के एवज में अनाज लेते हैं जिससे वह अपनी गुजर करते हैं। इसलिये गवर्नमेंट की जो साल्ट कन्ट्रोल की पालिसी है उसमें इन लोगों को गुजर करने की इजाजत दी जाय जिससे वे अपनी गुजर कर सकें। यह दो बातें मुझे मंत्री जी से कहनी थी।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रदेश के अन्न मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, इसलिये धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से लड़ाई के बाद अंग्रेज हमारे देश को रख करके यहां से गया और लड़ाई के बाद जिस तरह से हमारे प्रदेश की सरकार ने खाद्य समस्या को सुलझाया कि हमारे यहां एक आदमी की मृत्यु कहीं भोजन के लिये नहीं हुई। हमने देखा था कि जेलखानों में सन् १९४२ के आंदोलन में जब हम लोग थे तो मालूम हुआ कि बंगाल की सड़कों और कलकत्ता की सड़कों पर लाखों आदमियों की लाशें दिखलाई देती थीं। कितने ही लोग इसी देश के रहने वाले थे, लकिन कहीं किसी ने कोई आवाज नहीं उठायी न अंग्रेज सरकार ने उसको बंद किया था। हमारा जिला जौनपुर भी एक ऐसे क्षेत्र में है जहां ४-५ साल से कुछ क्षेत्र में पानी नहीं पड़ा और इस साल में भी पानी नहीं पड़ा है। इतना होने पर भी अन्न मंत्री महोदय की दया से क्षेत्र के लोगों को काफी गल्ला मिला, वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी तरह इस बजट को देखने से मुझे मालूम हुआ कि सरकार की नीति जिस तरह से केन्द्रीय सरकार के साथ चल रही है वह धन्यवाद देने के लायक है। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार की नीति गलत है, नीति गलत नहीं है। हम जिस तरह से अपने विचार को ले करके चलेंगे वही नीति हमारे लिये ठीक होगी। यदि हमारी नीति में कोई अन्तर हो, हम दूसरे ढंग की नीति अख्तियार करना चाहते हों तो हो सकता है कि सरकार की नीति में भी हमें बुराई साबित हो, हम उसको ठीक से न देख सकें। क्या कोई ऐसी तरकीब या कोई तरीका है कि एक साल में सरकार देश को ऊंचा उठा सकती है? किसी भी पार्टी की सरकार हो उसके सामने क्या कोई सुझाव है जो इस हिन्दोस्तान की गरीबी को और खास कर अन्न की समस्या को इतनी जल्दी हल कर सके, जहां कि पूर्वी जिलों में ९–१० जिले ऐसे हैं जहां खाने भर के लिये अनाज नहीं होता, अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था और न आज होता है क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है। इस सरकार से इतना अनुरोध अवश्य है कि जहां वह अन्य जिलों में सिंचाई की सुविधा देकर किसानों का उद्धार करना चाहती है वहां जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर आदि में भी पानी द्वारा किसानों की खेती की उन्नति करें।

इन शब्दों के साथ मैं अन्न मंत्री जी को बधाई देता हूं जो इस प्रकार से नियंत्रण धीरे-धीरे हटाते हुये इस प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को अन्न देने का कार्य कर रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी-अभी हमारे विरोधी दल के साथियों ने कहा, जिस समय सारे देश के अन्दर इस बात की मांग

[श्री बलवन्त सिंह]

हो रही थी कि गल्ले और सब चीजों से कंट्रोल हटाया जाय तो कम से कम हमारे देश के अन्न मंत्री जी इस बात की मुआफिकत में थे कि कंट्रोल रखा जाय और मैं समझता हूं कि उनकी यह नीति आजतक भी कामयाब है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि हमारे केन्द्र के जो कर्णाधार हैं उन्होंने इसमें हमारे प्रांविस से कुछ बहुत अच्छा सलूक नहीं रखा मगर यह हमारे अन्न मंत्री की नीति रही जिससे हमारे प्रदेश में जहां तक अधिक पानी से और कम पानी से दोनों से हानि होती है, और भूख की समस्या हर समय विराजमान रहती है, वहां हमारी खाद्य नीति को बहुत अंश तक सफल बना सके और हमारे मुख्य मंत्री की वह घोषणा कि हम, अपने प्रांत में एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने देंगे, मैं तो समझता हूं कि यह हमारे अन्न मंत्री की सूझबूझ का नतीजा है कि वह बहुत कुछ कामयाब हो सकी है। मैं तो यह कहूंगा कि वह अक्षरशः कामयाब रही है। जो नीति उन्होंने रखी है कि हर फसल में किसानों से गल्ला खरीदा जाय और वह इस ढंग से खरीदा जाय कि किसी के ऊपर कोई बोझ न पड़े, जैसे गल्ला बाजार में आता है वैसे ही वहां से खरीद लिया जाय, मैं समझता हूं कि यह ठीक ही है। गवर्नमेंट के पास ऐसे समय के लिये जब देश के अन्दर अन्न की या चीनी इत्यादि की कमी हो सकती है, कुछ न कुछ इन्तजाम अवश्य रहना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि हमारे प्रांत का हर आदमी और हम सब लोग इससे पूर्णतया सहमत हैं।

रही हमारे विरोधी पक्ष के लोगों की बातें उनको तो एक तरफ से तो मालिक मकानों का दर्द सताता है और दूसरी तरफ उनकी तरफ का भी दर्द होता है जिनका २ छटांक गल्ला रुपये पीछे कम कर दिया है। तो अब क्या करें उनको तो दर्द होना ही है। हमारे प्रांत का काम तो अच्छे रूप से चल रहा है और मैं इस के लिये अपने अन्न मंत्री जी को बधाई देता हूं कि एक दो सुझाव मुझे उनको देना है। लाल रोशनी भी आ गयी मगर भाग-दौड़ कर यह सुझाव तो दिये ही जाता हूं। एक तो यह कि इस समय गल्ले की गोदाम वगैरः की कमी हमारे देश के अन्दर है। गवर्नमेंट को चाहिये कि बजाय इसके कि पंचायत-घरों को बनाया जाय उनको चाहिये कि वे गोदाम बनाये जायं और उसके बनवाने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे देश में जो दस प्रतिशत गल्ले की कमी है अगर हमारे पास ढंग के गोदाम होंगे और भली प्रकार इस बात का प्रचार होगा कि हम चहे वगैरह से अन्न को कैसे बचाकर जो हम इस कमी दूर करने में कामयाब हो जायेंगे। इसके लिये मैं अन्न मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये सीमेंट वगैरह दे कर कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से इस प्रकार के गोदाम बनवायें। इसके अतिरिक्त मंडियों का कोई ऐसा कानून हमारे यहां नहीं है। जिसके जरिये जो किसानों के यहां गल्ला पैदा होता है उसकी बिक्री वगैरह ढंग के साथ की जाय। तरह तरह की लोगबाग किसानों से जैसे धर्मादा वगैरह ले लिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिये।

इसके अलावा एक बात और कि पश्चिमी जिलों में गुड़ की समस्या बहुत खराब होती जाती है। गुड़ की लदान सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। फसल के मौके पर किसान के यहां गुड़ पैदा होता है मगर उसका लदान नहीं होता है और इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। यह दो तीन सुझाव हैं जिन्हें मैं गवर्नमेंट के सामने रखता हूं और माननीय अन्न मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इन बातों पर विचार करेंगे और ऐसा कदम उठावेंगे जिससे किसानों को लाभ पहुंच सके।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अनुदान पर वादविवाद हो रहा है उस संबंध में मैंने माननीय खाद्य मंत्री महोदय के वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुना। विरोधी दल के मित्र श्री नारायण दत्त तिवारी का वक्तव्य भी मैंने सुना। वे तथा उनके साथी सदा से हवा में उड़े नजर आते हैं। कोई अच्छी से

अच्छी बात हो उनके दल का महज आलोचना करने का काम सा रह गया है। उन्होंने इस बात के लिये कृतज्ञता नहीं प्रकट की कि खाद्य मंत्री जी ने ऐसे समय में जब कि गम्भीर परिस्थिति में हमारा देश था बड़ी दृढ़ता के साथ काम किया और खाद्य नीति को कार्यान्वित करने की कोशिश की ।

जहां यह बात है वहां यह भी सही है कि कहीं-कहीं पर जबरदस्त कमियां भी हैं। आर० एफ०सी० विभाग की मनमानी बहुत मशहूर है और वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों का रवैया और कार्य बहुत ही दोषपूर्ण है, उनके इंस्पेक्टरों का जो कार्य रहता है उसका मुझे बहुत बुरा अनुभव है मैंने खाद्य मंत्री महोदय की सेवा में दो एक मामले भी रखे और उन्होंने फ़ौरन कार्यवाही की । आर०एफ० सी० विभाग के दोष पूर्ण कार्यों की ओर खाद्य मंत्री महोदय का ध्यान खास तौर पर आकर्षित करता हूं। जहां तक इस विभाग के इंस्पेक्टर्स और अधिकारियों का संबंध है मुझे कानपुर शहर और जले का खास तौर से तजुर्बा है। कानपुर में कई मामले पकड़े गये। शक्कर की बोरियां पकड़ी गयीं और गेहूं के बोरे पकड़े गये, कई मुहल्लों में इस तरह की चीजें हुई और शहर कांग्रेस के राशनिंग विभाग के इंचार्ज श्री हामिद खां, एम०एल०ए० कई बार ध्यान आकर्षित कराया, समाचार-पत्रों में अपना वक्तब्य भी प्रकाशित कराया और कई मामले पकड़े गये लेकिन जैसी चाहिये वैसी कार्यवाही नहीं की गई। और अब कई मामले दबे से पड़े हुये हैं। इस संबंध में जहां तक खाद्य मंत्री की दृढ़ता है और जहां तक इस नीति को कार्यान्वित करने की उन्होंने कोशिश की है उसके लिये मैं उनको जरूर बधाई देता हूं, लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और खास तौर से कानपुर में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसकी तरफ़ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

एक बात और जैसा कि मैंने कहा कि कानपुर में बहुत सी जगहों पर राशनिंग की दुकानों पर गल्ला दिया जा रहा है। पिछली मर्तबा जो गल्ला दिया गया था वह ऐसा था कि जिसे देख कर लोग ताज्जुब करते थे। पता नहीं वह गल्ला कहां से आता था और वह गल्ला ऐसा था कि लोग उसे खा भी नहीं सकते थे । कई मर्तबा गल्ला अधिकारियों के सामने लाया गया और इस बात की कोशिश की गई और वहां दिखाया गया कि उसमें कंकड़ी मिली हुई थी और मिट्टी मिली हुई थी और कई बार राशनिंग की दुकानों की जांच की गई और यह दिखाया गया कि वह गल्ला खाने लायक नही था।

मेरी माननीय खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह अपने विभाग के कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस ओर ध्यान दें और राशनिंग की दुकानों पर जो गल्ला दिया जा रहा है उसके लिये ऐसा कर दिया जाय, कि ऐसा गल्ला दिया जाय, जिसे लोग आसानी से खा सकें। उसमें कंकड़ी न मिली हों, मिट्टी न मिली हों। ऐसा गल्ला जो किसान के यहां से आता है वैसा न हो तो कम से कम ऐसा गल्ला तो हो जो खाने लायक हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सुझावों पर ध्यान देकर शीघ्र कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे।

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बल्देव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, खाद्य-विभाग की मांगों पर अब तक कतिपय माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैंने श्री नारायण दत्त तिवारी जी के कथन को सुना और मुझे इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि वह आज भी यह चाहते हैं कि खाद्य मंत्री नियंत्रण की नीति के पक्ष में रहें, जब की इस देश की मांग है, हमारी जनता यह चाहती है कि धीरे-धीरे नियंत्रण ढीले किये जायं। हमारी सरकार ने जो नियंत्रण ढीले किये हैं उनका जनता ने स्वागत किया है। इस बात को तो माननीय नारायणदत्त जी भी अनुभव करेंगे। फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि वह एक ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, जो जनता में भ्रम पैदा कर सकती है।

[श्री बल्देवसिंह आर्य]

दूसरे उन्होंने पंचवर्षीय योजना की ओर इशारा किया है सचमुच में हमारी केन्द्रीय सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने इस बात को कहा है कि अगर हम पंच वर्षीय योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिये नियंत्रण का रहना आवश्यक है। लेकिन सवाल यह है कि प्लानिंग को सफल बनाने के लिये किन किन चीजों पर नियन्त्रण रहना आवश्यक है। यह बात हमारे मित्र तिवारी जी भली-भांति जानते हैं। आज हमारी सरकार की जो नीति है उसकी चारों तरफ से प्रशंसा की गई है।

साथ ही साथ मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि आज भी आवश्यक वस्तुओं पर हमारे खाद्य मंत्री जी की नियंत्रण रखने की नीति है और उसके अनुसार हमारे प्रदेश में खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण हो रहा है और वह इस प्रकार से रहेगा और धीरे-धीरे नियंत्रण ढीले होते जायंगे, जैसे-जैसे हमारे प्रांत में उत्पादन बढ़ता रहेगा उसी तरह से इस प्रदेश में नियन्त्रण ढीला होता रहेगा।

श्री जैनेन्द्र सिंह बिष्ट ने टेहरी गढ़वाल के बारे में कहा है। उन्हें शायद ज्ञान हो कि प्रदेशीय सरकार पर्वतीय जिलों को ८०० टन गल्ला देती है। इसी तरह से टेहरी गढ़वाल में यानी पर्वतीय इलाकों में नमक भी भेजा जाता है। शायद उनको मालूम नहीं है कि पिछले दिनों जो नमक उनके जिले में भेजा गया था उसको कोआपरेटिव फेडरेशन ने लेने से इन्कार किया था जिसके कारण वह दूसरे जिले को भेजना पड़ा, आपने कहा कि तिब्बत से जो नमक आता है बार्टर सिस्टम से. वहां के लोग अन्न लेते हैं और इस तरह से नमक वहां से आता है। तो आप यह चाहते हैं कि पर्वतीय जिले में और टेहरी गढ़वाल में अधिक अन्न भेजा जाय ताकि तिब्बत से आने वाले नमक के साथ वे लोग बार्टर सिस्टम कर सकें। आपको पता है कि तिब्बत की परिस्थिति दिन ब दिन बदलती जा रही है और यह संभव है कि यह नमक वहां से आना बन्द हो जाय। हमारे उस इलाके के लोगों को जो तिब्बत के बार्डर पर रहते हैं, उनको इसी प्रदेश के नमक से अपना गुजारा करना चाहिये। यह बात कि यहां से गल्ला भेजा जाय तब वह तिब्बत से बार्टर सिस्टम से नमक खरीदें कम समझ में आती है। मैं समझता हूं कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमारी प्रदेशीय सरकार काफी गल्ला वहां भेज रही है पर यह कहना कि तिब्बत के लोग उनसे गल्ला खरीद ले जायं यह उचित नहीं मालूम होता।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसे कम करना चाहिये और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दूकानों में जो गल्ला दिया जा रहा है उसमें कंकड़ और रेत मिली रहती है मेरा ख्याल तो यह है कि उनको गलतफहमी है। ऐसा जरूर है कि कहीं कहीं धूल गल्ले में अधिक होती है। लेकिन सरकार की ओर से आदेश है कि दो प्रतिशत से अधिक जहां गल्ले में धूल होती हो उसकी सफाई होनी चाहिये और उसके बाद उसे जनता को दिया जाना चाहिये। अगर ऐसी कहीं कोई बात हो भी तो उस पर सरकार विचार कर सकती है और उस अन्न को साफ करके जनता को दे सकती है। साथ ही भ्रष्टाचार के संबंध में जो आपकी शिकायत है, मैं समझता हूं कि प्रांत के अन्य किसी भी जिले में ऐसी शिकायत नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि जिन पर शुबहा हुआ या जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें सरकार के पास आई हैं या तो वे अलग कर दिये गये या उनके मामले अदालतों को दे दिये गये या उनको दूसरी तरह की सजायें दी गईं। इस प्रकार भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है जिसको कि आपने खाद्य मंत्री के भाषण में सुना है। मैं अब उनसे उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की गलतफहमी को वह अपने विभाग में ही न रक्खेंगे। मैं तो चाहता हूं कि इस माननीय सदन में समय समयपर जो भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा होती रहती है उसको खत्म कर देना चाहिये और किसी प्रकार की ऐसी शिकायत हमारे प्रदेश में विद्यमान न रहे। मैं इन शब्दों के साथ अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्न मंत्री जी के इस विचार से इत्तिफाक करता हूं कि आज देश में नियन्त्रण की व्यवस्था से लोगों को संतोष हो गया है और असंतोष धीरे-धीरे दूर होने लगा है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह असंतोष जो दूर हुआ दिखाई देता है वह इस कारण से है कि लड़ाई के बाद जनता की परचेजिंग कैपेसिटी घटी है और धीरे धीरे वह परचेजिंग कैपेसिटी और और घटती जा रही है। और खरीदारी कम होती जा रही है । तो इस हालत में चोरबाज़ारी की कम गुंजाइश होती है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस भावना को छोड़ कर दूसरी भावना को समझें कि यह उनकी करामात नहीं है बल्कि यह कुदरती करामात है जो असंतोष दूर होता जा रहा है। मैं उनसे यह कहूंगा कि बजाय इसके कि नियंत्रण को दूसरे तरह से सोचें यह सोचने की जरूरत है कि उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जाय और उसका किस प्रकार वितरण किया जाय । ताकि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा ताकत और धन न आये और उसको कुदरती तौर पर लोगों के पास आप से आप पहुंचाया जाय ।

जहां तक अन्न उगाओ योजना का संबंध है जिनके यहां अन्न कम उगता है उन्हीं पर इसका ज्यादा बोझ पड़ा है । जहां प्रांत में लोगों के पास अधिक अन्न पैदा होता है उनके ऊपर कोई बोझा नहीं पड़ता। मैं कह सकता हूं कि जिनके यहां १ या २ हजार एकड़ में अन्न पैदा होता है, माननीय अन्न मंत्री जी ने कभी उनसे इस बात की चर्चा नहीं की होगी कि उसको कितना अनाज देना चाहिये,लेकिन दूसरों के पास यह भी नहीं देखा जाता कि उनके पास अनाज खाने को भी है या नहीं ।

नमक का जो कंट्रोल है उसके बारे में तो ऐसा लगता है कि उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है और जनता का कुछ ऐसा विचार ही बन गया है तथा न जनता इसकी कोई शिकायत ही करती है क्योंकि वह समझती है कि इसका अनियन्त्रित भाव है और इसीलिये अगर बनिया या बीच वाला उससे २,३ या ४ पैसा सेर ज्यादा ले लेता है तो भी उसे कुछ ज्यादा मालूम नहीं देता । जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं, और जो माननीय अन्न मंत्री के पाये हैं उनके संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उनका तो केवल इतना ही कार्य मालूम होता है कि बाजार में रह कर वे इतना ही करें कि जो बनिया ज्यादा जानकारी नहीं रखता, ब्लैकमार्केटिंग ज्यादा नहीं कर सकता, उसको वह तरकीब बता दें कि वह किस तरह से ज्यादा कमा सकता है और किस प्रकार चालाकी से बहीखाता खोलकर पनाह पा सकता है। मैं माननीय अन्न मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा निजी अनुभव है और मैंने मार्केटिंग इंस्पेक्टरों को गौर से देखा है। वह समझते भी नहीं हैं कि यह हमारा कुछ बिगाड़ भी सकता है और मैंने उनके निकट से ही यह जानकारी हासिल की है।

दूसरी बात जो मैं माननीय अन्न मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता इस ओर ध्यान देने की है कि अन्न का उत्पादन बढ़ाया जाय । वे कहेंगे कि अन्न के उत्पादन बढ़ाने का उनके विभाग से कोई संबंध नहीं है । कोआर्डिनेशन की बात जो कल हो गयी अतः माननीय अन्न मंत्री को इससे कुछ भी संबंध नहीं कि हमारे प्रांत में कितना अन्न पैदा होता है। इसके कारण हैं और उनका परिणाम भी होता है। क्योंकि फिर स्पेकुलेशन्स लगाये जाते हैं। या तो हमारे प्रदेश के अन्न मंत्री जी करते हैं या फिर कभी यूनियन के खाद्य मंत्री श्री किदवई बम्बई से बैठकर स्पेकुलेशन लगाते हैं । कुछ दिनों पहिले उन्होंने कहा था कि यू०पी० में २८ लाख मन चावल पैदा होगा। इसके बाद जब चावल किसानों के घर से निकल कर बनियों के घर में चला गया तो हमारे राज्य के अन्न मंत्री जी की तरफ से कहा जाने लगा कि १६ लाख टन चावल हमारे सूबे में हुआ और इस तरह से हमें नुक्सान पहुंचा दिया गया, चीनी और गुड़ के संबंध में भी मैं कुछ कहना जरूरी समझता हूं। मेरा ख्याल है चीनी और गुड़ के संबंध में बलवन्त सिंह जी ने जो कुछ कहा उससे सरकार सुबुकदोश नहीं हो सकती। जिस वक्त

[श्री गेंदा सिंह]

किसान के पास गुड़ होता है और गन्ने से चीनी बनाने का वक्त होता है उस वक्त गुड़ पर नियन्त्रण लगा दिया जाता है ताकि गुड़ बाजार में बना रहे और मिल वालों को गन्ना सस्ती कीमत में मिल सके। इसके बाद गुड़ के लिये बाजार खुल जाता है और वैगन भी मिलने लगते हैं मालूम नहीं क्या मामला है। सरकार और मिलवालों की किस तरह की साठगांठ है। यह समझने में मैं असमर्थ हूं।

इसके साथ साथ कोयला, सीमेंट, लोहा, कागज में कितना ही बंटवा दिया जाता हो लेकिन जो कुयें बनने के काम हैं और जिससे उत्पादन बढ़ सकता है वह नहीं बनते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में यदि माननीय मंत्री स्वयं इस बात की चेष्टा करें और उन जगहों को देखें जहां कुओं के लिये यह सीमेंट, कोयला और लोहा दिया गया है और इस बात के मालूम करने की चेष्टा करें कि वहां पर कितना उपयोग हुआ है तो इससे जनता का बड़ा लाभ होगा। मैं इससे ज्यादा इस समय नहीं कह सकता लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि यह १९ करोड़ का बजट सब से आखिरी वक्त में क्यों आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप माननीय अन्न मंत्री के विभाग को देखें तो इस ७८ करोड़ के बजट में २७ करोड़ का बजट उन्हीं से संबंध रखता है। २७ करोड़ का बजट ऐसे वक्त में रखा गया जब कि अध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं कि इस सदन में कितने लोग बैठे हुये हैं और कितनी बहस इस पर हुई है। मैं फिर उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इसको ऐसे वक्त पर लायें जिससे उस पर ज्यादा बातचीत की जा सके।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो खाद्य के विषय में, जो खाद्य पर नियन्त्रण है उसके बारे में इस सदन में वादविवाद चल रहा है, खाद्य के नियन्त्रण का जहां तक सवाल है इस नियंत्रण के द्वारा गरीब जनता का इतना लाभ हुआ है कि आज वे बेचारे जिन्दा हैं नहीं तो यहां तक नौबत आ गयी थी कि उन लोगों को बाजार से सामान न मिलने के कारण दो दो तीन तीन दिनों तक फाके करने पड़ते थे। जहां तक किसानों का संबंध है नियंत्रण होने के कारण और बाजारों में सामान न होने के कारण भले ही उनके यहां गल्ला सड़ गया हो लेकिन उन्होंने उसे बाजारों में लाना उचित नहीं समझा। इसके बाद जहां तक हो सका हमारी गवर्नमेंट ने गल्ला लाने का पूर्ण इंतज़ाम किया और मद्दे से मद्दे भाव पर उन गरीबों को गल्ला दिया जिनका मिलना कठिन हो गया था। जहां तक अन्न का संबंध है अन्न के नियंत्रण से गरीब जनता को अधिक लाभ हुआ क्योंकि अमीर तो पैसे वाले थे वे अपने पैसे से महंगा से महंगा गल्ला खरीद सकते थे लेकिन गरीब मजदूर जिनके पास कोई साधन नहीं था कि वे इतना महंगा गल्ला खरीद सकें और उसकी वजह से जनता ब्याकुल हो उठी। इन सब बातों को सामने रखते हुये हमारी सरकार ने नियन्त्रण किया और उस नियंत्रण से अधिक लाभ हमारे गरीब समुदाय को पहुंचा है। परन्तु कुछ नियंत्रण ऐसी वस्तुओं पर भी लगे हैं जिनसे गरीबों को अधिक हानि हुई। जैसे छोटे छोटे व्यवासय में गरीब मजदूर वगैरह लगे हुये थे वह व्यवसाय उनसे छिन गये। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वह नीति ऐसी बनायी गयी है कि बीच के बिचौलिया कायम हैं, दलाल कायम हैं, एजेंट कायम हैं और उन्हीं के द्वारा वितरण का कार्य किया गया है। उससे गरीब जनता को हानि हुई। मसलन जलाने वाली लकड़ी का किस्सा मैं आपको सुना देता हूं। उससे कोई भी लाभ गरीब जनता का नहीं है। ठेकेदार अलग परेशान हैं, जंगलात विभाग अलग परेशान हैं और जो एजेंट नियुक्त किये गये हैं वे पूरा सामान कभी भी शहरों में नहीं लाते। अगर उनकी पूरी फीगर्स देखी जावें कि प्रत्येक शहर के लिये उनको जितना कोटा दिया गया है क्या किसी भी शहर में पूरा कोटा कभी भी आया है? उसका खास कारण यह है कि जो दर रखी गई है उसका भाव नियंत्रण का इतना नीचे खींच कर रखा गया है कि उनको उनसे लाभ नहीं है जब तक कि वे बेईमानी न करें। हम तो यह चाहते हैं कि नियंत्रण रहे और अवश्य रहे परन्तु जो बीच के बिचौलिये हैं, एजेंट हैं या जो दलाल कहे जातें हैं वे न नियुक्त किये जायं। बल्कि इसके बदले में जो उत्पादन करता है

उसको चू यहां आकर नियंत्रण भाव पर बेचने का अधिकार हो ताकि उससे जनता को भी फायदा पहुंचे। तो मैं अपने खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इन एजेंटों के द्वारा जो नियंत्रण किया सामान वितरण किया जाता है उन सबों को हटा कर जैसा कि उन्होंने गल्ले का प्रबंध किया है कि जो गल्ला पैदा करता है वही सीधे बाजार में लाकर बेंचे उसी तरह से आप लकड़ी के लिये भी प्रबंध कर दें कि वे सीधे यहां आकर नियन्त्रण भाव पर बेंचें। जो सदस्य कहते हैं कि नियन्त्रण हटा दिया जाय वे गलत कहते हैं नियन्त्रण हटा देने से गरीब जनता का लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि मेरठ में जब हमारे नेता लोग पहुंचे और कहा कि गल्ले का नियंत्रण हटा दिया जाय तो सही दर पर अन्न मिलने लगेगा, लेकिन आपने देखा कि गरीब जनता कोह रगिज अन्न नहीं मिला है और गेहूं का भाव २६, २७ रु० मन तक पहुंच गया। और गरीब मजदूर त्राहि-त्राहि मचाने लगे और वे कहने लगे कि हम तो वही नियन्त्रण चाहते हैं।

कम से कम उसमें अपने राशन कार्ड पर अनाज उस भाव में तो मिल जायगा। इसलिये मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि नियंत्रण जरूर रहे जो बिचौलिया हैं उनको आप नष्ट कर दें जिससे कि नियंत्रण से किसी को हानि न पहुंचे। खास तौर से जो यह लकड़ी का किस्सा है इसमें सब से ज्यादा हानि गरीबों को पहुंचती है, उनका रोजगार समाप्त हो गया है और उनको परमिट भी नहीं मिलता है उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। सरकारी अफसर उनके साथ कोई रियायत करने के लिये तैयार नहीं होते हैं। यह किसी तरह से उचित नहीं है। आज हर मजदूर व्याकुल है। मैं अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुये उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इन बिचौलिया को हटा दें और उनका जो रोजगार था फिर से उनको दोबारा वही काम देकर वह रोजगार कराया जाय ताकि वह अपना रोजगार करने लगें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज २० मिनट का समय सदन का और बढ़ा दिया जाय। आज यह हाउस ५-२० तक चले।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय आज २० मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का बड़ा अनुग्रहीत हूं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के सुझाव और अपने विचार अन्न की समस्या की बातों के बारे में इस सदन के सामने प्रस्तुत किये। उसमें नारायण दत्त जी ने मुझे एक उलाहना दिया और कहा कि वह गुप्ता जी कहां गये कि जो गुप्ता जी आज से ५ या ६ साल पहले जब गांधी जी जीवित थे उस समय गांधी जी के विरोध में यह कहा करते थे कि हमको नियंत्रण अपने प्रदेश में रखना चाहिये। तो मैं भाई नारायण दत्त जी से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मुझ में तो कुछ अन्तर नहीं हुआ है। अन्तर सिर्फ मुझमें इतना ही है कि जो एक समाजवादी धारा के व्यक्ति का होना चाहिये और वह यह है कि वह आब्जेक्टिव कंडीशंस को सामने देखकर अपनी बातों को जनता के सामने उपस्थित करता है। जब मैंने डिकंट्रोल की नीति को अपनाया है, तो उसके माने वह नहीं हैं कि जो नियंत्रण के नियम हैं या जो अधिकार हैं उनसे मैं अपने को वंचित कर लूं या सरकार उनसे अपने को वंचित कर दे। आप जानते हैं कि हमने जब प्रोग्रेसिव डिकंट्रोल की नीति को अपनाया है तब भी हमने कंट्रोल की मूवमेंट को अपने अधिकार में रखा है। आज भी जो व्यवसायी हैं उनके लाइसेंसिंग का अधिकार अपने अधिकार में ले रखा है। जब हमारे देश में या प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया जाता हो कि नियन्त्रण की जो परेशानियां हैं उनको दूर करना चाहिये, जब बराबर इसी बात की पुकार की

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जाती रही हो, जिम्मेवार लोग इस बात को कहते हैं और एक जिम्मेदारी के स्थान से यह बात दोहरायी जाती रही हो, तो अक्लमंदी का तकाजा यह होता है कि जो समाजवादी आब्जैक्टिव कंडीशन्स को सामने रखकर काम करता है वह अपनी नीति को इस तरह से बरते कि उसका एसेंस अपने हाथ में रखकर उस नीति में परिवर्तन करे। इस प्रदेश की सरकार ने आज वही बात की है, ताकि कोई ऐसी बात न हो कि हाथ से उन अधिकारों को हटा दें जिसके अन्तर्गत नियंत्रण चलाया जाता है। हमने कभी यह नहीं कहा कि हमारे प्रदेश के अन्दर नादिरशाही नीति चले, चाहे किसी को कोई चीज मिले या न मिले। यह नीति इस सरकार की नहीं है। मैं अपने बारे में यह कह दूं कि जिस दिन मुझ से ऐसा करने के लिये कहा जायगा चाहे किसी ऊंचे स्थान से यह अधिकार बरतने की बात कही जाय, तो मैं नारायण दत्त जी को बतलाना चाहता हूं और साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे वह इस स्थान पर नहीं पावेंगे। मैं जिस चीज को जनता के हित में समझूंगा उसको सदैव करने के लिये चेष्टा करूंगा मैं जमीन पर चलने की चेष्टा करता हूं और जमीन पर चलने की बदौलत ही मैं यहां हूं और मेरे भाई जो आसमान पर की बातें करते हैं, चलते हैं और चलने की चेष्टा करते हैं वह उधर हैं। आज वास्तविक कन्डीशन्स क्या हैं। वह लोग जो सदैव एक दूसरे के विरोधी थे आज उनकी समाजवादी व्यवस्था ने उनसे किसी बात पर जोर दिया वह किसी व्यक्ति .....

श्री अध्यक्ष—राजनैतिक बहस शुरू न की जाय, नहीं तो गर्मागर्मी हो जायगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं तो उदाहरण के लिये कह रहा था कि समाजवादी आब्जैक्टिव कन्डीशन्स को सामने रख कर अपनी नीति में परिवर्तन करते हैं, इसी का उदाहरण मैं सदन के सामने रख रहा था, परन्तु अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं इस विषय में नहीं आता। मैं कह रहा था कि उनका वह उलाहना देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस सरकार ने जो बजट पेश किया है उस में मुनाफा बिखलाया गया है। यह ठीक है कि वह बहुत मेहनती हैं और आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन्होंने इन आंकड़ों को समझने में भूल की है, उनको मालूम होना चाहिये कि ४ सवा ४ करोड़ की रकम जो मुनाफे की बताई जाती है उसमें २ करोड़ रुपया रेवेन्यू एकाउन्ट से कैपिटल एकाउन्ट में आया है और यह वही खर्च है जो प्रदेश में बराबर होता रहा है। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिये कि इस समय यहां केन्द्रीय सरकार के लिये चावल खरीदा जा रहा है और हम ने २० या २५ हजार टन चावल देने का वादा केन्द्रीय सरकार से किया है, जिसको केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रदेशों की आवश्यकता के अनुसार भेजेगी और अकाल की व्यवस्था में वहां के लोगों की मदद करेगी। जब हम उसको देंगे तब हमें केन्द्रीय सरकार से पैसा मिलेगा और वह पैसा जब मिलेगा तो उस चावल की कीमत हमारे एकाउन्ट में आयेगी। तो यह कोई मुनाफे का सवाल नहीं है। इसी तरह से जो हम खरीदते हैं उस की कीमत आयेगी यह भी सब हम को मिलेगी। इसी तरह से हम केन्द्रीय सरकार से ३ लाख टन केनाडियन ह्वीट या इम्पोर्टेड ह्वीट लेंगे। हमारे यहां कुल साढ़े ३ लाख टन गेहूं खर्च होगा। ५० हजार टन वह होगा जो हम ने खरीदा है। अगर अगले वर्ष कमी पड़ेगी तो हम लेंगे पहले अपने में से खर्च करेंगे इस तरह से इस में मुनाफे का कोई प्रश्न नहीं है। वह तो हमें इन सब चीजों की कीमतें मिलेंगी।

अब जहां तक एकेडेमिक दृष्टिकोण की बहस का ताल्लुक है, पंचवर्षीय योजना में तो यह शब्द किये हुये हैं फिर उस में सरकार तब्दीली क्यों कर रही है। पंचवर्षीय योजना में बहुत सी बातें लिखी हैं और एकेडेमिक रूप में जो एतराज वह उपस्थित करते हैं उन पर विचार भी हो सकता है और उनमें तथ्य भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आज स्थिति ऐसी है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से और वहां के

मंत्री की तरफ से बार बार केन्द्रीयकरण की नीति के संबंध में विनियन्त्रण की बात कही जाती है और उसके लिये वातावरण उपस्थित किया जाता है। अतः किसी भी सूबे की सरकार के लिये यह मुमकिन नहीं हो सकता कि नियंत्रण को अधिक कठोर बना सके। आज हम नियन्त्रणों को ढीला कर रहे हैं और विभाग की सारी मशीनरी को रखते हुये हम एक ऐसी नीति बरत रहे हैं जिस से जनता को नियन्त्रण से परेशानी और दिक्कत न होने पाये और ठीक तरीके से हम अधिक मात्रा में उन चीजों का वितरण प्रदेश में कर सकें जिन की आज प्रदेश में आवश्यकता है। यह तो नीति संबंधी प्रश्नों का उत्तर है।

एक सवाल पहाड़ी प्रदेश में नमक के संबंध में उठाया गया था और कहा गया था कि पहाड़ों पर हम जो नमक भेजते हैं उस के कारण भोटिया लोग, जो नमक लाते हैं, वह नहीं बेच पाते हैं। जहां तक भोटियों के नमक का प्रश्न है उन के नमक बेंचने में कोई रुकावट नहीं डाली है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उन की आवश्यकता की पूर्ति के लिये जो नमक हमारे प्रदेश में होता है वह हम भेजते हैं और वहां की जनता को अधिकार है कि वह चाहे जो नमक खरीदे हम किसी को बेंचने की या खरीदने की मनाही नहीं करते। हर एक को स्वतंत्रता है कि भोटिया लोग जो नमक लाते हैं वह खरीदें या जो नमक हमारे यहां से जाता है उसे खरीदे। लेकिन चूंकि हमारे यहां का नमक सस्ता मिलता है इस लिये लोग उसे जरूर पसन्द करेंगे। भोटिया लोग जो नमक लाते हैं और जिसके बदले में दूसरी चीजें ले जाते हैं वह बहुत गरां पड़ता है। हमने उसमें रुकावट नहीं की है।

रहा इस बात का प्रश्न कि हमारे यहां की पैदावार बढ़नी चाहिये, जो मंत्री इस खाद्य विभाग का हो उसे इस बात का भी ज्ञान हो, तो यह सही है। जिस तरह से अभी हमारे यहां वितरण है उसमें यह नहीं है कि जो एग्रीकल्चर का मिनिस्टर हो वही फूड का मिनिस्टर हो। बात सही तो वही होती जो अभी सुझाव के रूप में बताया गया। लेकिन अभी जिस तरह का काम चल रहा है उस काम में अधिक बाधा नहीं होती, क्योंकि हमारे विभाग को यह ज्ञान तो रहता ही है कि हमारे प्रदेश में कितनी मात्रा में चीज पैदा हुई उसके आंकड़े समय-समय पर हमारे विभाग में भी आते रहते हैं। हम सदैव इस बात की चेष्टा करते हैं। हमारी चेष्टा होती है कि जैसे पैदावार होती है हम उसी का वितरण प्रदेश में कर सकें। जितना बाहर से मंगा कर हम वितरण को बढ़ा सकते हैं उतना हम उन आंकड़ों की बुनियाद पर बढ़ाने की चेष्टा करते हैं।

प्रश्न आज नियंत्रण या विनियंत्रण का तो है नहीं। यह तो एक सुभीते का प्रश्न है। यह जो सुभीता हमने प्रदेश की जनता को दिया है, यदि उससे उन्हें तकलीफ होगी, उन को चीजें अधिक कीमतों पर खरीदनी पड़ेंगी, तब जरूर एक ऐसा समय आयेगा कि हम फिर उस पर विचार करेंगे और जो नीति हमने बनायी है उसे हम फिर से तब्दील करेंगे आखिर जो कदम उठाया गया है, एक्सपेरीमेंट के ही रूप में तो है। सारी कंट्रोल की मशीनरी को हाथ में रखते हुये इस तरह का एक्सपेरीमेंट करें, जिससे यह देखें कि अन्न की कीमतें बढ़ती हैं या नहीं, अगर हमारे यहां पैदावार बढ़ी जैसा कि हम उम्मीद करते हैं क्योंकि यह फसल बहुत अच्छी हुई है, तो हमें आशा है कि जिस कीमत पर अभी गल्ला अपने यहां बेंच रहे थे उस कीमत पर शायद खुले बाजार में मिल सके। जो आंकड़े पैदावार के बताये जाते हैं कि इतनी पैदावार की आशा इस प्रदेश में इस रबी की फसल की है, अगर उसमें सत्यता हुई तो जो हमने जो कदम उठाया है उसमें हमें सफलता नहीं होगी। यदि हमें असफलता दिखायी दी और कीमतों को अधिक मात्रा में बढ़ते हुये देखा तो वह समय होगा कि इस सदन के सामने आयें और अपनी जिम्मेदारी समझा कर फिर अपनी नीति में परिवर्तन करेंगे। कोई सदा के लिये हमने यह नीति निर्धारित नहीं की है। हमारी बेसिक नीति नियंत्रण की है। उसका अधिकार हम अपने

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

हाथ में लिये हुये हैं। विनियंत्रण की जो नीति है वह समय और वातावरण की मांग है जनता भी नियंत्रण से उकता चुकी है और इस कारण हम यह मुनासिब समझते हैं कि इस नयी नीति को अपने प्रदेश में उभरने उठने और फैलने का मौका दें। इसी कारणवश हमने इस नीति को अपनाया है।

मैं और अधिक इस विषय में समय न लेते हुये सदन के माननीय सदस्यों को जो, विचार उन्होंने इस विभाग के संबंध में प्रगट किये हैं, उसके लिये धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वे इन अनुदानों को स्वीकृति प्रदान करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान्, माननीय खाद्य मंत्री जी ने जिस सुन्दर ढंग से हमारे द्वारा प्रस्तुत कुछ सुझावों पर अपनी सम्मति दी वह तो सराहनीय ही है। लेकिन फिर भी जिस भावना और दृष्टिकोण से मैंने उनके समक्ष अपने सुझाव रखे थे शायद वह उस को ठीक प्रकार समझ न पाये। उन्होंने कहा कि एक समाजवादी होने के नाते आब्जेक्टिव कंडीशंस के अनुसार स्थिति को देखा करता हूं और तभी हमने प्रोग्रेसिव डिकंट्रोल की प्रणाली बनायी है। मैंने स्वयं अपनी ओर से कोई यह राय नहीं दी थी कि कंट्रोल किस हद तक चलने चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। मैंने सिर्फ यह कहा था कि पंचवर्षीय योजना की क्या भावना है और कई बार प्लानिंग कमीशन के मेम्बर्स ने भी अपनी राय को स्पष्ट कर दिया है। श्रीमन्, अगर माननीय गुप्ता जी का यह ख़याल हो कि वह तो आब्जेक्टिव कंडीशंस के अनुसार फैसला करते हैं, लेकिन फाइव ईयर प्लान बनाने वाले आब्जेक्टिव कंडीशंस को नहीं देखते तो मैं तो ऐसी बात नहीं कहता। यह तो स्वयं माननीय गुप्ता जी सोच सकते हैं कि फाइव ईयर प्लान आब्जेक्टिव कंडीशंस में नहीं बनी या उस पर आब्जेक्टिव कंडीशंस में विचार नहीं हुआ।

मुझे माननीय बलदेव सिंह आर्य की बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि नारायण दत्त जी तो कह रहे हैं कि कंट्रोल को दोबारा कर दिया जाय लेकिन यह तो जनता चाहती नहीं है। तो जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है यह तो माननीय आर्य जी अच्छी तरह जानते हैं कि वस्तु-स्थिति क्या है। आज कांग्रेस के ख़िलाफ़ बहुमत होते हुये भी यहां उनका बहुमत बन गया। लेकिन जहां तक सवाल है कंट्रोल वाले मामले का तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पं० जवाहर लाल जी, हमारे प्रधान मंत्री और आदरणीय देशमुख जो फाइनेंस मंत्री हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंसेज में और समय-समय पर अपनी कान्फरेंसेज में कहा है। कंट्रोल के संबंध में हमारे देश के प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कह दिया जब कि फूड मिनिस्टर्स की कान्फरेंस हुई, उसके बाद दिल्ली में कान्फरेंस हुई और बड़े कड़े शब्दों में कह दिया कि बेशक कंट्रोल्स की नीति ऐसी रहेगी। तो माननीय खाद्य मंत्री जी ने तो शब्द दोहराये नहीं। उन्होंने आब्जेक्टिव कंडीशंस का अपना दृष्टिकोण दिया। मुझे उससे एतराज़ नहीं लेकिन कोई ऐसी चीज़ यहां न रखें जिससे मालूम हो कि उनकी नीति और क़िदवई साहब और पं० जवाहर लाल नेहरू जी की नीति में कुछ फ़र्क़ है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जब केंद्रीय खाद्य मंत्री और केंद्रीय सरकार विनियंत्रण का वातावरण और तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में सरकार के लिये बड़ा मुश्किल है कि वह अपनी अलग नीति चलाये। यह वाकई ऐसी बात थी जो उनकी वास्तविक विचार धारा को प्रकट करती है और उस बात का पृष्टपेषण कर रही थी कि मेरे आंकड़े ग़लत नहीं हैं। यह तो कोई नहीं कहता कि ग़लत हैं लेकिन ग़लत नतीजे निकाले जाते हैं। यह एक नयी बात माननीय गुप्ता जी ने कह दी।

श्रीमन्, जहां घाटे का सवाल उठता है तो कैपिटल एकाउन्ट में घाटा भी दिखाया जाता है और मुनाफा भी दिखाया जाता है, तो जब घाटे का सवाल आता है तो ढिंढोरा पीटा जाता है कि ६ करोड़, ७ करोड़ का घाटा हुआ है, बड़ी मुश्किल है, इतनी सब्सिडी देनी पड़ रही है कि हम दरख्वास्त नहीं कर सकते। उस समय जब यहां मैंने कह दिया कि

साढ़े चार करोड़ ज्यादा आ गये तो वह कैपिटल एकाउंट है। तो घाटा कैपिटल एकाउन्ट में है तो नफा भी है। मैं जानता हूं कि कैपिटल एकाउन्ट एक प्रोग्रेसिव ट्रांजेक्शन है। लेकिन जिस समय कि आप यह दावा करते हैं और माननीय मंत्री जी दावा करते हैं कि वह घाटा कैपिटल एकाउंट में हुआ तो इसी तरह से नफा भी हो सकता है। तो अगर वह अपने मुंह से घाटे का दावा न करें तो मैं भी अपने क्लेम को विद्ड्रा कर लूं जहां तक कि कैपिटल एकाउन्ट का संबंध है।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने उनसे आंकड़े मांगे थे कि आप ने दाम कम करने के लिये कितने दूकानदारों का स्टाक जब्त किया। कुछ हमको यह बतला देते और मैं अब फिर माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह हमें कुछ इसकी सूचना दें तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि आखिर दाम घटाने के लिये वह कर क्या रहे हैं। यह तो जाहिर है कि कई बार कहा गया और रोजाना समाचार पत्रों में निकलता है कि बस्ती या और दूसरी कई जगहों पर दाम बढ़ रहे हैं और ऐसी जगहों पर बढ़ रहे हैं जो कि सरप्लस एरियाज हैं। अगर मन्त्री जी ने इसके लिये कुछ किया हो तो वह हमें बतावें तो हम माने कि वह आब्जेक्टिव कंडीशंस के आधार पर चल रहे हैं। तो जब उन्होंने कोई इस प्रकार के आंकड़े पेश नहीं किये तो मैं उनसे फिर पूछता हूं। और यहां तो हम सदन में बैठे हैं, जमीन में हैं या आसमान में है यह वह देखें, कहीं बाहर की बात होती, तो कहते, कोई तथ्य की बात होती तो कह सकते थे कि जमीन में हैं या आसमान में हैं। यहां तो हम सदन में बैठे हैं। वह तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश का वातावरण क्या है। मैं तो उनसे कहूंगा कि वह वास्तविक स्थिति को देखें, वास्तविक स्थिति को हमारे सामने रखें। तो अन्त में मैं उनसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि वह इतना बतला दें कि उन्होंने दाम कम करने के लिये कितना स्टाक जब्त किया है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय नारायणदत्त जी ने हमारे सामने रखा है और वह उस प्रश्न के द्वारा जो यह पूछना चाहते हैं कि हमने दाम घटाने के लिये क्या किया है तो उन्हें मालूम होना चाहिये कि जो दाम आज भी हमारी दुकानों पर है और जो दाम खुले बाजार में हैं, वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जो दाम हमने बढ़ा कर भी रखा है वह भी बाजार के दाम से कम ही रखा है, क्योंकि यदि आज जिस भाव पर बाजार में गल्ला बिक रहा है उस भाव से बढ़ा कर ग़ल्ला बेचते तो उनको शिकायत हो सकती थी। मैंने पहले भी कहा था कि यह जो दाम बढ़ाया गया यह मजबूर हो कर बढ़ाया, क्योंकि हमको करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा था और हमारी स्टेट उस करोड़ों की संख्या के घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तब भी हमने यह मुनासिब समझा कि जो बाजार में दर है उससे कम क़ीमत के ऊपर हम ग़ल्ला अपनी दुकानों से बिकवायें। लेकिन कब तक हम ग़ल्ले को इस तरह से अपनी दुकानों से बिकवायेंगे कि वह खुले बाज़ार के ग़ल्ले से सदैव कम क़ीमत पर ही बना रहे। अगर हम प्रोग्रेसिव कंट्रोल की नीति को अपना कर चलना चाहते हैं तो हमें जो बाजार में दाम हैं उन्हें स्थिर होने का एक मौक़ा देना पड़ेगा और वह मौका हम इसी तरह से दे सकते थे कि शनैः शनैः अपने दामों को इस तरह से बढ़ायें कि जो बाजार में क़ीमतें हैं उन क़ीमतों से हमारी दुकानों पर सस्ते दामों पर गल्ला बेचें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो गल्ला हम अपनी दुकानों से बिकवा रहे हैं वह कम क़ीमत का है। आज हमारी दुकानों से १४ रुपये या साढ़े तेरह रुपये मन चना बिक रहा है जब कि बाजार में वह चना १८ रु० या १७ रुपया मन है। तो यह नीति हमने दामों के बढ़ाने के संबंध में बरती है। यदि उस मोटी बात को सामने रख कर, प्रोग्रेसिव डी कंट्रोल की नीति को शनैः शनैः अपनाते हुये, खुले बाजार में दाम निर्धारित होने की बात को मानते हैं तो यह नहीं हो सकता है कि हम सदैव दुकानों को खुला रखें। इसमें मुझे कोई आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है।

हमने गल्ला रिक्वीजीशन क्यों नहीं किया उसका कारण मैंने बताया था। कारण यह था कि गल्ला देहातों में अधिक मात्रा में नहीं है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट के अन्तर्गत हमने कुछ गल्ला तो वसूल कर लिया था। इस कारण से हम उस चीज को उस समय अपना नहीं सके और उसको काम में नहीं ला सके। जैसा मैंने अभी कह दिया है अब जब हम प्रोक्योरमेंट करने नहीं जा रहे हैं

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कोई मानोपली प्रोक्योरमेंट स्कीम नहीं लागू करने जा रहे हैं अगर अब भी गल्ले की क़ीमतें बढ़ेंगी, तो हमें ज़रूर अवसर है कि हम उस रिक्वीज़ीशन आर्डर को इस्तेमाल करें और गल्ले की क़ीमतों को उसके द्वारा गिराने की चेष्टा करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४२ के अधीन १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—असाधारण व्यय (लेखा शीर्षक ६३, असाधारण व्यय) के अन्तर्गत ३,१५,७१,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ५१ के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—राज्य व्यापार की योजनायें (लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत १९,९२,१०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर २० मिनट पर सोमवार, १६ मार्च, १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१३ मार्च, १९५३।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

तालिका

Paragraph 670 (1) All members of the State Legislature shall during the term of such membership, be *ex-offico* non-official visitors of the district jails and central prisons situated at the headquarters of the district in which they reside.

Paragraph 683 (*a*) A person other than official or non-official visitors may visit a jail if he has obtained the written permission of the State Government or is accompanied by or has obtained the written permission of the Inspector General, the district magistrate or the superintendent. Visit by such persons may be made on any day between the hours of 7 and 11 A. M.

This restriction, however, is not intended to prohibit the superintendent from admitting persons whom he may wish to show round the jail at any other time.

NOTE.—A member of the State Legislature may also visit any jail, of which he is not an *ex-offico* visitor, under the provisions of this paragraph.

Paragraph 669. (*b*) The appointment of non-official visitors, other than *ex-offico* non-official visitors, shall be made by the State Government on the recommendations of the district committees of the Uttar Pradeshiya Apradh Nirodhak Samiti, received through district magistrates. The names of all persons recommedned for appointment by a district committee shall be reported to the State Government, and in case the district magistrate disagrees with the district committee in respect of the nomination of any person or persons, he shall inform the State Government by March 1 of the year in which appointment is due, of the fact together with his reasons for disagreement and the name or names of persons whom he consider suitable for appointment instead. In districts where no such committee exists or where the committee has failed to make recommedations by February 15, the district magistrate shall make his own recommendations and forward them to the State Government.

Paragraph 672 (*a*) The district magistrates shall cause the names of non-official visitors of jails situated in their districts, who are not debarred from visiting the jails under sub-paragraph (*b*), (*c*) and (*d*) of the preceeding paragraph, to be placed on a roster and shall invite such visitors to make monthly inspections of the jails of which they have been appointed visitors by turns in accordance with that roster. A visitor who is, for any reason, prevented from visiting the jail according to his turn in the roster may visit the jail in another month provided that he informs the superintendent before hand of his intention to do so.

(*b*) Non-official visitors of jails including *ex-offico* visitors may, in addition to any visits that they may make in accordance with the roster drawn up by the district magistrates concerned, also visit the jail on any day between the prescribed hours.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६३ पर)

क्रम संख्या	इंटर बोर्ड से मान्य स्कूलों का नाम	उनमें कहां तक शिक्षा दी जाती है	उन्हें जो वर्ष ५२–५३ में सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है उसका विवरण			
			पोषक अनुदान परिगणित मंहगाई अनुदान जाति संबंधी अनुदान काटने के पश्चात्		विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	महंगाई अनुदान
१	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुल्तान पुर	१०वीं कक्षा तक	...	...	...	...
२	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालिकाओं के लिये	१० वीं कक्षा तक	...	...	...	...
३	मधुसूदन विद्यालय इंटर कालेज सुल्तान पुर	१२ वीं कक्षा तक	१५,८५२	५००	१६,२०	५०० रु०
४	महात्मा गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुल्तानपुर	१२ वीं कक्षा तक	६,७२०	७८०	...	७८० रु०
५	चुन्नीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चितपटी सुल्तानपुर	१२ वीं कक्षा तक	८,७६०	५४०	२६४	५४० रु०
६	श्री रणवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमेठी सुल्तानपुर	१२ वीं कक्षा तक	३,२२८	४२०	१२०	४२० रु०
७	ए०एच० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुसाफिरखाना सुल्तानपुर	१० वीं कक्षा तक	४,८८४	४२०	...	४२० रु०
८	नेशनल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कादीपुर, सुल्तानपुर	१० वीं कक्षा तक	१,७२८	३९०	...	३९० रु०
९	एस० सी० राष्ट्रीय हायर सेंकेंडरी स्कूल गोसाईं गंज, शफीउल्ला गंज, सुल्तानपुर	१० वीं कक्षा तक	अभी अनुदान नहीं मिल रहा है।			
१०	ब० शा० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरखरे, सुल्तानपुर	१० वीं कक्षा तक	अभी अनुदान नहीं मिल रहा है।			
११	पब्लिक हायर सेंकेंडरी स्कूल, चोकिया सुल्तानपुर		इसी वर्ष मान्यता मिली है। अभी अनुदान नहीं मिल रहा है।			

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६५ पर)

GOVERNMENT NORMAL SCHOOL LUCKNOW

THE undersigned begs to invite the attention of the authorities of the Education Department to the following facts in regard to the Government Normal School Lucknow with a fervent hope that immediate enquiry be instituted :—

1. The work in the Normal School is not running smoothly under the present Headmaster.

2. The Headmaster is making money by making purchases of unneeded articles for the school e.g. A godrej almirah. He also makes purchases for the Co-operative shop with an intention of pocketting profits which should have gone to the Co-operative shop.

3. The Headmaster is making money by purchasing such articles which are needed for different crafts classes, but these purchases are made direct by the Headmaster so that he might get commission out of it.

4. The Headmaster's behaviour towards the members of the staff of the Normal School, Model School, inferior servants and pupil teachers is intolerable.

(*a*) There have been cases with Sita Ram Chowkidar, Ram Din Sweeper Jai Dev peon and all others of the inferior staff.

(*b*) The teachers of the Model School are unnecessarily harassed e.g. their applications for appearing at examinations, their leave applications etc. are not dealt with properly.

5. The facts will be revealed when an enquiry is made. Portion of Gram purchases for midday meals of the Model School children is demanded to be sent to the Headmaster's residence.

6. Article received as exhibits for the International Toy's Exhibition are taken home by the Headmaster e.g. harmonium, dolls etc.

7. The pupil teachers are to apply for the postponement of the terminal examinations to avoid Constructive work.

8. All correspondence even with inferior servants is done in English which clearly shows that the Headmaster has no knowledge of Hindi.

9. The pupil teachers do not recive their stipends in time due to which they cannot get their meals in mess.

10. The students of the Model School do not get their scholarships in time.

11. The school clerk has proceeded on leave. The peon is also on leave due to the misbehaviour of the Headmaster and they have been replaced by his own man.

12. If an impartial enquiry is instituted properly in absence of the Headmaster the facts will be revealed.

(Sd.) SUMER CHAND JAIN,
Government Contractor Nishatganj,
Lucknow.

पो० एस० यू० पी० ए० पी० १८५ एल० ए०—१९५३—८५० ।